खण्ड-271, अंक-3
मंगलवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1888
(21 मार्च, 1967 ई0)

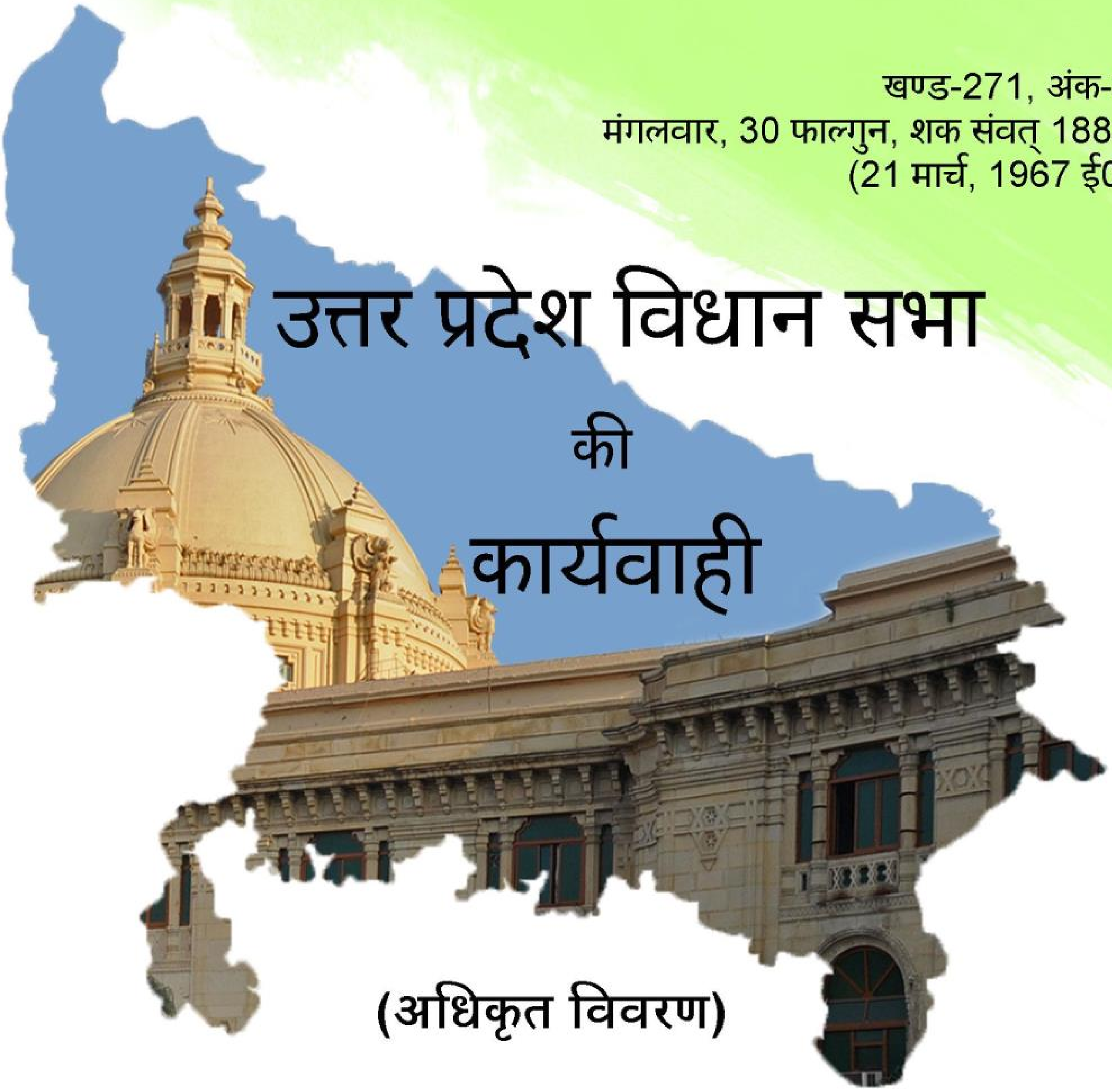

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 271 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार , २१ मार्च, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीशशरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९२

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अश्वनी कुमार,श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम्प्रकाश, श्री
ओमप्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुनलाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्णसिंह श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री
केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्द नारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरी राम, श्री
गौरीशंकर सर्राफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जिनेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगुल किशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकम सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीसहाय बाजपेयी, श्री
देवीसेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री

निहाला सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पञ्जर राम, श्री
पातीराम अहिरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारे लाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूल सिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंग बली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसी दास, श्री
बलवीर सिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशन लाल, श्री
बृज किशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहनदास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बनीसिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भोलालाल, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भुवनेश भूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री

रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राजराजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेन्गर, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीन सिंह,
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलारे पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राम नारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (रायबरली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर सिंह, श्री
रूतम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटूरीसिंह, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहु)
विश्वनाथ सिंह, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह, चौधरी
शकुंतला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्यामसिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा, वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

१९६७–६७ के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्य वृत्त की संख्या ५ हम पहले लेंगे। वित्त मंत्री महोदय इसे सदन में रख चुके हैं। माननीय नेता विरोधी दल इस पर कृपया यह बतायें कि आप इस विवाद में भाग लेंगे? नियम इस संबंध में यह है कि इस पर विस्तारपूर्वक कोई वादविवाद नहीं होता, लेकिन साधारण चर्चा हो सकती है, जितनी साधारण चर्चा के लिये आवश्यक हो, उतनी बात चीत हो सकती है। तो उस के लिये आप कितना समय निश्चत करना चाहेंगे?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

माननीय राज्यपाल महोदय से इस लेखानुदान के संबंध में बात चीत हुई थी और दो महीने के लिये हम लोग स्वीकृति दे चुके थे। यदि सरकार यह लेखानुदान दो महीने के लिये पास कराना चाहती है तो हम चाहेंगे कि कोई विवाद न हो और अगर सरकार इस बात पर तैयार नहीं है तो मैं चाहता हूं कि चर्चा हो जाय और आज के दिन अगर कोई और कार्य-क्रम नहीं है तो सारा दिन इस पर चर्चा चले।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन, मैं राज्यपाल महोदय से हुई किसी बात चीत के संबंध में नहीं जानता। अभी नेता विरोधी दल जो कुछ कह रहे हैं उस संबंध में यदि आप को कुछ कहना हो तो कहें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अध्यक्ष जी, देश में और भी सरकारें बनी हैं। गैर--कांग्रेसी सरकारें भी बनी हैं और कांग्रेसी सरकारें भी बनी हैं। गैर कांग्रेसी सरकारों ने भी चार महीने का वोट आन एकाउन्ट लिया है और गुजरात की सरकार ने तो पांच महीने का वोट आन एकाउन्ट लिया है। तो कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि उत्तर प्रदेश में दो महीने के लिये ही वोट आन एकाउन्ट मांगा जाय। मेरी विरोधी दल के नेता जी से आप के द्वारा प्रार्थना है कि वे इस बात का आग्रह न करें कि दो महीने का वोट आन एकाउन्ट यह सदन स्वीकार करे। वह संभव भी नहीं है। आखिर इस सरकार को भी कुछ समय देना चाहिये ताकि वह अपनी नीतियों के विषय में विचार कर सके और नया बजट वह इस प्रकार से लाये कि जिस से वह आप की कुछ मांगों को अपने बजट में प्रतिबिम्बित कर सके और साथ ही जो आवश्यक चीजें हैं उन पर विचार विनियम कर के अपने निर्णय उस पर ले। दो महीने के अंदर यह संभव नहीं है। करीब चालीस या या पचास दिन तो बजट को पास करने में लगते हैं और बजट को तैयार करने में भी लगभग महीने या सवा महीने का समय चाहिये। तो दो महीने के अन्दर तो यह सब संभव नहीं हो सकता। इसलिये जो सुझाव माननीय नेता विरोधी दल ने आप के समक्ष प्रस्तुत किया, उसे स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

*श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

मान्यवर, जो बातचीत गवर्नर साहब के सामने हुई थी उसमें वित्त सचिव भी बुलाये गये थे और उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि चूंकि इस बार नान--कांग्रेस गवर्नमेन्ट बहुत से सूबों में बन रही हैं और उन को मौका है अपनी नीतियों के निर्धारण करने का और इस काम में उनको समय लगेगा, इसलिये उनको चार महीने का समय दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि हमारे यहां कांग्रेस गवर्नमेंट ही बनी है और आम तौर पर उस की नीति वही रहेगी जोकि पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट की इस प्रदेश में थी, इस कारण उसे इतना समय यहां नहीं मिलना चाहिये। इस के अतिरिक्त प्रदेश में आम तौर पर तीन महीने के लिये वोट आन एकाउन्ट दिया जाता था इसीलिये यहां पर दो महीने की यह मांग की जा रही है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी दो महीने के लिये किसी तरह से भी तैयार नहीं हैं तो उस में एक महीना और बढ़ा दिया जाय और जैसी परम्परा रही है उस के अनुसार ही तीन महीने के लिये वोट आन एकाउन्ट दिया जाय। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन, अगर आप इसके लिये राजी हों.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैंने तो काफी विचार-विनिमय कर के यह विचार प्रस्तुत किया था कि चार महीने के लिये वोट आन एकाउन्ट पास कराया जाय और इस में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर तीन महीने के लिये यह संभव होता और उस में हम अपना काम चला सकते तो मुझे उसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होती। आखिर को मुझे वित्त विभाग के अधिकारियों से इस विषय में बातचीत करके ही फैसला लेना होता है और जब उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी तो कोई कारण नहीं है कि मैं यह स्वीकार करूं कि ३ महीने का ही वोट आन अकाउन्ट यह सदन पास करे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

अब तो प्रश्न उपस्थित कर दिया जाय अगर माननीय मंत्री जी नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वोट तो होगा ही, वोट से पहले जो प्राविधान है उसको सुन लें। अनुच्छेद २०६ के अन्तर्गत यह नियम १९२ प्रक्रिया नियमावली का बना है। इसमें यह है कि "प्रस्ताव पर या उस समय प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर साधारण चर्चा की अनुज्ञा होगी, तथा अनुदानों के विवरणों पर सविस्तार विवाद न होकर केवल इतना उल्लेख किया जा सकेगा जो साधारण चर्चा के हेतु आवश्यक हो।" तो आज का दिन खाली है। कुछ समय वोट के लिये देना पड़ेगा और बाकी समय साधारण चर्चा में लगा सकते हैं। तो मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहूंगा कि साधारण चर्चा होने पर आप कितना समय चाहते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला बेवरिया)—

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि ४ महीने का हम लेंगे, हमारी तरफ से नेता विरोधी दल ने २ महीने और झारखंडे राय, एक हमारे नेता ने कहा कि ३ महीने रखा जाय, फिर भी नहीं माने तो इस प्रश्न पर क्या निर्णय होता है?

श्री अध्यक्ष—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया। ऐसा है कि सदन में नेता सदन और अन्य सदस्य, विशेषतया नेता विरोधी दल, अगर एक मत हो जांय तब तो वह बात तय हो सकती है। जो आपके सामने प्रस्ताव है १७ तारीख का जिस पर अब केवल वाद–विवाद होना है, उसमें ४ महीने का समय है। यह सदन को अधिकार है कि ४ महीने का समय स्वीकार करे या ३ महीने या २ महीने का। अगर इस बीच में नेता विरोधी दल और नेता सदन परामर्श करके एक मत हो सकें तो ठीक है वरना उस समय वोट से निर्णय होगा। अब तो प्रश्न यह है कि इस पर आप कोई साधारण चर्चा आवश्यक समझते हैं या यह ऐसा विषय है जिस पर हमें कोई समय ही नहीं देना चाहिये।

श्री उग्रसेन—

यह तो मुख्य मंत्री से पूछिये।

श्री अध्यक्ष—

सरकार के द्वारा यह प्रस्तुत हो चुका। अब जो इस पर वाद–विवाद होगा उसको इनिशिएट विरोधी दल की ओर से किया जाता है, यह परम्परा है।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

साधारण चर्चा हम लोग चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप से नहीं पूछ रहा हूं, मैं विरोधी दल से पूछ रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। उधर के लोग चर्चा चाहते हैं या नहीं, लेकिन हम लोग तो चर्चा चाहेंगे। अतः आप इस पर चर्चा करने का समय दें। हर माननीय सदस्य को चर्चा करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रश्न उठाया वह ठीक है। चर्चा करने का हर माननीय सदस्य को अधिकार है, लेकिन परम्परा यह रही है कि चर्चा आरम्भ करने का अधिकार माननीय नेता विरोधी दल को ही होता है। यदि वे चर्चा आरम्भ करना न चाहें तो वह अधिकार किसी अन्य सदस्य को हो सकता है। इसलिये मैं माननीय नेता विरोधी दल से इस संबंध में परामर्श चाहूंगा।

श्री रामचन्द्र विकल---

जैसा कि माननीय सदन के सदस्यों के मत से प्रतीत होता है कि वे चर्चा चाहते हैं, तो आज सारे दिन चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

थोड़ा-सा समय तो एक्चुअल वोटिंग के लिये रहेगा। हो सकता है ५ बजे के आगे भी बैठना पड़ जाय। इसलिये मैं चाहता हूं कि कल की तरह ३ बजे तक इस पर चर्चा हो जाय, उसके बाद वोटिंग हो जाय। मैं समझता हूं कि सारे सदन की इस पर सहमति है।

(किसी ने आपत्ति नहीं की)।

श्री रामचन्द्र विकल---

अध्यक्ष महोदय, १,६७,४२,८९,००० रुपये का जो लेखानुदान प्रस्तुत किया गया है, यह धनराशि बहुत बड़ी है। इसी से ऐसा अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब ४ महीने के लिये इतनी बड़ी धनराशि है, तो पूरे साल का बजट करीब ५ अरब का होगा। इतनी बड़ी धनराशि को इस तरह से इतनी जल्दी पास करना, मैं समझता हूं ठीक नहीं कहा जा सकता। जिस तरह के हालात प्रदेश के इस समय हैं, और प्रारम्भ में सरकार की जो नीतियां सामने आ रही हैं, उसको सामने रखकर इतनी बड़ी धनराशि को इस तरह पास कराना आवश्यक नहीं था। राज्यपाल महोदय के सामने जब दो महीने की बात चली थी तो वहां वित्त मंत्री भी थे, समस्त विरोधी दलों के नेता भी थे और वित्त सचिव ने यह कहा था कि ४ महीने की जगह दो महीने करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर वह चीज आज इसमें दृष्टिगोचर नहीं होती.....

श्री अध्यक्ष---

माननीय विकल जी, आधा मिनट के लिये मैं क्षमा चाहूंगा। मुझे पहले ही यह बताना चाहिये था। एक चीज स्पष्ट कर दूं। यह जो लेखानुदान आपके सामने हैं, उसमें टिप्पणी में शुरू में तो ४ महीने लिखा है, मगर आगे ३ महीना गलती से छप गया है। पांडुलिपि में ४ महीने ही है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

यह अमेंडमेंट तो किसी माननीय सदस्य की तरफ से ही आना चाहिये था। मैं माननीय गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय से केवल तीन ही महीने मांगे थे न कि चार महीने और यह बात निश्चित रूप से निश्चित हो गई थी कि यह जो वोट-आन-अकाउन्ट प्रस्तुत किया जायेगा वह तीन महीने के लिये होगा। हो सकता है कि मिसप्रिन्ट बाकी जगह भी हो। मेरा निवेदन है कि अगर वे चाहते हैं तो वे प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। जरा सी इस विषय में भान्ति हो रही है। जो प्रस्ताव उस दिन सदन में प्रस्तुत हुआ उस संबंध में अगर उसमें कोई गलती होती तो उसका संशोधन किसी सदस्य की ओर से तभी आ सकता था। वह जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था उसमें चार महीने का ही उल्लेख था। सरकार की ओर से यह जो छपी हुई किताब आई है उसमें जो टिप्पणी है और उसके अन्त में एक वाक्य में चार महीने के स्थान पर तीन महीने लिखे हैं। जो हमारे मामूली नियम हैं वो मिशन्स को पढ़ने का उससे भी साफ है और मैंने भी जानकारी की है और उसको प्रोसीडिंग्स से चैक अप किया तो गलती मालूम हुई। प्रोसीडिंग्स से भी इस तथ्य की पुष्टि हुई। इसलिये मैंने अपना कर्त्तव्य समझा कि नेता विरोधी दल का ध्यान इस भाषण से पहिले दिला दूं ताकि कोई बात कहनी हो तो वे इस संबंध भी कह सकेंगे।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

अध्यक्ष जी, छापने में प्रस्ताव रूप में ही लिखा था।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रस्ताव वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था उसको जर्नल से मंगाकर प्रस्तुत किया। छपी हुई किताब से वित्त मंत्री ने नहीं पढ़ा था। जर्नल से जो आया उससे ही पढ़ा था।

वित्तमंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं स्पष्टीकरण के लिये, जो आपने सदन में दिया है। आपको स्मरण होगा कि मैंने लेखानुदान के संबंध में जो अपना प्रस्ताव पढ़ा था कि चार महीने के लिये दिया जाय वह प्रोसीडिंग्स में मौजूद है। मैंने देख लिया है, वह है। उसमें लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद २०६ के अनुसार विधान सभा से प्रार्थना की जाती है कि जब तक १९६७-६८ वर्ष के लिये अनुदान की मांग पर ब्योरेवार विचार न हो जाय, चार महीने के व्यय को स्वीकृत कर दे। इस विवरण-पत्र में धनराशि दिखाई गई है जिनकी आवश्यकता अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ६७ के महीनों के लिये होगी, न केवल चार महीने बल्कि उन चार महीनों का विवरण भी है। हमारा दुर्भाग्य है कि इसकी जो छपाई हुई उसमें तीन महीने लिखा है।

एक चीज और मैं सदन की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि इसका तर्जुमा अंग्रेजी में छपा था। उसमें भी चार महीने दे रखा है। हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी साधारण भूल से यह गलती हो गई। लेकिन मैं इस भूल के लिये सदन से क्षमा चाहता हूं। और मुझे आशा है कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी इस स्पष्टीकरण को स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपस में इन छोटी सी बातों में उलझने से कोई मतलब हल नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने गलती का अनुभव करते हुये आवश्यकता जितनी थी उसके लिये क्षमा भी सरकार की ओर से प्रकट की। वास्तव में ऐसी गलतियां बड़ी-बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न कर देती हैं और ऐसी छोटी-सी गलती ने इस कठिनाई में डाला। अब मैं समझता हूं कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी पूर्णतया सन्तुष्ट होंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आपकी व्यवस्था किस बात से संबंधित है ?

श्री भीखालाल---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहिले जो कार्य हुए हैं क्या अब परम्परा तब्दील हो गई है ? . . . . . .

श्री अध्यक्ष---

कल शायद आप सदन में नहीं थे। कल इस पर विस्तार से बात हो चुकी थी। आप नये नियमों का अध्ययन कर लें, बिलकुल उसी के अनुसार हम चल रहे हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---

अध्यक्ष महोदय, लेखा अनुदान जो ४ महीने का प्रस्तुत हुआ है उससे मालूम होता है कि सरकार को विरोधी दलों पर तो भरोसा है ही नहीं, अपने सदस्यों पर भी नहीं है, वरना यह बजट सेशन जल्दी बुलाया जाता, कोई कठिनाई इसमें नहीं होती। इस बहाने से सरकार शायद सदन की बैठक बुलाने में कुछ आनाकानी करना चाहती है। यह बजट अप्रैल में भी पेश हो सकता था, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। मई में पेश हो सकता है। यह सरकार ४ महीने तक सदन न बुलाकर जनतांत्रिक पद्धतियों और सदन की मान्यता और गरिमा को समाप्त करना चाहती है। सरकार बजट सेशन जल्दी बुलावे।

समुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)

मई में होगा।

श्री रामचन्द्र विकल---

अगर नेता सदन एलान करें तो मैं अपनी शंकाओं को और जनता की शंकाओं को समाप्त समझूंगा। परन्तु ये शंकायें विरोधी दलों की और जनता की ही नहीं बल्कि उधर बैठे लोगों की भी हैं।

मुझे एक बात और कहनी है कि इस सरकार का गठन भी नैतिक आधार पर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया था, प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष ने बयान दिया था, कि हम विरोधियों को अवसर देंगे सरकार बनाने का। माननीय नेता सदन ने भी एक बार नहीं अनेक बार अखबारों में और मिल कर भी, कहा था कि हम कोई जल्दी में नहीं हैं, हमें सरकार बनाने की कोई उजलत नहीं है। लेकिन सरकार बनाने के समय जिलाधीशों से लेकर सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और जितनी तोड़-फोड़ इस प्रदेश की सरकार बनाने में कांग्रेस की ओर से की गई उतनी और किसी प्रदेश में नहीं की गई। कितने सी० आई० डी० के लोग दारुलशफा में रात-दिन रहते थे, कितने राजनैतिक लोग आज बन्दी हैं इन सब बातों को देखते हुये मैं कह सकता हूं कि न कांग्रेस अध्यक्ष कामराज का बयान सही था और न प्रदेश के अध्यक्ष का बयान सही था और न माननीय नेता सदन का ही बयान सही था। वे प्रदेश की जनता को दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस विरोधी पक्ष के लोगों को मौका दे रही है लेकिन वे अयोग्य हैं सरकार बनाने में। हम लोग विभिन्न विचार-धाराओं के होते हुये भी, जनतंत्र की रक्षा के लिये एक राय के हुये ताकि हम लोग इस आक्षेप को मिटा सक जो आये दिन विरोधी लोगों पर कांग्रेस सरकार लगाती है। आपको अपने बहुमत पर बहुत घमंड रहा होगा, चाहे जिस तरह से वह बहुमत रहा हो और आज चाहे जैसे वह बना लिया गया हो, अगर आप जनतंत्र के हिमायती हैं तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि ऐसी परम्परायें पड़नी चाहिये थीं कि आप विरोधी पक्ष में बैठते और वह व्यवहार हमारे साथ होना चाहिये कि इधर के लोग सरकार बना सकें। सरकार बनाने के तुरन्त बाद से जो व्यवहार आपका जिलों में हुई घटनाओं से जाहिर हो रहा है उससे विश्वास हो गया है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारी मान्यतायें, गांधी और नेहरू के स्वप्न आज कहां जा रहे हैं ? मैं वोट की बात नहीं करना चाहता हूं कि विरोधी दलों को ७० फीसदी वोट मिले हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आज २० वर्षों में हम कहां पहुंच गये हैं। मैं तार, टेलीफोन और अखबारों के आधार पर नहीं कहना चाहता हूं, मुझे जनता के बीच में जाने का अवसर मिला है। मुख्य मंत्री जी,

आपके पास बहुत से विभाग हैं। आप मालूम करें कि ७० फीसदी को छोड़कर जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, क्या वे भी यह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार हो? वे भी चाहते थे कि गैर कांग्रेसी सरकार बने और आज के दिन भी चाहते हैं। सदस्यों की खरीद फरोख्त जो पैसे के और पद के बल पर चल रही है वह किसी से छिपी नहीं है। जनता सब जानती है। आप भले ही इसके लिये विरोधी दलों को दोष दें, मैं स्वीकार कर लूंगा लेकिन जनता इसे अच्छी तरह से देख रही है। जनता इस बात को नहीं मानती है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं बंगाल की कांग्रेस को बधाई दिये बगैर नहीं रह सकता जिन्होंने १२७ होने पर १३ आदमियों की तोड़-फोड़ नहीं की जो कि बहुत आसान थी। उन्होंने खुशी से कहा कि हम विरोध में बैठना स्वीकार करते हैं। १३ आदमियों की खरीद बंगाल कांग्रेस भी कर सकती थी मगर उन्होंने यह उचित नहीं समझा और वहां की कांग्रेस अमर रहेगी। सन् ३७ में भी कांग्रेस ने वजारतों को ठोकर मारी। सात राज्यों के मंत्रि परिषदों ने महात्मा गांधी के कहने से याग पत्र दे दिया। कांग्रेस सारे देश पर हावी हुई। अंग्रेजों को जनमत को मानना पड़ा और भारत छोड़ना पड़ा। आज की कांग्रेस उससे बिलकुल भिन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ऐसी नहीं है कि जो वह कहती है वह करती भी है। इस सरकार की कथनी और करनी के अन्तर को सारे सदस्य जानते हैं। उनमें बड़ा भारी फर्क रहा है। जब तक जनबल आपके साथ नहीं है, जनता की भावनायें आपके साथ नहीं हैं, तशद्दुद और दबाव से कब तक काम चल सकता है? मैं समझता हूं कि अधिक नहीं चल सकेगा। आखिर आप कभी तो घोषणा करें कि मंत्रि-परिषद् में कितने सदस्य होंगे और कौन-सी अन्तिम तारीख तक वह गठित हो जायगा। सारे प्रदेश की जनता को इसकी प्रतीक्षा है। जब प्रान्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो यह और भी आवश्यक हो जाता है। कांग्रेस क्या है, प्रदेश की सरकार क्या है, आज का मंत्रि–परिषद् क्या है, जनता इसे जानने को बहुत इच्छुक है। विरोधी दलों के लोगों की बात आप न मानिये, लेकिन जनता की बात तो आपको माननी होगी। माननीय चौधरी चरणसिंह का बयान इसके लिये बहुत काफी है। उससे भी आप सबक न लें तो मैंने तो कहा है कि विरोधी दल स्वस्थ परम्पराओं के मातहत, अध्यक्ष महोदय, आप को भी और सरकार को भी सहयोग देता रहेगा मगर साथ ही सरकार में सहयोग लेने की क्षमता भी होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस तरह से नहीं कि आप मेम्बरों से किस तरह से बयान दिलवा रहे हैं, तरह तरह से चुनौतियां दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि आज इतने मेम्बर आ गये कल इतने आ जायेंगे।

आज के राजनैतिक वातावरण की मांग है कि आप मंत्रि परिषद् की अन्तिम सीमा निर्धारित कर दें नहीं तो वह दिन दूर नहीं है कि यहां भी हरियाना और पांडेचेरी का सा हाल होगा। आपको इसका अन्दाजा नहीं है। जन भावना विरोधी दलों के साथ है। कल एक माननीय सदस्य ने व्यंग किया कि विरोधी दल में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। मै बताना चाहता हूं कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। आज कम्यनिस्ट और जनसंघ ने जनतंत्र की रक्षा के लिये एक मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उसका ऐलान किया है और कहा है कि हम इस प्रोग्राम को अमल में लायेंगे अगर हमें सरकार बनाने का अवसर प्रदान किया जायगा। उन्होंने कहा है कि हमारे मंत्रिगण, ५०० रुपया माहवार लेंगे। आप उसका मुकाबला करके दिखायें। ५०० रुपया से ज्यादा और कोई खर्चा नहीं होगा और ११ से लेकर १५ तक ही मंत्रि-परिषद् के सदस्य होंगे। आपने सवाये लगान को माफ करने का बड़ा ढोल पीटा। मुज फरनगर में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा था और बड़े जोरों से कहा था कि जब मद्रास गवर्नमेंट अपने किसानों का पूरा लगान माफ कर सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता? हमारे प्रोग्राम में पूरा लगान माफ करने की बात है, क्या वह आप करने को तैयार हैं? आपने मुजफ्फरनगर में कहा था कि भूमि भवन कर, प्रोफेशन टैक्स हम समाप्त करेंगे लेकिन वह भी आपने नहीं किया है। हमने उसको खत्म करने का वायदा किया है। आप कहेंगे कि खर्चे के लिये बजट कहां से आयेगा। हम बताते अगर आप हमें सरकार बनाने का अवसर देते। लेकिन हमने फिर भी बताया कि हम बजट कहां से लायेंगे और उसके कारण भाव गिरने लगे, लेकिन आपके गिरफ्तारी करने के बाद भी भावों पर कोई असर नहीं हुआ। प्रदेश की जनता गवाह है कि

[श्री रामचन्द्र विकल]

गैर कांग्रेसी सरकार बनाने के ऐलान मात्र से भाव नीचे आ गये थे। जनता जानती है कि शासन कौन हो सकता है जैसे घोड़ा यह समझ जाता है कि अच्छा सवार कौन सा है।

कानपुर के लोगों से टैक्स वसूल करने के बारे में माननीय वित्त मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने कुछ सख्ती की लेकिन उसके खिलाफ माननीय नेता सदन का टेलीफोन कुछ दूसरा ही गया। व्यापारी और कर्मचारी जानते हैं कि कौन किस तरह से चलता है। आप कहते हैं कि हम नयी नीतियों को अपनायेंगे लेकिन मुझे भय है कि आप पुरानी नीतियों को भी कायम नहीं रख पायेंगे, ऐसे हालात से आप गुजर रहे हैं, नयी तो आप क्या लायेंगे? आज विरोधी दल ने प्रदेश की ८ करोड़ जनता का विश्वास प्राप्त करके अपना मिनिमम प्रोग्राम बनाया है, उस पर दस्तखत किये हैं और उस पर एकमत हैं, उससे नहीं हटेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक एक बार इस कांग्रेस सरकार को इस कुर्सी से न हटा लेंगे, क्योंकि जन भावना और जनता हमारे साथ है।

एक विश्वास और दिलाता हूं। उन दिनों इस प्रदेश के कर्मचारियों ने विश्वास दिलाया, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं, इस बात के लिये कि उन्होंने कहा था कि हम पूर्ण रूप से सहयोग देंगे और हड़ताल को जल्द ही खत्म कर देंगे। आप कहते हैं कि विरोधीदलों में एकता नहीं है, हम तो राज्य सौंपना चाहते हैं लेकिन उनमें योग्यता नहीं है, यह चीज आप अपने घरों में तो कह सकते हैं, लेकिन जनता में नहीं कह सकते। मैंने कभी भी चुनाव को चुनौती नहीं दी। एक माननीय सदस्य नये हैं। उन्होंने कहा कि मैं मेजा से सालिगराम जायसवाल को हरा कर आया हूं, उनसे जीत कर आया हूं। यह सदन में कहा। मैं भी वहां गया हूं और उस क्षेत्र के पड़ोस में मैं ज्ञानपुर भी गया हूं। मिर्जापुर की दुद्धी का हाल भी हमें मालूम है कि वहां डी०सी०डी० एफ० की दूकानों पर राशन इसलिये नहीं दिया गया क्योंकि वहां के लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह दुद्धी क्षेत्र की हालत का पता लगायें। वहां आज भूखों की क्या दशा है। मैं वहां के गरीब लोगों से मिला हूं। वहां आज शिकायत है कि डी० सी० डी० एफ० की दूकानों पर गल्ला नहीं दिया गया है और उनका कसूर यह बताया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को नहीं जिताया। कहीं माननीय सदस्य मेजा से गरीबों और भूखों के ईमान को बेचकर तो नहीं जीतकर आये क्योंकि भूख में ईमान कायम नहीं रहता। एक सालिगराम जी की बात तो कह दी लेकिन पड़ोस के ही बंशीधर पांडेय कहां गये, काशीराज कहां गये, कमलापति जी कहां गये? वह माननीय सदस्य नये हैं उन्होंने बिना समझे बड़े जोर से सालिगराम जी जायसवाल की बात तो कह दी और बड़ी तालियां भी उस पर उधर के माननीय सदस्यों ने बजाईं, लेकिन क्या इससे इन्कार किया जा सकता है कि आज मिर्जापुर के क्षेत्र में भुखमरी है! (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बातचीत कम करें।

श्री रामचन्द्र विकल--

हमारे वित्त मंत्री जी ने थोड़ी-सी तो सद्भावना जरूर दिखाई, लेकिन विशेषकर उन्होंने थोड़ी-सी चुटकी भी ली कि इधर विभिन्न विचारधाराओं के लोग बैठे हैं और जितनी देर इनका गठबन्धन चले वह अच्छा है। मुजफ्फरनगर में ३२ के नाम पर जिस में जनसंघ, कम्यूनिस्ट, रिपब्लिकन और स्वतंत्र सभी शामिल थे, कोई पार्टी नहीं थी जिस के लोग न हों, आप के यहां जाकर सब दूध के धोये हो जाते हैं, आज भी मुझे उन ३२ के नाम याद हैं जो विभिन्न विचारधाराओं के लोग रहे वह शामिल किये गये और आज भी आप सब के तलवे चाट रहे हैं। आप यह स्वस्थ परम्परा कायम कर रहे हैं? हम चाहे आज भिन्न भिन्न दलों के लोग इधर इकट्ठा हुये हैं, एक जनतंत्र के तकाजे को हमने समझा है. आप ने खुद हम को मौका दिया या देने की बात कही और हम आप की चुनौती को स्वीकार कर के अगर इकट्ठा हो गये तो उस में कौन सी बात है? लेकिन अगर उस पर व्यंग और मजाक किया जाय तो मैं कहना चाहता हूं कि यह आप के लिये शोभनीय नहीं है। आज जनता सचाई से हर चीज को देखना चाहती है।

चुनावों की बहुत चर्चा हुई है और कहा जाता है कि निष्पक्ष चुनाव हुये। लेकिन यह सोचने की बात है कि सरकार के रहते हुये कहीं ऐसा सम्भव हो सकता है ? अगर आप निष्पक्ष चुनाव देखना चाहते हैं तो एक मास चुनाव से पहले सरकार गद्दी से हट जाय, मैं ६ मास या ४ मास की बात नहीं कहता। लेकिन केवल नामजदगी के बाद सरकार हट जाया करे तब निष्पक्षता की बात हम समझ सकते हैं।

एक सदस्य--

पहले तो आप ऐसा नहीं कहते थे।

श्री रामचन्द्र विकल--

मैं ही तो एक कांग्रेस में पहले से ही यह बात कहता था और अगर कांग्रेस वालों ने मेरी बात सुनी होती तो आज यह दशा न होती। सवाये लगान के बारे में मैंने बावजूद दल की मुखालफत के आवाज उठाई और आज आप कहते हैं कि आप कब कहते थे। मैं जितना कड़ा होकर उधर से कहता था उतना कड़ा होकर आज भी नहीं कह पा रहा हूं, थोड़ी मुझे आज भी अपने घर की मोहब्बत है। जितनी सख्ती के साथ मैं अन्दर और सदन में उधर रहकर कह सका हूं उतनी सख्ती से शायद इधर रह कर न कह सकूं। सिर्फ फर्क यह है कि पहले आप मेरी बात सुनते नहीं थे और अब थोड़ा बहुत सुनने लगे हैं। मैंने सेवायें लगान की बात ए० आई० सी० सी० में पी० सी० सी० में, कांग्रेस पार्टी में, सदन में सब जगह कही और यह बात किसी से छिपी नहीं है।

निष्पक्ष चुनाव की पहचान क्या है ? प्रधान मंत्री से लेकर साधारण कांग्रेस वाले तक एक दलील देते हैं कि बहुत से मंत्री हार गये हैं। यह है इनकी निष्पक्ष चुनाव की दलील। मैं तो यह कहता हूं कि यदि निष्पक्ष चुनाव होता तो जो चुनकर यहां पर आये हैं, वे भी न आते। मैं नाम नहीं लेना चाहता और न हल्के की बात ही कहना चाहता हूं लेकिन यह निश्चित रूप से कहता हूं कि बहुत से न आते। यदि इन्हें निष्पक्ष चुनाव कराने थे तो सरकार को एक माह पहिले त्यागपत्र दे देना चाहिये और यदि यह न होता तो चुनाव आयोग, जो दिल्ली में है, उनके मातहत यह चुनाव होना चाहिये था। १९५२ में हमारे यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री जे० के० टंडन थे, १९५७ में श्री मिट्ठन लाल, १९६२ में श्री एल० पी० निगम और १९६७ में श्री के० सी० पुरी थे, जो चारों हाई कोर्ट के जज बना दिये गये। यह सब चुनाव के ही तुफैल से हुआ। ये हैं आपके निष्पक्ष चुनाव। १९५२ से लेकर १९६७ तक जिन अधिकारियों ने चुनाव कराये, उन सब को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया और १९६७ वाले को १० दिन भी न लग पाये कि फौरन हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यदि इस प्रकार से रनिंग कमेंट्री करत चलेंगे, तो फिर जो इतना गंभीर विषय है, जिस पर माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं, उनकी बातों को समझने में कुछ कठिनाई होगी।

श्री रामचन्द्र विकल--

यदि आपको प्रशासन में सुधार लाना है, तो जो हारे हुये राजनीतिज्ञ और सेवा मुक्त कर्मचारी हैं, उनको कोई रियायत नहीं देनी चाहिये तभी कुछ विश्वास हो सकता है। यह न हो कि हारे हुये लौट फिर कर मिनिस्टर बना दिये जायं या और कुछ बना दिये जायं। यदि सेवा मुक्त कर्मचारियों को इधर-उधर से मौका नहीं दिया जायगा तब एक स्वस्थ परम्परा पड़ सकती है। आपने रिटायर होने की आयु ५५ वर्ष निर्धारित की लेकिन ५८ वर्ष तक एक्सटेंशन दिये गये। क्या सरकार एक लिस्ट दे देगी कि किन किन को नोटिस दिया गया और फिर किन को, खुशामद करने पर, रख लिया गया ? ऐसी सूरत में क्या सरकारी कर्मचारी ईमानदार, निष्पक्ष रह सकता है और सही सेवा कर सकता है ? एक बार तो आप उनको डरा देंगे लेकिन फिर बाद में उनकी खुशामद देखकर रख लेंगे। आप एक निश्चय करें कि कर्मचारियों को ५५ के पश्चात् नहीं रखेंगे या ५८ तक रखेंगे। होता क्या है जिन को पिया चाहें वही सुहागिन कहलायेगी। फिर

[श्री रामचन्द्र विकल]

वे क्या करते हैं ? प्रशासन में सही काम नहीं करते हैं, खुशामद में लगे रहते हैं। बजाय आप बाद में काम लें वे २ साल पहले ही काम छोड़ कर खुशामद करने लगते हैं।

कल हमारे माननीय वित्त मंत्री जी जब ३१ करोड़ के अनुदान के बारे में कह रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस धनराशि में केवल ६ करोड़ रुपया ही आवश्यक है। २५ करोड़ तो हम इधर-उधर से बचा करके पूरा कर लेंगे तो फिर आप ऐसा बजट ही क्यों बनाते है कि जिसमें आप कहते हैं कि ६ करोड़ ही वास्तविक खर्चा है। वही तो हमें शिकायत है कि आप ठीक से बजट नहीं बनाते हैं और जब पूरा बजट लाते हैं तो फिर डैफिसिट बनाते हैं जिससे आप जनता पर खूब टैक्स लगा सकें। यह नहीं होना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो प्रदेश की हालत है वह सुधरे। यह प्रदेश वह प्रदेश है जो तमाम देश को एक उच्च परम्परा देता रहा है, सारे देश की अगुआई करता रहा है। उत्तर भारत बंगाल, बिहार और पंजाब को छोड़ कर उत्तर प्रदेश ही है जहां पर आप अपनी सरकार कायम कर सके हैं। बहुत जगहों पर संयुक्त विरोधी दल बन रहा है। आसाम में संयुक्त दल बना है और और जगहों में भी बना है। आप इन पर कटाक्ष मत कीजिये। बजाय इसके कि आप हम में से खरीद फरोख्त करो, हमको तिरस्कृत करो, सताओं, डराओ, धमकाओ, आप सहयोग लो और सहयोग दो अगर जनतंत्र की रक्षा करना चाहते हो। वरना जब सरकारें बदला करती हैं कहीं भी दुनिया में तो तारीखें पहले से निश्चित नहीं होती, किसी को पता भी नहीं रहता कि किस दिन क्या होगा। सब जगह अनायास ही होता है और यहां भी होगा, न आप को पता होगा और न हमको पता नहीं कौन कहां चला जाय। आप को ऐसे काम करने चाहिये जिससे थोड़ा सा लाभ प्रदेश की जनता उठा सके। दुद्धी तहसील को देख लें। ग्रामवासी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष वहां के कहते हैं, मेरे पास भी शिकायत आयी है रेडियो की सूचना को उन्होंने कहा है कि २० फीसदी झूंठ है। इसलिये मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी वहां की हालत को खुद देखें। परसों मैं एक दर्दनाक घटना देख कर आया हूं। मेरे जिले की घटना है दादरी कस्बे में भूचाल से जैसे शहर गिराया जाता है, उसी तरह से वहां के लोगों को उजाड़ा जा रहा है और जो लोगों के जिस्म सूजे पड़े हुये हैं और जिनको फिर शरणार्थी बना दिया गया है माननीय मुख्य मंत्री जी, आप खुद दादरी कस्बे को देख लें। दूर नहीं है। यह जुल्म क्यों हो रहा है, किस के आदेश से हो रहा है कोई नहीं जानता। जो १९४७ में शरणार्थी होकर आये थे उनको फिर १९६७ में उजाड़ा जा रहा है, तबाह किया जा रहा है।

आप प्रशासन को सम्भालो, जनता क्या कह रही है, आप के बारे में उसको भी जरा देखो। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि हम सहयोग देंगे जनतंत्र की रक्षा के लिये मगर आप सहयोग लेने के से काम करो। हमको तोड़ो जोड़ो नहीं। हम तो गांव के आदमी हैं जब टीम बराबर की नहीं होती तो दूसरी टीम में जा कर मिल जाते हैं, जिससे खेल तो अच्छा हो।

कल माननीय प्रताप सिंह ने एक बात कही थी जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अगर पैसे से खरीद फरोख्त रही तो विदेशी लोग हमारे देश को गिरवी रख सकते हैं, जनतंत्र फिर कहां रहेगा। हम और आप भी नहीं रहेंगे। दुनिया की आंखें आप पर लगी हुई है। हम चाहते हैं कि लोक तंत्र की सही परम्परायें कायम रहें और इसीलिये विरोधी दल पूर्ण रूप से सहयोग देगा। हम तो आप की चुनौती स्वीकार करने के लिये इकट्ठा हुए हैं। मैं आप का ठोकर मारा हुआ हूं, मैं सब का कृतज्ञ हूं कि आप लोगों ने थोड़ा सा मौका दिया है कि प्रदेश की सेवा कर सकूं। यही मैं चाहता हूं लेकिन आप हमको सतायें नहीं, हमारा सहयोग लें।

श्री अध्यक्ष—

साधारण सदस्यों को मैं १० मिनट दूंगा।

*श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैं अपने माननीय मित्र श्री विकल जी को इस बात के लिये बधाई दे सकता हूं कि वे इस सदन के विरोधी दल के नेता चुने गये और इसलिये भी बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में पहले पहल उन्होंने एक संयुक्त विधायक दल की स्थापना की। लेकिन मुझे दुख है कि मैं उनको बधाई नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि आज विरोधी दल के नेता की हैसियत से जो बात उन्होंने कही है वह न्यायपूर्ण नहीं है। इनका यह मुख्य आरोप है कि कांग्रेस सरकार को इस सदन में बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है और अपने इस आरोप का आधार वह यह मानते हैं कि चूंकि इस सदन में कांग्रेस की सिंगिल मैजोरिटी पार्टी है, यानी समस्त विरोधी दल के जो सदस्य चुन कर आये हैं उनसे अकेले कांग्रेस मैजोरिटी में नहीं आयी है, इसलिये वह कहते हैं कि इस कांग्रेस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है इस सदन में बैठने के लिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वह विरोधी दल के हिसाब से इस बात को कहते हैं, और हमारे देश में बहुत से विरोधी दल की सरकारें कम से कम ६ राज्यों में स्थापित हुई हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक या नैतिक स्टैन्डर्ड जो है वह एक सा ही सारे देश में रहेगा या उत्तर प्रदेश में अलग ही से बनेगा? मैं समस्त विरोधी दलों से, अपने प्रदेश की जनता से और समाचार पत्रों से जानना चाहता हूं कि केरल में नम्बूदरीपाद की सरकार बनी है तो क्या वह लेफ्ट कम्युनिस्टों की सिंगिल मेजारिटी से बनी है? बंगाल में मुखर्जी की सरकार बनी है उसमें २०० से अधिक के हाउस में ४० सदस्य बंगला कांग्रेस के हैं। बिहार में महामाया प्रसाद की सरकार बनी है उसमें भी २०० से ऊपर के सदन में २६ सदस्यों के वे नेता हैं। केरल में नम्बूदरीपाद की सरकार बंगाल में मुखर्जी की सरकार तथा बिहार में महामाया प्रसाद जी की सरकार अगर कई-कई पार्टीज से मिल कर बनाई जा सकती है और उसे लोकतांत्रिक सरकार माना जा सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो सबसे बड़ी मेजारिटी पार्टी है अपनी सरकार अगर कुछ निर्दलीय सदस्यों तथा कुछ विरोधी दलों के सदस्यों के सहयोग से बना लेती है तो वह किस कसौटी से अलोकतांत्रिक हो जाती है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय।

माननीय विकल जी कह रहे थे कि संयुक्त विरोधी दल बना है जो बहुत सी पार्टियों को मिला कर बना है। वहां कांग्रेसियों को उपाहासास्पद दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। लेकिन यह बात भी सत्य है कि कम्युनिस्ट पार्टी के झारखंडे राय जी, जो उधर बैठे हैं, वे जिन लोगों के पास मत मांगने गये उन्होंने जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी का विरोध किया उसी प्रकार से जनसंघ और स्वतंत्रपार्टी का भी विरोध किया है। क्या यह सही है कि किसानों में जाकर उन्होंने यह प्रचार किया कि जनसंघ धर्मान्ध पार्टी है और स्वतंत्र पार्टी राजा महाराजाओं की पार्टी है और कम्युनिस्ट पार्टी किसान मजदूरों की पार्टी, इसलिये उनको वोट देना चाहिये। जनता ने विशेष नीतियों के अन्तर्गत उनको वोट दिया था लेकिन आज जब कम्युनिस्ट पार्टी जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी से मिल कर संयुक्त विधायक दल बना रही है तो क्या उसने जनता के बीच जाकर यह आशीर्वाद प्राप्त किया कि विशेष परिस्थितियों के वशीभूत हो कर उसने संयुक्त विधायक दल बनाया है। जब विशेष राजनीतिक परिस्थिति में न कर संयुक्त विधायक दल ने अपने अपने राजनीतिक सिद्धान्तों तथा संघर्षों को छोड़ कर एक दल की स्थापना की है और उसको आप स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा मानते हैं।....

श्री उग्रसेन—

आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, संयुक्त दलों कीसरकार नहीं है?

श्री कृष्णानन्द राय—

और केरल, बंगाल तथा बिहार में अनेक दलों को मिला कर जो सरकारें बनायी गयी हैं उसको अगर आप स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा मानते हैं तो ठीक उसी कसौटी को दृष्टि में रख कर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, जो कुछ निर्दलीयों की सहायता लेकर बनायी गयी है, भी स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा पर आधारित है। मैं इस अवसर पर उन निर्दलीय विधायकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

को और कुछ विरोधी दल के सदस्यों, जो कांग्रेस को सहयोग द रहे हैं, बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को देखते हुये उत्तर प्रदेश में एक स्टेबिल सरकार बनाने में सहयोग प्रदान किया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

शान्त रहिये। आपस में बातचीत होती है तो वादविवाद व्यवस्थित रूप से चल नहीं पाता है।

श्री कृष्णानन्द राय---

आपके हल्ला मचाने से तो हमारा वक्तव्य बन्द नहीं होगा। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि जैसे आप लोगों की कड़ी से कड़ी बात हम शान्तिपूर्वक सुनते रहे वैसे ही आप भी हमारी बात सुनिये।

श्री अध्यक्ष---

सभी माननीय सदस्य अगर अपने अपने स्थान से बोलेंगे तो फिर सदन का काम कैसे चलेगा ?

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं उन सभी आदरणीय सदस्यों को चाहे वे निर्दलीय के रूप में हों या विरोधी दल के सदस्य हों इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक अवस्था को देखते हुये यहां पर एक सुदृढ़ सरकार बनाने के लिये कांग्रेस को सहयोग दिया है। अभी विरोधी दल के नेता साहब ने यह कहा कि यदि उनकी सरकार बन गयी होती तो वे इस प्रदेश का सारा लगान माफ कर देते और बहुत से टैक्स माफ कर दिये होते। यह तो उनकी अच्छी आकांक्षायें हैं। वह क्या किये होते और क्या न किये होते यह तो जब उनकी सरकार बनी होती तब परिस्थितियों को देख कर करते। लेकिन उनकी सूचना के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिन छः प्रदेशों में विरोधी सरकारें स्थापित हुई हैं उनमें किसी में भी इनका जो मिनिमम प्रोग्राम है वह लागू नहीं हुआ है। बिहार में भी सूखे की दृष्टि से ही लगान स्थगित किया गया है लेकिन अभी सारे लगान की माफी की घोषणा नहीं कर सके हैं। यह अवश्य है कि जैसी जैसी परिस्थितियां पैदा होंगी, जिस तरह से देश में और दलों की सरकारें कार्यक्रम लेती जायंगी वैसे वैसे कांग्रेस सरकार भी, जो हमेशा से प्रोग्रेसिव सरकार रही है, उन प्रश्नों को लेती जायगी।

एक चीज की तरफ मैं और भी आपका ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं। वह एक वैधानिक प्वाइंट है। इस लेखानुदान के बारे में माननीय विकल जी और माननीय झारखंडेराय जी ने सदन में यह कहा कि राज्यपाल महोदय के सम्मुख यह प्रश्न आया था कि यह लेखानुदान तीन महीने का हो या दो महीने का हो और हम लोगों के सामने जो प्रस्ताव आया है उसमें राज्यपाल महोदय के लेखानुदान के अनुसार इस प्रकार के शब्द दिये हुये हैं। संविधान के आर्टिकिल २०६ के अनुसार जहां तक ऐडवांस मांगने का प्रश्न है उसमें राज्यपाल साहब कहीं भी चित्र में नहीं आते। आर्टिकिल २०२ में यह जरूर दिया हुआ है कि सारे वर्ष का बजट तो राज्यपाल महोदय की संस्तुति के अनुसार सदन में प्रस्तुत होता है लेकिन उस एस्टीमेट के किसी प्रोपोशन को किसी अवधि के लिये रखने का सदन को पूर्ण अधिकार है, चाहे राज्यपाल की सिफारिश हो या न हो। सदन जितने दिनों के लिये चाहे लेखानुदान मांग सकता है। यह प्राविजन आर्टिकिल २०६ में है। वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय का जो नाम लिया है वह ठीक है लेकिन संविधान के अनुसार कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय प्रताप सिंह, मैं आपका आवाहन करता हूं लेकिन इसके पहले एक बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा जो वाद विवाद चल रहा है उसकी एक परिधि है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हम परिधि को अधिक लांघ रहे है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अब जो माननीय सदस्य बोलेंगे, हमारी जो साधारण चर्चा इस समय होगी वह जो सामान्य बजट पर चर्चा होती है या जो राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस होती है उससे कुछ भिन्न है इसमें बहुत विवाद न होकर केवल उतना उल्लेख करना चाहिये जो अनुदानों के सम्बन्ध में आवश्यक हो। मैं आशा करता हूं कि जो माननीय सदस्य अब बोलेंगे, वे कृपया इस बात को ध्यान में रखेगें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

लेकिन जो बात उधर से कही जाय उसकी चर्चा तो की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो ठीक है, लेकिन अभी तक मैंने रोका नहीं था।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे वोट आन अकाउन्ट पर यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखते हैं तो बहस नहीं हो सकती है लेकिन हमने अपने यहां एक परम्परा कायम की है कि हम इस पर बहस कर सकते हैं। विरोधी दल को शंका है क्योंकि ४ महीने के लिये बजट मांगा जा रहा है। हाउस आफ कामन्स में यह आया था तो जस्टीफाइड सस्पीशन कहा गया था। हमें भी यही शंका है कि आज जो रुपया मांगा जा रहा है उसका ठीक ढंग से खर्च होगा या नहीं। दूसरी हमारी शंका यह है कि माननीय चन्द्रभानु गुप्त जो राजनीति के मंजे हुये खिलाड़ी है, वह असेम्बली को चार महीने तक बुलायेंगे या नहीं। यह चीज साफ हो जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जब माननीय चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री हुये तो उन्होंने कौंसिल हाउस के आगे चार लाख कर्मचारियों को सम्बोधित किया था। हम जानना चाहते है कि कर्मचारियों के साथ सरकार का क्या समझौता हुआ। हमें पता तक नहीं चला और वे भाषण दे कर आ गये। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि कर्मचारियों की छटनी नहीं होगी या उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आज मैंने अखबार में पढ़ा कि सात हजार कर्मचारियों को नोटिसेज चले गये हैं। इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये।

तीसरे यह कि वित्त मंत्री जी से हम चाहते है कि कोई निर्णय लेने से पहले विरोधी दल के कहने का भी ध्यान रखा जाय। दुर्भिक्ष के लिये बहुत कम रुपया मांगा गया है। केवल २५,६६५ रुपया मांगा गया है। इसमें ज्यादा रुपया मांगा जाना चाहिये था। इधर उनका ध्यान जाना चाहिये। वोट आन अकाउन्ट यानी लेखानुदान आता है तो उसमें कुछ मेजर ग्रांटस आती हैं। हाउस आफ कामन्स में एक दर्जन ग्रांट से ज्यादा नहीं आई। न्याय प्रशासन की ग्रांट है जिसमें दो लाख के करीब रुपया है। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि आज ही जुडिशियरी के एक्जीक्यूटिव से सैपेरेशन की घोषणा होनी चाहिये। अगर न्याय की रक्षा करना है तो घोषणा होनी चाहिये।

चौथी बात यह है कि शिक्षा की ग्रांट में ३९ लाख २३ हजार के करीब रुपया रखा गया है। मैं माननीय गुप्ता जी को २० जून, १९६५ की याद दिलाना चाहता हूं जब नैनीताल के कालेज को उन्होंने ऐड्रेस किया था। उसमें अध्यक्ष महोदय भी इनवाइटेड थे। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरठ और कानपुर यूनिवर्सिटी से पहले कुमायूं यूनिवर्सिटी बननी चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी इसकी भी घोषणा करें। इसके अलावा नियोजन के लिये करीब १७ लाख रुपया रखा गया है। जो हमारे ब्लाक्स है वे They are the commune of congress और जिस नीति से खोले गये थे वह काम आज हो गया है। इसलिये

[श्री प्रतापसिंह]

मैं चाहता हूं कि सब ब्लाक्स बंद होनी चाहिये और उसका सारा स्टाफ और रुपया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर लगना चाहिये। उनको बन्द कर दिया जाय जिससे इनका दुरुपयोग न हो सके और योग्य अधिकारियों को उचित स्थान दिये जायं।

एक तरफ तो आप अन्न उपजाओ आन्दोलन की बात करते है और वेलफेअर स्टेट की बात करते हैं। दूसरी तरफ आपने सात हजार किसानों को बेदखली के नोटिसेज दे रखे हैं। थारू और बुक्साओं को बेदखल किया जा रहा है। किसी वेलफेअर स्टेट में बेदखली की अदालत नहीं बनती है बल्कि किसानों को जमीन देने के लिये बनती है। थारूओं के लिये डैमेज आपने दो हजार रखा वह कहां से देंगे? हिन्दुस्तान के बंटवारे के बाद शरणार्थी जो पंत जी की आज्ञा से आये उनके ऊपर भी बेदखली के नोटिस हैं। दोनों में विरोधाभास है। इलेक्शन से पहले तो इनको रोकने की बात कही जाती है और इलेक्शन के बाद यह फिर से जारी हो गये हैं।

अब मैं ज्यादा न कहते हुये एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें दुर्भिक्ष के लिये कोई ग्रांट नहीं है। शक्ति फार्म में बंगालियों के पांच सौ परिवार है जिनके पास जमीन नहीं है। वे दस साल से बसे हैं। एक नाला वहां आ गया है जिसमें आधा फार्म बह गया है। शक्ति फार्म कैसे बसा? केवल राजा साहब भदरी को ओब्लाइज करने के लिये रेतीली जमीन बंगालियों को दे दी गयी। उसके बाद सुचेता कृपालानी कभी नहीं गयीं। माननीय मुख्य मंत्री तो चुनाव के दौरान में वहां गये थे। विरोधी दल के सदस्य, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जनतन्त्र की प्रणाली और उसकी परम्पराओं को स्थापित करने में सहयोग देंगे, लेकिन सरकार में भी सहयोग पाने की क्षमता होनी चाहिये। आज जब तक लालफीताशाही खत्म नहीं होगी तब तक ऐडमिनिस्ट्रेशन चल नहीं सकता। आज यह बजट मांगा जा रहा है कि वह इस्तेमाल करेंगे। लेकिन होता यह है कि मार्च में जब दस दिन रह जाते हैं तो हर विभाग को तार चला जाता है कि इसको खर्च कर दो। यह बजेटरी सिस्टम जिसमें तीन महीने कंस्ट्रक्शन वर्क में लगते हैं और ९ महीने फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और मिनिस्टर की मेज पर लग जाते है, बदलना होगा तब उम्मीद की जा सकती है हमारा काम ठीक होगा। हम लोग जो रायल होटल में रहते हैं उसका गंदा पानी, जिस सड़क पर जनता चलती उस पर बहता है। मैं आज अपना कमरा छोड़ रहा हूं। मैंने एक खत लिखा था, ऐडमिनिस्ट्रेटिव इफीशेंसी यह है कि फरवरी, १९६२ तक का वेतन आज तक नहीं मिला। १०८ श्री जैपुरिया साहब बैठे है। उन्होंने "नो ड्यूज" सर्टिफिकेट नहीं दिया, बावजूद इसके कि असेम्बली डिपार्टमेंट से लिखा गया। शायद उनको यह उम्मीद होगी कि जीत कर नहीं आयेगा। हम तो जीत कर फिर आ गये। हम तो बन्दूक वाले आदमी हैं नहीं, हाथ जोड़ने वाले है। मुझे विश्वास है कि बहुगुणा जी अपना अंकुश लगायेंगे।

*श्री कल्पनाथसिंह—

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत लेखानुदान का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अब तक मैंने तीन माननीय सदस्यों के भाषण सुने। एक माननीय नेता विरोधी दल का। दूसरा माननीय प्रताप सिंह का और माननीय कृष्णानन्द राय जी का। माननीय नेता विरोधी दल ने बड़ी प्रजातन्त्र की दुहाई दी। अगर प्रजातन्त्र की बात कहनी है, तो प्रजातन्त्र दलों से चलता है। अगर दलों में यकीन न रखने वाले लोग प्रजातन्त्र की दुहाई दें तो क्या होगा प्रजातन्त्र का, भगवान जाने। मैं उन लोगों को छोड़ सकता हूं जो दलों में विश्वास रखते हैं। अगर दलों की संख्या कम हो जाय, दो ही हो जायं तो शायद प्रजातन्त्र अच्छी तरह से चलता है। वैसे महामाया प्रसाद की या बंगाल की बात कहना . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप का पहले ध्यान आकर्षित किया था कि साधारण विवाद में बहुत लम्बे में न जायं। केवल अनुदानों तक सीमित रखें। एक बात जो परिधि के बाहर है उसका जवाब हो चुका। उसका इशारतन जवाब काफी होगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही, मैंने तो केवल यह कहा.....,

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, आप के कहने पर भी बार-बार वही बात कही जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे रहें, यह तो मेरा काम है। मेरा काम यदि आप करने लगेंगे तो उचित नहीं होगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं तो इसलिये कह रहा था कि प्रजातन्त्र से कुछ बातों का मौलिक तौर से सम्बन्ध है और दूसरी बात श्रीमन्, मैं इसलिये भी कहना चाहता हूं कि जैसा हमारे प्रताप सिंह जी ने कहा, उन्होंने शुबहा किया। शुबहे की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। लेकिन जहां इस बात का सवाल है, वोट आन एकाउन्ट के बारे में अभी आपने एक बात कही, वह खुद कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में यह परम्परा है, लोकसभा में है, उसका प्राविधान संविधान में है और संविधान के अनुच्छेद के अनुसार हमारे वित्त मंत्री जी ने इसकी मांग की। कुछ दिन तक तो यह भी परम्परा रही है कि इस पर बहस भी नहीं होती थी और होती भी थी तो वह संक्षिप्त होती थी। आज जो हो रहा है वह शायद आगे आने वाले दिनों के लिये हो रहा है तो शायद अच्छा हो रहा है। आने वाले दिनों में पता नहीं इस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। प्रतापसिंह जी ने सचमुच ठीक कहा कि हो सकता है कि भविष्य में वित्त मंत्री जी को और बजट की आवश्यकता हो। इसका मतलब है कि सदन और पैसा देने के लिये तैयार है और यह भी निश्चित है कि आप लेखानुदान की मदों को देखें तो कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसमें बहस की गुंजाइश हो, नहीं तो चार महीने के समय के बारे में यह तो है ही और न जो आइटम्स हैं वही ऐसे हैं जिनमें बहस की गुंजाइश हो। माननीय सदस्य इस मद को देखें, इस प्रसंग को देखें, लेखानुदान के चैप्टर को देखें तथा साथ ही संविधान और प्रक्रिया नियमावली को देखें और जो सदन की परम्परा रही है उसे सब लोग मान जाएं तो बहुत अच्छा हो और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस लेखानुदान को पारित करने की कृपा करें। इसके लिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं जो उन्होंने ४ महीने का लेखानुदान सदन में पेश किया। मैं मुख्य मन्त्री जी और वित्त मंत्री जी को इसके लिये भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश में एक स्टैबेल सरकार की स्थापना की और जनता विश्वास प्राप्त किया। उसने जनता का बहुमत प्राप्त करके प्रदेश को अराजकता की दिशा में जाने से बचाया। इसके लिये मैं सरकार और नेता सदन का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रदेश की जनता दूसरी पार्टी की सरकार बनाना चाहती थी। यदि ऐसा होता तो जनता उनको अवश्य बहुमत में चुन कर भेजती। लेकिन जनता ने उन्हें बहुमत न देकर कांग्रेस को ही बहुमत सदस्यों के दल के रूप में चुन कर सत्ता पर बैठाया है। इसका मतलब यह है कि जनता चाहती है कि यह सरकार रहे और समाजवादी व्यवस्था में उसकी आस्था है।

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

क्या आप का वास्तव में इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

जी हां ।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा कहिये और आप माईक का प्रयोग कीजिये, और यदि वह ठीक काम न कर रहा हो तो आप आगे आ जाइये ।

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

श्रीमन्, आपने बराबर निर्देश दिया और रोका है कि इस तरह का भाषण न दीजिये और बजट से सम्बन्धित भाषण दीजिए और मैं भी समझता हूं कि माननीय सदस्य को बजट के प्वाइंट पर बोलना चाहिये । यों ही सदन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिये । मैं यहां पर बैठ कर इस तरह की चाटुकारिता और समाजवाद की थोथी प्रशंसा सुनने के लिये तैयार नहीं हूं । इसमें मक्खनबाजी टपक रही है और कोई बात नहीं कही गयी है । लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य इस तरह की बातें न करें । यहां पर ठोस सुझाव रखें ताकि हम भी उन को सुन सकें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न को सुनकर मुझे आश्चर्य नहीं है । माननीय सदस्य अभी नये सदस्य पहली बार चुनकर सदन में आये हैं । हमारे सदन की कुछ परम्पराएं रही हैं और उन परम्पराओं को हमें अपने सामने रखना चाहिये । हमारी परिधि की एक बारीक लाइन रहती है लेकिन उस परिधि के बारे में हर एक शब्द पर टोका नहीं जा सकता । अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनका समय समाप्त हो चुका था और आगे उनको थोड़ा ही कहना था । माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । वह मेरे विवेक की चीज है । अगर इस तरह माननीय सदस्य अपने अधिकार का इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर ठीक नहीं रहेगा ।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता था कि इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुनकर प्रदेश का हित ही किया है । इन शब्दों के साथ मैं इस लेखानुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)--

श्री अध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्दराय जी ने बिहार, पंजाब और बंगाल में बिरोधी दलों द्वारा संयुक्त दल की सरकार बनाने के बारे मे चर्चा की, लेकिन वह भूल गये कि यहां पर जो सरकार बनी है.....

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य बजट पर न बोल कर किसी सदस्य के भाषण की आलोचना कर रहे है । इस तरह की आलोचना नहीं होनी चाहिये । यह स्वस्थ परम्परा नहीं है कि हम किसी सदस्य के भाषण की आलोचना करें । बजट का मेन सब्जेक्ट हमारे सामने है उसी पर हमको बोलना चाहिये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे खेद है कि इस तरह की आपत्ति को आप व्यवस्था का प्रश्न समझते हैं। किसी माननीय सदस्य को भाषण की आलोचना करने का पूर्ण अधिकार है। उन भाषणों की आलोचना करके ही अपना तर्क कोई रख सकता है। कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिये। अगर यहां किसी की राय की आलोचना नहीं करेंगे तो हम सही सुझाव नहीं रख सकेंगे।

श्री रमाशंकर अग्रवाल--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अगर माननीय कृष्णानन्द जी यह घोषणा करते या उनके नेता सदन यह घोषणा करते कि हम कोलीशन मिनिस्ट्री बनायेंगे और हम विरोधी दल के सदस्यों का सहयोग लेंगे तो हम उस का स्वागत करते और उस प्रयास की प्रशंसा करते, लेकिन जिस तरह से खरीद फरोख्त की गई है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का सहारा लिया गया है उसकी कभी प्रशंसा नहीं की जा सकती। जो सरकार भ्रष्टाचार के आधार पर बनी है वह ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। वह भ्रष्टाचार को भी समाप्त नहीं कर सकती है और वह न जनता की आंकाक्षाओं को पूरा कर सकती है। मैं जानता हूं कि मेरे क्षेत्र के एक माननीय सदस्य नेकराम जी शर्मा किसी तरह से कांग्रेस के विरोध में क्षत्र में बातें किया करते थे.....

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया लेखानुदान पर बोलिये।

श्री रमाशंकर अग्रवाल--

मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं यह समझता हूं कि कांग्रेस के विरोध में उन्होंने जनता से वोट मांगा है और कांग्रेस के विरोध में ही वह चुन कर आये हैं। यदि वह जनमत का उल्लंघन करके कांग्रेस के साथ चले गये हैं तो यह कोई अधिक स्वस्थ परम्परा नहीं डाल रहे हैं। अगर वह कोई स्वस्थ परम्परा डालते तो हम उसका स्वागत करते। आज मैं नेता सदन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वह अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर के जनता में घोषणा करें कि उनके दल की स्पष्ट स्थिति क्या है। कितने उसमें सदस्य हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं। बहुत से निकाले हुये कांग्रेसी सदस्यों को उन्होंने अपने दल में शामिल कर लिया है। यह अधिकार यहां नेता सदन को नहीं है। यह अधिकार तो कांग्रेस के हाई कमांड को है और क्या जिन लोगों को उन्होंने दल में शामिल करना घोषित किया है....

श्री अध्यक्ष--

अब आप विषय पर आ जाइये।

श्री रमाशंकर अग्रवाल--

मान्यवर, मैं आ रहा हूं। तो मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा उनसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे कम से कम दलीय स्थिति को स्पष्ट करें। मान्यवर, बजट के संबंध में मुझे यह कहना है कि १९६० से लेकर १९६५ तक के जो बजट आये थे वे घाटे के बजट थे और १९६६ की आडिट रिपोर्ट जो है उस में यह बताया गया है कि वे बजट घाटे के प्रस्तुत किये गये किन्तु बाद में वे बचत के बजटों में परिणत हो गये। मान्यवर, यह परम्परा बिल्कुल गलत है क्योंकि इसके आधार पर ही सरकार टैक्स लगाने का अधिकार प्राप्त करती है और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भूमि भवन कर लगाया गया, उत्तर प्रदेश में इसी आधार पर प्रोफेशन टैक्स लगाया गया, इसी आधार पर यहां लैण्ड पर सरचार्ज लगाया गया यह कह कर कि रुपये की कमी है। लेकिन इस व्यवस्था में वे बचत के बजट निकले। आडिट रिपोर्ट में भी इसकी आलोचना की गई और मैं समझता हूं कि इस परंपरा को समाप्त किया जाना चाहिये।

मान्यवर, १९६६ की आडिट रिपोर्ट के कुछ और तथ्यों को मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। जो धन आज हम से मंजर कराया जा रहा है चार महीनों के लिये उसकी सुरक्षा

[श्री रमाशंकर अग्रवाल]

की क्या व्यवस्था होगी ? आज यह आडिट रिपोर्ट बतलाती है कि राज्य विद्युत् परिषद् को सन् १९६४-६५ के काल में २४ विभागों में ३ लाख ९० हजार रुपये के मूल्य के तारें के तार और ट्रान्सफार्मर्स की आवश्यकता थी। इसी साल में १९६४-६५ में एक कलकत्ता की फर्म ने जो इनके लिये टेंडर दिया वे नियमानुकूल थे और निम्नतम टेंडर थे, लेकिन उन को अस्वीकृत कर दिया गया और इस कारण से ४ लाख ५४ हजार की हानि हुई जब कि उस कलकत्ते की फर्म ने बंगाल और राजस्थान में इसी प्रकार के ट्रान्सफार्मर्स सप्लाई किये थे और वहां से उसे अच्छे काम के लिये सर्टिफिकेट प्रदान किये गये थे कि वह फर्म ट्रांसफार्मर्स सप्लाई करने में समर्थ है। उसे इसके लिये मान्यता प्राप्त थी। इस प्रकार चार लाख ५४ हजार रुपये का नुक्सान हुआ है।

इसी प्रकार से केन्द्रीय सरकार से डीजल तेल के उत्पादन शुल्क में जो छूट मिलती है उसे प्राप्त नहीं किया गया और इस प्रकार ४ लाख ५६ हजार रुपये का नुक्सान प्रान्तीय सरकार को हुआ। इसी तरह से यह कुल मिला कर १३ लाख का नुकसान केवल विद्युत् परिषद् के द्वारा हुआ और इसके लिये आज तक कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गयी और न किसी प्रकार का दंड किसी अधिकारी को दिया गया। विद्युत् परिषद् की हालत यह है कि वहां पर कोयले की खपत बढ़ती चली जा रही है और उत्पादन की क्षमता घटती चली जा रही है। यह उन संस्थाओं का हाल है कि जो हमारी सरकार के द्वारा चलायी जा रही है। आज हम से धन की मांग की जाती है और अधिक से अधिक धन की मांग की जाती है, लेकिन हमारे प्रदेश का शासन बिलकुल गिरता चला जा रहा है। जिस योजना के नाम पर हम से धन मांगा जा रहा है उस योजना के पूरा होते होते बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, मंहगाई बढ़ती चली जा रही है। आज हमारा प्रदेश भुखमरी से पीड़ित है। आज हमारे यहां भूख के कारण मौतें हो रही हैं। आज हमारे यहां भूख के कारण आत्महत्या हो रही हैं। हम को आशा थी कि सरकार इस भुखमरी को रोकने के लिये, इस मंहगाई को रोकने के लिये स्पष्ट कार्यक्रम घोषित करेगी, लेकिन सरकार ने कोई स्पष्ट कार्यक्रम इस मंहगाई को रोकने के लिये घोषित नहीं किया। कोई कार्यक्रम इस भुखमरी को रोकने के लिये घोषित नहीं किया। मैं केवल यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार द्वारा १९६४ में भी रेड्स किये गये थे और १९६६ में भी रेड्स किये गये थे, लेकिन उनके मुकदमे आज तक तय नहीं हुए हैं। उनका अनाज जो दो साल तक सील बन्द पड़ा रहा वह सड़ गया। जब वह वापस किया गया तो खाने के काबिल नहीं था। वह अनाज उस समय जनता को वितरित नहीं किया गया। आज भी जो रेड्स किये गये हैं उन का अनाज जनता में वितरित नहीं किया गया।

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक धारा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा था कि कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं उन की जानकारी के लिए जाब्ता फौजदारी की दफा ५१६-ए बतलाना चाहता था। उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो पेरिशेबिल गुड्स हैं यदि वे इस प्रकार पकड़े जायं तो उनको उसी समय आक्शन किया जा सकता है, उन का नीलाम किया जा सकता है और उन की कीमत अदालत में जमा की जा सकती है और अगर वह फरीक मुकदमा हार जाता है तो वह कीमत जब्त हो जायगी अन्यथा वह उसे वापस कर दी जायगी। नहीं तो जहां पर रेड्स होते हैं वहां पर गल्ला मार्केट से चला जाता है और मिलता नहीं और मंहगाई बढ़ जाती है। ७० रुपये मन के भाव से उपलब्ध नहीं होता है। तो जहां सरकार कोशिश करती है कि उपलब्ध हो वहां वह गायब हो जाता है।

साथ ही जहां रेड्स करायी जा रही हैं वहां महापालिकाओं के दो साल से चुनाव नहीं कराये गये और ५ बड़े नगरों में स्वायत्तशासन से जनता को वंचित रखा गया है और वहां चुनाव कराने के लिये कोई घोषणा नहीं की गयी। मैं आग्रह करुंगा कि वह घोषणा करेंगे कि उन ५ महानगरों में, जो प्रदेश के सब से बड़े नगर हैं उन को स्वायत्त शासन देने के लिये शीघ्र ही घोषणा करेंगे। मान्यवर, आज प्रदेश की जनता भूमि भवन कर, प्रोफेशन टैक्स और अलाभकर लगान से बहुत त्रस्त है। मैं आशा करता हूं कि जैसा संयुक्त दल के कार्यक्रम में था उससे प्रेरणा लेकर इनको समाप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठायेंगे और हम उसका स्वागत

करेंगे। लेकिन जो अनुदान हमसे मांगे गये हैं वह निराशाजनक हैं। न उसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है और जो शिक्षक भूखा मर रहा है जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, न उसके लिए कोई व्यवस्था की गयी है। ऐसी स्थिति में हमें इसका स्वागत नहीं करना चाहिए। शिक्षकों की हड़ताल के समय जो आश्वासन दिये गये थे और सरकारी कर्मचारियों की बैठक में जो आवश्वासन दिये गये थे, हमें भय है कि शायद उनको पूरा नहीं किया जायगा। इसलिये मैं उन अनुदानों का घोर विरोध करता हूं।

श्री जवाहरलाल जाटव (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो लेखानुदान सदन के विचाराधीन है, मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता हूं कि इस समाज कल्याण की मद में जो हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सहायता देने की व्यवस्था की गयी है, वह उनकी आर्थिक हालत को देखते हुए बहुत कम है। बहुत सी मदें काट दी गयी हैं और बहुत सी मदों में बहुत सी रकम कम कर दी गई हैं। इसलिए मेरा सरकार स निवेदन है कि या तो इसी लेखानुदान में पैसे की बढ़ोत्तरी करें या जो दूसरा बजट १९६७-६८ जिसको पेश किया गया है, उसमें धन की उचित व्यवस्था करें।

प्रदेश की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो ऊंच-नींच का भद-भाव है उसको समाप्त करने के लिये कोई सामाजिक संस्था प्रदेश में नहीं है। हरिजनों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रचार का काम करें। पहले सरकार की तरफसे यह व्यवस्था थी कि हरिजन सम्मेलन प्रत्येक जिले में किये जाते थे, सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिलता था और कुछ हरिजन कार्यकर्ता अपना पैसा इकट्ठा कर लेते थे और काम चल जाता था, लेकिन पिछले साल में और इस चालू साल में और अगले साल में वह रकम बिलकुल उड़ा दी गयी है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह एक जनतांत्रिक सरकार के नाते, समाज सुधार के नाते इस रकम को पुनः रख दे। साथ ही सरकार ने २५ फीसदी लगान माफ करने की घोषणा की है, मैं उसकी सराहना करता हूं, लेकिन साथ ही साथ शहर के रहने वाले नागरिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनके ऊपर भूमि और भवन-कर का जो भार है वह असह्य है। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से देहात के किसानों का २५ प्रतिशत लगान माफ किया है उसी तरह इस भूमि भवन-कर को भी माफ करें। मेरा खयाल है कि यह सरकार का कल्याणकारी कदम होगा विशेषतः आजकल की परिस्थितियों में जब कि शहरी क्षेत्र के नागरिकों के सामने आर्थिक संकट है। मैं पुनः लेखानुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव रखे हैं इन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री झारखण्डेराय—

अध्यक्ष महोदय, जनता की भावना और उस की भाषा को शासकों को समझना चाहिये। आजादी के दस साल बाद जब केरल में कम्युनिस्ट सरकार बनी थी तो कांग्रेस शासकों को इस बात का मौका मिला था कि वह समय को समझती। लेकिन उन्होंने समझने से इन्कार कर दिया और उसी का फल है कि हिन्दुस्तान के आधे हिस्से में कांग्रेस शासन समाप्त हो गया। इसका कारण बीस साल की वे नीतियां रही हैं जिनसे हमारे देश में ही नहीं हमारे प्रदेश में भी मंहगाई, बेकारी बढ़ी है, पैसों का बोझा बढ़ा है और जनता की परेशानियां बढ़ती गई और इनमें कमी होने की स्थिति भी नहीं आई। जो दुर्गति जिस बिन्दु पर पहुंच गई वह वैसी रही। दिन प्रति दिन हालत बद से बदतर होती गई और उसी का नतीजा है कि आज जनता की भावनाओं का इजहार हो रहा है। जनता परिवर्तन चाहती थी और इसलिये पिछले दो सालों में हमारे देश के कोने-कोने में जितने आन्दोलन हुए जनता की भावनाओं के द्योतक स्वरूप, उतने कांग्रेस के बीस साल के शासन में नहीं हुए। मान्यवर, ठोकर से सीखना

[श्री झारखण्डे राय]

चाहिये। जब सर्वनाश हो जायेगा तो आदमी सीख कर क्या करेगा ? अभी जब राज्यपाल महोदय का भाषण हो रहा था तो हम लोग नहीं थे लेकिन उनके भाषण को पढ़ने के बाद जो चार आने अधिभार लगाया गया था उसके वापिस करने की घोषणा हुई है वह अच्छी बात है। उसका हम स्वागत करते हैं। हम उसे जनता के आन्दोलनों की विजय समझते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि ऐसे अवसर पर जब पिछले दो साल में हम इस बात की मांग करते रहे सदन में भी और बाहर भी, आन्दोलनों, प्रदर्शनों, घेरों और भूख हड़तालों और ज्ञापन पत्रों के जरिये यानी जितने भी शान्तिपूर्ण आन्दोलन के साधन उपलब्ध थे तो कांग्रेस पार्टी के शासक इस बात को मानने से इन्कार करते थे और एक ही बहाना और एक ही बात कही जाती थी कि रुपया कहां से आ येगा। आज मैं पूछता हूं मुख्य मंत्री और शासकों से कि अब रुपया कहां से आ गया ? इसका जवाब उनको देना चाहिये। यही बात आपने पहिले ही मान ली होती तो यह आज की दुर्गति न होती। माननीय जवाहर लाल जी जाटव ने भूमि भवन कर के हटा लेने के बारे में सुझाव प्रस्तुत किया है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी शहरी और उसके निकटवर्ती जनता भूमि भवन कर के भार से कराह रही है। मेरा छोटा सा गांव, अमिला है जहां चार हजार भूमि भवन कर था। इस साल सोलह हजार भूमि भवन कर लगा हुआ है। सारी गांव की जनता कराह और त्राहि-त्राहि कर रही है। रोज पूछ रही है कि हमलोग क्या करें। केवल किसानों पर जो बोझ था उसी से हाहाकार नहीं मचा, शहरी जनता पर भी जो कर भार पड़ा हुआ है उससे भी उन पर महान् आर्थिक संकट हो गया है। मैं भी पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूं कि भूमि भवन कर समाप्त होना चाहिये। अगर किसानों को राहत देनी है, हमारे देश में किसान ८० प्रतिशत के करीब-करीब हैं, किसान हमारे देश की राष्ट्रीय समस्या है। किसान जिधर सोचेगा, उधर धरती झुक जायेगी। इसलिए किसानों पर जो कर का भार है उसे कम किया जाना चाहिये। हमने सिंचाई की दर को भी आधा करने की मांग की। यदि आधा नहीं माफ हो सकता तो कम से कम चौथाई माफ हो। आज पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को, कार्य कर्त्ताओं को तुलनात्मक ढंग से देश की परिस्थितियों पर विचार करना पड़ेगा। बहुत से सूबों में नान-कांग्रेस गवर्नमेन्ट बनी है। उनकी नीतियों को बहुत गहराई से और तुलनात्मक ढंग से देखना पड़ेगा। उड़ीसा में दो दलों को मिला कर विशेष प्रकार की सरकार बनी है, केरल और बंगाल में लेफ्टिस्ट्स की सरकार बनी है, बिहार में संयुक्त मोर्चे की सरकार है, इन सब की नीतियों को हमें देखना पड़ेगा।

मान्यवर, आज जनता में ऐसी भावनायें पनप रही हैं कि अब यह सरकार भी बदल सकती है, दूसरी पार्टी वाले भी सरकार बना सकते हैं। आज स्वास्थ जनवाद की परम्परा पनप रही है। इसलिये मैं मौजूदा शासकों से अपील करूंगा कि वे स्टैबिलिटी के नाम पर इनइस्टेबिलिटी पैदा न करें, स्टैबिल सरकार बनाने के नाम पर पार्टियों में इनइस्टेबिलिटी पैदा न करें।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में, सगड़ी और घोसी तहसील में, मैंने देखा कि वहां पर उपलवृष्टि से करीब १०० गांव सभाओं का क्षेत्र बिलकुल वीरान हो गया है, दो-दो सेर के वहां ओले पड़े हैं। उधर अभूतपूर्व सूखा, इधर इतनी भयंकर उपलवृष्टि। उन क्षेत्रों में घूमने पर ऐसा मालूम होता था कि मानों मैं किसी शमशान में घूम रहा हूं। आमों के पेड़ों पर पत्तियां तक नहीं थीं। ऐसी हालत में अमीन लोग वसूली कर रहे हैं। यह वहां के लोगों पर कटे पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। चारों ओर वहां मातम सा छाया हुआ है। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसे समय वसूली को रोका नहीं जा सकता ? जनता को रिलीफ पहुंचाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये। यह सरकार स्टैबिलिटी की बात सोचती है, उधर प्रशासन ढीला पड़ा है, वे सोचते हैं पता नहीं विकल जी की सरकार आयेगी या यही सरकार चलती रहेगी।

सरकारी कर्मचारियों का मसला बहुत टेढ़ा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयास से उनकी कलम बन्द हड़ताल समाप्त हो गयी। मगर उसके पहले का इतिहास हम सब को मालूम है।

उसके बाद उन्होंने उनकी मीटिंग में जो ऐलान किया है, जो उनको आश्वासन दिया है, उस आश्वासन की पूर्ति होनी चाहिये। येनकेनप्रकारेण बहाना बना कर या कोई खोज कर, नौकरशाही के बहानों के नीचे दब कर सरकार या मुख्य मंत्री जी अगर झुक गये और अपने वायदों को पूरा न कर पाये, तो फिर यह आग लग सकती है। १० हजार कर्मचारियों के निकाले जाने की बात सुनने में आती है, उससे लोगों में एक नया भय पैदा हो गया है। लोग सोचने लगे है कि बार-बार अगर हड़ताल होती रहीं तो यह प्रशासन किस प्रकार से चलेगा। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी को सरकारी कर्मचारियों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये और दृढ़ता से उस पर अमल करना चाहिये और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिये। अगर केरल की सरकार, मद्रास की सरकार और बंगाल की सरकारें केन्द्र के बराबर मंहगाई भत्ता कर सकती हैं तो यह सरकार क्यों नहीं कर सकतीं ? यह रुपया कहां से आये, यह सवाल दूसरा है। जहां इच्छा है वहां रास्ता भी निकल आता है। ऐसे मामलों में अगर माननीय मुख्य मंत्री जी हमारा सहयोग चाहेंगे तो हम वह सहयोग देने को तैयार है बशर्ते कि बुनियादी परिवर्तनों की ओर वे बढ़ें। अगर सरकारी कर्मचारियों का मसला तय नहीं हुआ तो लोग यही सोचेंगे कि कांग्रेस सरकार की गुटबन्दी का भी इसमें एक हाथ था। अतः आपको उस बारे में शीघ्र ही कोई ठोस कदम उठाना चाहिये। अगर सरकार इन कदमों की ओर बढ़ेगी तभी हमारा सहयोग भी उसको प्राप्त हो सकता है और तभी हम उनके इस प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं। धन्यवाद।

(श्री रामरतन का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हुकम सिंह (जिला आगरा)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में विभिन्न पार्टियों के लोग बैठे हुये हैं। हर पार्टी के प्रतिनिधित्व के हिसाब से लोगों को बोलने का समय मिलना चाहिये। मैं कल से बोलने के लिये पेशकश कर रहा हूं लेकिन समय नहीं मिल पाया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, मैंने आपकी बात को समझ लिया।

श्री हुकम सिंह—

एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां पर आप जिन लोगों को जानते हैं उनका नाम तो ले लेते हैं और नये सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता। अतः नये सदस्यों को भी समय देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

इतना कहने के लिये माननीय सदस्य को मैंने इसलिये ही अवसर दिया कि आप नये सदस्य हैं। ऐसी ही भावनायें और भी नये माननीय सदस्यों की हो सकती हैं। लेकिन उन भावनाओं पर हमको संयम रखना होगा। मेरे लिये यह संभव नहीं होगा कि हर विषय पर हर माननीय सदस्य को बोलने का मौका दे सकूं। किसी विषय पर आपको मौका मिलेगा तो किसी विषय पर दूसरे माननीय सदस्य को मौका मिलेगा। पार्टी के हिसाब से अवसर देने की इस समय स्थिति नहीं है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मांग का समर्थन करता हूं। साथ ही उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करता हूं कि आज गांवों की हालत ऐसी है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश शुक्ल]

कि जिसका निराकरण हमें लड़ाई के स्तर पर करना होगा। सूखा के कारण गांवों के अन्दर पिछले महीने तक अन्न नहीं था, लोग अरहर की फली और आलू पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब चैत्र का महीना आ गया है। थोड़ा बहुत अनाज जो पैदा हुआ है वह भी अभी जो ४–५ दिन की तेज हवा चली उससे पतला और दुबला हो गया है और कुछ जगहों पर ओला गिरने के भी समाचार मिले हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वह इस कारण से अभी चुपचाप न बैठ जाय कि थोड़ा बहुत खाने पीने का सहारा गांवों में हो गया है। इस साल जो रबी की पैदावार चैत में आयेगी वह भी केवल २–३ मास के लिये ही काफी होगी। इसलिये अन्न व खाने के सवाल को युद्ध स्तर पर अभी से तय करना चाहिये। यह सूखे के ही कारण है कि खाने की कमी है और इसी वजह से शासक दल की संख्या में यहां कमी आई है। इसलिये अब हम सब को सब से पहले अधिक अन्न उपजाने की तरफ ध्यान देना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसा भी हिस्सा है जो नदियों से घिरा पड़ा है जहां आने-जाने के और सामान पहुंचाने के साधन नहीं हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह केवल शहरों की ही ओर ध्यान न दे और वह केवल सरकारी कर्मचारियों के ही झंझट में न फंसे बल्कि इधर भी ध्यान दे कि जो आज गांवों का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। यदि शहरों की और सरकारी कर्मचारियों की ही ओर ध्यान दिया जायगा तो फिर गांव वालों की दशा को देखने वाला कौन होगा? इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस तरह का कोई कमीशन बिठाये कि जो समाज के हर अंग के आर्थिक स्तर की जांच करे और इस निर्णय पर आये कि गांव के एक व्यक्ति की जो आय हो उसी हिसाब से राज्य कर्मचारियों का या अध्यापकों आदि का वेतन निश्चित किया जाये और यहां तक कि अफसरों व विधायकों पर भी उसी हिसाब से व्यय होना चाहिये। आज जो गांव के रहने वालों का आर्थिक स्तर है उसी में थोड़ा बहुत कम करके हर समुदाय पर खर्च किया जाना चाहिये। अगर सरकार इस आधार पर ही खर्च बढ़ाती जायगी कि अगर ४–५ हजार का कोई वर्ग हुल्लड़, हड़ताल करता है तो उस का वेतन बढ़ा दिया जाय तो वह एक झंझट में पड़ जायगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी खर्च होता है चाहे वह वेतन में खर्च हो या विधान सभा का खर्च हो या यहां के सदस्यों का खर्च हो वह सब गांवों से ही आता है और देखना यह है कि आज गांवों का स्तर है क्या, वहां की आर्थिक स्थिति है क्या और जब उसके बारे में आप एक निर्णय पर पहुंच जायंगे और उसके अनुसार हर जगह व्यय होगा तो सबको ही उससे सन्तोष होगा। यह कहां तक उचित है कि गांव वालों के मुंह में हाथ डाल कर उन लोगों को दिया जाय जो आज उन से दस गुना आराम से रहते हैं। मैं सरकार से और विरोधी दल के लोगों से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें कि गांव स्तर के हिसाब से ही सब वर्गों पर प्रदेश में व्यय किया जाय।

मैं आज माननीय विकल जी को बधाई देना चाहता हूं कि मुझे एक पुरानी कथा याद आती है। एक राज परिवार था उसके राजा के दो, तीन लड़के थे वहां एक बड़ा पंडित आया और उन्होंने २ लड़कों की हस्तरेखा को देखा और यह बताया कि यह दोनों राजा होंगे। राज परिवार में बड़ा झंझट पड़ा कि दो कैसे राजा होंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों में आपस में खटपट हो गई और एक लड़का घर छोड़ कर चला गया। इसी बीच में यह हुआ कि एक दूसरे किसी राज में राजा ही नहीं मिलता था। वहां पर यह तय हुआ कि कल सुबह को जो भी पूर्व से आता मिलेगा, वही राजा बना दिया जायगा। संयोगवश वे उसी समय पहुंचे तो राजा हो गये। तो पंडित जी का वचन सही निकला। श्री राम चन्द्र विकल जी की रेखा में नेता विरोधी दल होना लिखा था और माननीय चन्द्रभानु गुप्त की रेखा में मुख्य मंत्री, और नेता सदन होना लिखा था। इसलिये मैं माननीय राम चन्द्र विकल जी को और माननीय गुप्ता जी को बधाई देता हूं कि जो हमारे ही घर के दो नेता हुए। एक नेता उधर हुए और दूसरा नेता इधर हुआ। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो वोट आन एकाउन्ट १ अरब ६३ करोड़ रुपये का रखा गया है इससे यह अनुमान तो लग सकता है कि यह सरकार वर्ष भर में लगभग ६ अरब रुपये की मांग करेगी। आप देखिये लगातार पिछले २० वर्षों में कांग्रेस राज में यह मांग बढ़ती ही चली जा रही है तो हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या सदन जिसे ४ महीने के लिये लेखानुदान मंजूर करना होगा, जिनको यह खर्चा करने के लिये दिया जा रहा है, वे लोग इसके योग्य हैं। अभी उधर से बहुत से लोगों ने यह कहा कि हम लोगों को बड़ी पार्टी बनाकर भेजा गया है। जनता की बात मैं क्या कहूं? अभी एक माननीय सदस्य ने एक कहानी सुनायी। पर उन्हें मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूं, उसे भी वे याद कर लें। सुना है कि जब किसी दूसरे को गद्दी दी गयी तो पुष्पों की वर्षा हुयी थी और जब हमारे माननीय नेता चन्द्र भानु गुप्त मुख्य मंत्री बने तो उस दिन पत्थरों की वर्षा हुयी तो इस बात को भी नजरअन्दाज न करें। मैं बड़े आदर से कहना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें कि आज जो इस सदन से २ अरब के करीब रुपये का खर्च करने का अधिकार मांग रहे हो, ४ महीने में, वह खर्चा करने योग्य आप पहले रहे हो अथवा नहीं। क्या आपके पूर्व कर्म ऐसे रहे हैं कि यह सदन आपको इस खर्चे की अनुमति दे? और यदि नहीं तो फिर हम को यह विचार करना पड़ेगा कि हम यह अनुमति उनको न दें और इस दृष्टि से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र की दुहाई वे बन्द करके इस बात को समझें कि पहले जितना पैसा इस प्रदेश में उन्होंने लगाया है उससे देश और प्रदेश का कितना भला हुआ है। मद्रास ३ १/२ करोड़ की जन संख्या का एक प्रदेश है। उसमें १ लाख १० हजार ट्यूबवेल्स बनाये गये जबकि ८ करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में आपने केवल ११,००० ट्यूबवेल ही गाड़े। अब बताइये ८ करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश और साढ़े ३ करोड़ की जन संख्या वाला वह प्रदेश, क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम से हम यह अनुमान लगा कर हम आपको पैसा खर्च करने का यह अधिकार दें। जो हमारे सामने लेखानुदान है, वित्त मंत्री जी बतायें कि अभी जब इस बार सूखे से फसल मारी गयी है, ओले और पछुवा हवा से पूरी फसल नष्ट हो चुकी है उसके बारे में उन्होंने क्या किया है। गोरखपुर जिले में पछुवा हवा और ओले से जो फसल का नुकसान हुआ, उसका अनुमान माननीय झारखंडे राय जी की बात से लगा सकते हैं। पूर्वी जिलों में तो हर वर्ष प्रकोप होता ही रहता है। मैं गोरखपुर जिले से आता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, इस प्रदेश के सम्बन्ध में जरा सोचें कि जब खरीफ की फसल मारी गयी और रबी की फसल भी मारी गयी लेकिन वसूली शुरू है, जोर के साथ, और खरीफ की ही नहीं रबी की भी वसूली जरूरी कर दी गई है और वसूली जारी है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आप सदन के सामने वह मांग करते हो तो क्या आप के दिमाग में कोई नक्शा है? कोई नहीं? न खेती का सुधार करना चाहते हो, न आप के दिमाग में अन्न उत्पादन बढ़ाने का कोई नक्शा है और न कभी रहा है। हम चाहते हैं कि हम जो बात कहें उसको यह कह कर न टाल दिया जाय कि हम तो १९८ चुन कर आये हैं और हम विभिन्न पार्टियों के लोग थोड़े-थोड़े चुन कर आये। हम कहना चाहते हैं कि आप की सरकार रही, हम जब चुनाव के मैदान में उतरे, चाहे किसी दल के रहे हों, अपनी-अपनी नीतियां जनता में कहीं लेकिन साथ-साथ यह भी कहा, जो एक कामन फैक्टर था, कि कांग्रेस सरकार इस लायक नहीं है कि वह ठीक तरीके से राज्य का इंतजाम कर सके जिससे जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके और यह कामन फैक्टर है जिसको आप नजर अन्दाज कर रहे हैं। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जनतंत्र की बहुत सी बातें कहीं, मैं क्या कहूं, वह जानते नहीं कि जनतंत्र क्या होता है, वह नहीं जानते कि एक सरकार पदासीन है और दूसरे जो उनके विरोधी हैं वे सत्ता में नहीं हैं तो इन दोनों का मुकाबला था और आप १९८ जीत कर आये हैं और विरोध में ज्यादा तादाद में जीत कर आये हैं इसलिये आप अल्प मत की सरकार को और आप को कोई अधिकार नहीं था उधर बैठने का।

[श्री मधुकर दिघे]

मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप इन बातों पर विचार करें। इस प्रदेश में साढ़े ४ करोड़ एकड़ में काश्त होती है, २३ करोड़ मालगुजारी की वसूली होती है, साढ़े १६ करोड़ रु० की वसूली सिर्फ बिना मुनाफे की खेती से होती है और १४ करोड़ रुप ा उसके वसूल करने में खर्च होता है। आपके दिमाग में अगर थोड़ा बहुत नकशा होता, किसानों के फायदे की कोई बात होती तो आप कितना बड़ा कल्याण कर सकते थे सिर्फ इतनी बात कह कर, जो दूसरे प्रदेशों की कांग्रेसी सरकारों ने कही कि हम बिना मुनाफे की खेती से लगान हटा रहे हैं। आप तो जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो पाती है, पहले कहते रहे कि किस प्रकार से सरकार का खर्चा चलेगा फिर जब कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास कर दिया तब भी आप अड़े हुये हैं और बातों का लालच देते हैं, जैसे बच्चों को मीठी गोली दे दी जाती है वैसे ही कह दिया कि २५ प्रतिशत अधिभार को हटा रहे हैं। तो जब १४ करोड़ रु० का खर्चा साढ़े १६ करोड़ रु० को वसूल करने में, जो बिना मुनाफे की खेती से आता है, खर्च होता है, क्या दो करोड़ रुपया नहीं कहीं से सरकार जुटा सकती है? सही बात यह है कि इरादा है ही नहीं। यह सरकार नीति की सरकार है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी एक मेल है, सब प्रकार के लोग एकत्रित हैं। चूंकि मुनाफे वाला मामला है। इसलिये सब लोग अपने को कांग्रेसी कह रहे हैं। एक साहब ने कहा कि हमारे ही भाई उधर चले गये। आप यह क्यों भूल जाते हो कि सारे देश में जितने कांग्रेसी हैं उनमें से ज्यादातर कांग्रेसी इधर ही हैं। जो १९४२ के आन्दोलन में भार माता की गुलामी की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिये रिवाल्वर ले कर चलते थे। आप की २ह वे कांग्रेसी नहीं हैं जिन्होंने फांसी के तख्ते को चूमना पसन्द किया हो, जिन्होंने १९४७ में राजगद्दी को लात मार कर बाहर निकलना पसन्द किया हो। इसलिये अगर आप कल्याण करना चाह हो तो सुनो मैं माननीय वित्त मंत्री बहुगुणा जी से कहना चाहता हूं कि वह हमारे पुराने साथ है। इलाहाबाद में यह मौका मिला है कि हम और वह एक साथ मजदूरों के मुकदमे करने के लिये ट्रिब्यूनल में जाया करते थे। वह नौजवान हैं बड़ी आकांक्षायें हैं लोगों को। लेकिन आप के इस काम को देख कर उनको बड़ा दुख होता है। आप कुछ करके निकलते और इधर आकर वित्त मंत्री बन जाते तो ज्यादा खुशी की बात होती। अगर वह वाकई जन कल्याण के मार्ग प्रशस्त करना चाहते होते तो हम खुशी से इस लेखानुदान को मंजूर कर लेते। आखिर को राज्य चलाने के लिये जनता से ही पैसा वसूल होता है और उसी के लिये खर्च भी होता है, लेकिन इसमें ज्यादातर ऐसे खर्चे हैं जो ऊपरी खर्चे (ओवरहेड चार्जज) हैं जैसे ट्यूबवेल हैं इंजीनियर्स का वहां आने जाने में इतना भत्ता हो जाता है कि सारे ट्यूबवेल घाटे पर चल रहे हैं। इसी तरह से मेरे जिले में जब लोगों ने बीज गोदामों पर जाकर खाद मांगी तो यह कहा गया कि खाद तो मिलेगी तभी जब बीज भी आप लेंगे। मेरा कहना यह है कि इस प्रकार खाद्य समस्या नहीं हल हो सकती।

*श्री त्रिवेणी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने जो लेखानुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बज कर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, पीठासीन हुईं।)

नेता विरोधी दल ने जो भाषण दिया उसे भी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रजातंत्र में हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता है बशर्ते कि उसका बहुमत हो। माननीय नेता विरोधी दल के भाषण पर मुझे आश्चर्य हुआ कि नेता विरोधी दल होने पर उनको कम से कम वे बातें नहीं कहनी चाहिये थीं। मैं माननीय विकल जी से यह चाहता हूं कि हम और वे मिल कर प्रजातंत्र की स्वस्थ परम्परायें कायम रखें ताकि इस हाउस की तथा माननीय सदस्यों की मर्यादा कायम रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मर्यादा की सीमा के बाहर अगर हम जाते हैं तो इसका उत्तरदायित्व सब से ज्यादा विरोधी दल पर है। जिस तरह से हमारे माननीय सदस्यों ने सरकार पर लांछन लगाये, चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस तरह से लांछन और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल प्रजातंत्र में नहीं किया जा सकता।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय झारखंडे राय ने जो आजमगढ़ के बारे में सूचना दी है वह एक ऐसा इलाका है सगड़ी और घोसी तहसीलों का कि जहां ओले और पत्थर पड़े हैं और फसल बर्बाद हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ सबसे पिछड़ा जिला है। वहां की लालगंज तहसील में धान की फसल होती है। लेकिन पिछले तीन चार सालों से सरकार के पास भी इसकी रिपोर्ट है, वहां एक दाना भी नहीं हुआ और इसका मुख्य कारण यह है कि लालगंज की पूरी तहसील में सिंचाई का कोई भी साधन अब तक सरकार द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया। लालगंज तहसील से मिला हुआ जो सदर दक्षिणी हिस्सा है उसकी भी यही हालत है। आजमगढ़ का जो उत्तरी हिस्सा है वहां कुछ रबी की फसल होती है लेकिन इस साल पत्थर पड़ने के कारण वहां भी हाहाकार मचा हुआ है। बड़ी दयनीय दशा आजमगढ़ जन पद की है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से मैं प्रार्थना करूंगा कि वहां वह सिंचाई की व्यवस्था करे ताकि सूखा और अकाल आदि हमेशा के लिये खत्म हो जायं।

आज हमें सिर्फ बजट पर बोलना है लेकिन माननीय विरोधी सदस्यों ने तमाम छीटाकशी कर डाली। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इस तरह से लेखानुदान का बजट नहीं आया करता है। शायद माननीय सदस्य ने वहां के पार्लियामेंटरी इतिहास को ठीक पढ़ा नहीं। इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में जहां-जहां प्रजातंत्र की सरकारें हैं उनमें लेखानुदान इसी प्रकार आता है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। यह बजट पास होना उतना ही आवश्यक है जितना हम आवाज लगा रहे हैं कि क्षेत्र का विकास हो। अगर बजट नहीं पास होगा तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अच्छा हो जो समय हम इस पर लगा रहे हैं वह किसी अन्य काम पर लगायें।

*श्री हुकम सिंह (जिला-आगरा)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं इस बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विरोध इसलिये करता हूं चूंकि मेरी चिन्ता यह है कि यह रुपया आयेगा कहां से। आखिरकार यह रुपया उन थैलीदारों से नहीं आयेगा जिनके बल पर यह सरकार बनी है।

इस रुपये का अधिकतर बोझ उन लोगों के ऊपर जायगा जो गरीब किसान और मजदूर हैं। इस गवर्नमेंट को किसान, मजदूर और गरीबों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह गवर्नमेंट तो थैलीशाहों के बल पर बनी है इसलिये इसके लिये यह स्वाभाविक है कि वह उन लोगों के ऊपर बोझ न डाले जिनके बल पर यह कायम है। अगर इसने उनके ऊपर बोझ डालने की गलती की तो जिनके बल पर यह गवर्नमेंट कायम है वह इसको धराशायी कर देंगे। इसलिये हमारी चिन्ता भी स्वाभाविक है कि हम जिस वर्ग से आये हैं उस पर यह गवर्नमेंट बोझा डाल रही है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

दूसरी बात यह है कि अभी तो जो बजट रखा जा रहा है वह केवल चार महीने के लिये रखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ५ अरब के करीब का बजट आने वाला है। इतनी बड़ी धनराशि गरीब जनता के ऊपर लादी जायगी और टैक्सेज के रूप में वसूल की जायगी। आज बहुत से बेकार टैक्स जैसे भूमि भवन कर, प्रोफेशन टैक्स लगे हुये हैं जिनके कारण गरीब जनता की कमर वैसे ही झुकी जा रही है। उसी गरीब जनता पर फिर से टैक्स लगाया जा रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो गरीब किसान और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकमसिंह]

मजदूरों के द्वारा इस आदरणीय सदन में चुनकर आये हैं चाहे वे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों उनके हितों की सुरक्षा करें और थैलीशाहों के द्वारा जो मंत्री चुने गये हैं उनके हित को न मानें।

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि यह गवर्नमेंट किस प्रकार से खर्च करती है इसको देखने की जरूरत है। इसके लिये मैं सदन में एक, दो उदाहरण देना चाहता हूं। अब तक जो खर्चा हुआ है वह बिल्कुल वाहियात और फिजूल खर्च हुआ है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने १९ साल में देश और प्रदेश का सत्यानाश किया है। उसी रास्ते पर यह कदम बढ़ाते जा रहे हैं। मैं खाद्य के मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यहां पर मैक्सिको की फसल बुवाई गई जिससे ज्यादा उपज हो। इसके लिये ६ पानी की जरूरत होती है लेकिन एक भी पानी नहीं पहुंच पाता। इसलिये सारी फसल सूख गई है यानी किस तरह से सारे प्रदेश की जनता को भूखों मरने का षड़यंत्र इस थैलीशाही सरकार ने किया है। यह प्रदेश की गरीब जनता के धन को अपने ऐश आराम में ही खर्च करते हैं। किसान, मजदूर और गरीबों के लिये खर्च नहीं करते हैं। सिंचाई विभाग पर बहुत कम खर्च किया जा रहा है। एक एकड़ में जो दस मन गेहूं पैदा होता था पानी की कमी के कारण उसे भी खो दिया।

दूसरी मिसाल यह है कि अन्य महकमों पर भी बेकार का खर्चा किया जाता है। मैं आगरे का निवासी हूं और मेरे क्षेत्र में चार थाने हैं। पहले उन थानों पर दो-दो थानेदार तैनात रहते थे। आज उन थानों में ५ थानेदार हैं और वे कुशलतापूर्वक काम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि पहले दो थानेदार किया करते थे इसका कारण यह है कि आजकल योग्यता के आधार पर चुनाव नहीं होता है। जो नाते रिश्तेदार हैं वे ही सब खपाते जाते हैं। अयोग्यता के आधार पर लोग रखे जाते हैं। वे योग्यता से काम नहीं कर पाते हैं।

यह जो गवर्नमेंट बनी है इसके बारे में समाचारपत्रों में निकला है कि यह अलाभकर जोतों पर लगान माफ करना चाहती है। मुझे शक है कि यह सरकार कैसे लगान माफ कर पायेगी। चाहिये तो यह था कि जैसे दूसरे प्रदेशों जैसे मद्रास वगैरह की सरकार ने लगान माफ कर दिया है उससे पहले यह सरकार अपने यहां लगान माफ कर देती और प्रदेश इसका अनुसरण करते।

श्री जंगबहादुर---

माननीय फूलसिंह जी सदन में सो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठिये।

श्री हुकम सिंह---

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जो माननीय गुप्ता जी मुख्य मंत्री हैं उनके रिश्तेदार माननीय शिवप्रसाद गुप्त हमारे यहां हैं, जो पहले उपमंत्री थे। उनको हमारे यहां उपमंत्री नहीं माना जाता है बल्कि वे मुख्य मंत्री समझे जाते हैं। इसलिये उनके इशारे पर नाचने के लिये समस्त प्रदेश के अधिकारियों को मजबूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं हमारा इलाका डाकुओं से ग्रस्त है। इस इलाके में पुलिस और डाकुओं का दोहरा आतंक है। इसमें मंत्री लोग भी शामिल हैं और वे लोग विरोधी दलों के लोगों को कुचल देना चाहते हैं। बजट का जो रुपया इस प्रदेश की रक्षा पर खर्च होना चाहिये वह इस पर खर्च न होकर प्रदेश के विनाश पर खर्च हो रहा है। मैं कांग्रेस के उन लोगों से मांग करता हूं जो गरीबों के रहनुमा बन कर बैठे थे वे इस बजट पर ठोकर मार दें और थैलीशाहों का जो षड़यंत्र है उसको विफल कर दें। यही मेरा सदन से अनुरोध है।

*श्रम मंत्री (श्री बनारसीदास)--

माननीया अधिष्ठात्री जी, वोट आन एकाउंट पर जो भाषण सुनने का मुझे मौका मिला उससे ऐसा मालूम होता था कि आम बजट पर वाद विवाद हो रहा है और इस बात की अपेक्षा की जा रही है कि अगले वर्ष के लिये जो नीति होगी उसकी क्या समालोचना की जाय। यह वोट आन एकाउंट है। इसमें कोई नई योजना शामिल नहीं होती है। जो व्यय होता है और जो आमदनी होती रही है उसको उसी शक्ल में शामिल किया गया है। चार महीने का यह वोट आन एकाउंट है। यह नया नहीं है बल्कि सब प्रदेशों में चल रहा है। बंगाल, मद्रास और अन्य सूबों के बजट को देखने से मालूम होता है कि नई योजनाओं का प्रतिपादन नहीं किया गया है। कल हमने डी० एम० के० का बजट देखा जिसमें साढे सत्रह लाख का घाटा है। उसी तरह से बंगाल के बजाय को देखने का मौका मिला। आज प्रश्न यह है कि जो चाल योजनायें हैं उनके व्यय को कायम रखा जाय या नहीं। जो विवाद किया गया उसमें बहुत सी राजनीतिक बातें कही गयी। खासकर सरकार की रचना और नैतिकता पर रोशनी डाली गयी। स्पीकर का चुनाव हो जाने के बाद मैं नहीं समझता कि उसका कोई औचित्य है। संविधान के अनुसार सरकारें बनती हैं, संविधान के अनुसार सरकारें बिगड़ जाती हैं। हरियाना के अन्दर हाउस की फ्लोर को क्रास करते हैं, अगर यह राजनीतिक सिद्धांतों के अनुसार है तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य जिसको संविधान के अन्दर भाषण की स्वतंत्रता सुरक्षित है अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है तो कहा जाता है कि वह सरकार के अन्दर मिल गया है। अभी इलाहाबाद के एक सदस्य का भाषण सुन रहा था। कांग्रेस जन हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया है। मैं माननीय उग्रसेन जी से कहूंगा कि जरा वह १८८ सदस्यों की सूची बनायें, अगर उनकी सूची सही है तो हम रिजाइन कर देंगे।

श्री उग्रसेन--

माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि नहीं है। यह कहा कि बहुत से नये लोग हैं जो कांग्रेस में थे नहीं। माननीय बनारसीदास का नाम तो लिया नहीं।

श्री बनारसी दास--

अगर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों की संख्या इधर ज्यादा है तो वह यह मानें कि कांग्रेस ही ऐसा दल है जिसने इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और जनतंत्र की रक्षा करना चाहता है। अगर उस तरफ के बैठे हुए सदस्यों की संख्या जिन्होंने १९४२ या इससे पहले स्वतंत्रता के आन्दोलन में भाग लिया, ज्यादा है तो मैं इस सरकार की तरफ से कहता हूं कि हम रिजाइन कर देंगे,

श्री उग्रसेन--

बनारसीदास नये मेम्बर की तरह से बोल रहे हैं। इस्तीफा तो एक दिन आपको देना ही पड़ेगा।

श्री बनारसीदास--

मैं स्वयं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता था। लेकिन एक माननीय सदस्य ने इस का जिक्र कर दिया। स्पीकर के चुनाव में बहुत से लोग आशा लगाये बैठे थे कि सरकार का अल्पमत साबित होगा। उस रोज इस सदन के माननीय सदस्यों ने साबित किया कि बहुमत इस दल के साथ है। श्रीमन्, एक प्रश्न मैं आपकी आज्ञा से उग्रसेन जी से करना चाहता हूं। सबसे बड़ा दल जनसंघ का है। जनसंघ ने अपने चुनाव घोषणापत्र में लिखा था कि हम व्यापार और कृषि की स्वतंत्रता चाहते हैं। व्यापार की, कृषि की, स्वतंत्रता का अर्थ है, अनकंट्रोल्ड इकानामी। अगर ९७ सदस्य इस बात के हामी हैं तो अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसी दास]

महंगाई इस प्रदेश के अन्दर है तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के ऊपर है जो अनकंट्रोल्ड इकानामी चाहते हैं।

श्री प्रताप सिंह---

व्यवस्था का प्रश्न है। अभी इस चेयर की तरफ से रूलिंग हो चुकी है कि अनुदानों की परिधि से बाहर की चीजों पर सरसरी तौर पर बहस होगी।

श्री अधिष्ठाता---

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बनारसीदास---

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय प्रतापसिंह जी ने जो कहा, जो उन्होंने कहा, मैं उनकी भावनाओं का बड़ा आदर करता हूं और मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो सलाह दी है उस पर सभी को मिलकर अमल करना चाहिये। मड़ोइया, मैं निवेदन कर रहा था आज जो लोग कहते हैं कि व्यापारी जखीरेबाजी कर रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं, वे कैसे सदन की बेंचों से महंगाई का विरोध करते हैं। उनके घोषणा पत्र में ही स्वतंत्र व्यापार करने की बात लिखी है।

श्री उग्रसेन---

आप अपने घोषणा पत्र में बताइये क्या लिखा है।

श्री बनारसीदास---

मेरे घोषणा पत्र में क्या है? यह आपको क्या बताऊं वह तो आपके अनुसार गलत है। आप तो व्यापारियों को बिलकुल स्वतंत्र रख कर बिना रोक टोक व्यापार करने की छूट देने की बात कहते हैं। कल ही मैं श्री झिनन साहू का भाषण सुन रहा था। वह तो कह रहे थे कि जखीरा तो किसानों के पास है, व्यापारियों के पास जखीरा कहां है, यदि व्यापारी महंगा खरीदता है तो महंगा बेंचता है, इसमें उसका क्या दोष है?

(व्यवधान)

तो आप लोग तो केवल एक वोट कैंचिंग बात कहते हैं। कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या कहीं व्यापारियों के खिलाफ धरना दिया है या उनकी करतूतों के खिलाफ मोरचा लगाया है?

श्री उग्रसेन---

किया क्यों नहीं है और जब किया है आपकी पुलिस ने डंडे बरसाये हैं। हमारी नीति को दिशा बनारसीदास जी नहीं दे सकते हैं मजबूर हैं।

श्री बनारसीदास---

लखनऊ नगर में जनता ने जनसंघ के पक्ष में अपना निर्णय दिया यानी जनता ने स्वतंत्र व्यापार करने की नीति को समर्थन दिया और फिर यदि उसी नीति के अनुसार व्यापारी स्वतंत्र होकर व्यापार करते हैं तो क्या हो। क्या आपने कभी व्यापारियों की स्वतंत्रता के खिलाफ प्रदर्शन किया है? अगर यहां पर महंगाई है तो यहां की महंगाई की जिम्मेदारी जनसंघी दुकानदारों पर है। अगर यहां पर अन्न की कमी है या बनारस में अन्न की कमी है और मूल्य बेतहाशा बढ़े हैं तो उसका कारण है कि जनता ने जनसंघी सदस्यों को चुना है।

श्री उग्रसेन---

बुलन्दशहर और खुर्जा की कुछ बताइये, वहां पर महंगाई क्यों है? क्या कांग्रेसियों के यहां दूध दही की नदी बह रही है। आपके क्षेत्र में क्यों मंहगाई है? हमारे क्षेत्र में अगर ३ छटांक का बिक रहा है तो क्या आपके क्षेत्र में ४ सेर का बिकता है?

श्री बनारसीदास—

खैर, उग्रसेन जी हमारे बड़े मित्र हैं और मानते हैं, लेकिन यहां पर सदन के अन्दर नहीं चाहते कि किसी को बोलने का मौका हो । इस वक्त हमारे प्रदेश में देहाती इलाके के अन्दर १ महीने के अन्दर ७५ हजार टन और शहरी इलाके में ७० हजार टन अनाज की सरकारी दुकानों पर बिक्री हो रही है । जो विदेशों से गेहूं आता है वह एक साल के अन्दर करीब-करीब ६ लाख टन के प्रदेश में बैठता है । तो प्रश्न यह है कि क्या आप टोटल राशनिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रदेश में अन्न की पूर्ति के लिये यहां पर अन्न इकट्ठा किया जाये ? प्राइज कंट्रोल हो तो क्या हो ४० रुपये से कम हो या ज्यादा हो ? अगर प्राइज कंट्रोल हो तो किस प्रकार से अनाज जमा किया जाए, किस प्रकार से प्रोक्योरमेंट किया जाए ? संयुक्त विधायक दल की ओर से क्या कोई स्टेड ट्रेडिंग की मांग की गयी है ? क्या आप मिलकर कोई ऐसी मांग करने के लिये तैयार हैं ? क्या कोई निर्खं बने इसकी मांग करने को आप तैयार हैं ? हम जनतंत्र का आदर करते हैं । हम यह जानते हैं कि उधर बैठने वाले पी० एस० पी० और एस० एस० पी० के लोगों ने १९४७-४८ में कंट्रोल के खिलाफ आवाज उठाई थी और उन्होंने सत्याग्रह किया कि यह कंट्रोल उठना चाहिये । आज वे दूसरी तरह की बात करते हैं । वास्तव में बात यह है कि जहां पर कोई दर्शन नहीं है और कोई सिद्धान्त न हो तो वहां पर कभी गरमी लगती है और कभी सरदी लगती है । चूंकि जनता कंट्रोल्ड इकानामी की हामी नहीं है और उससे जनता में कठिनाई पैदा होती है तो लोगों में क्षोभ पैदा करके उससे लाभ उठाने का प्रयास किया जाता है । इस तरह की बात कहकर वोट प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है । उग्रसेन जी का पिछड़ा हुआ जिला है लेकिन कांग्रेस वहां से भारी बहुमत में रिटर्न हुई है । बहराइच के अन्दर इस प्रकार का नारा लगाकर लोगों के वोट हासिल किये गये हैं । उग्रसेन जी इसके लिये आगे चलकर पश्चाताप करेंगे कि इस तरह से वहां किया गया । फैजाबाद के अन्दर मस्जिद का मंदिर बना दिया गया है और वहां पर इन्दिरा जी का फोटो पेश किया गया कि वह गाय काट रही हैं जिससे लोगों के अन्दर एक भावना पैदा हो और उसके जरिये से वोट हासिल हो सके । इस तरह की बातें कहकर जनता में एक भावना पैदा करके वोट प्राप्त किया गया है । एक सिद्धांत को लेकर सेक्युलरिज्म की लड़ाई में हार जाना कोई मायने नहीं रखता है लेकिन जनता के अन्दर धार्मिक भावना को खड़ा करके वोट हासिल करना एक मायने रखता है । जनता के अन्दर मजहब की शराब पिलाकर बेहोश करके कोई चीज पैदा करना कोई सिद्धांत की बात नहीं है । यह हो सकता है कि क्षणिक लोगों में जोश आ जाय और वोट मिल जाय लेकिन यह चीज टिकने वाली नहीं है । सन् १९४६ में हम जमींदारी एबालिशन का नारा बुलन्द करते थे और यह कहते थे कि किसानों को जमीन का मालिक बनायेंगे लेकिन मजहबी शराब के अन्दर बेहोश करके उस जमाने में लोगों ने मुसलिम लीग को वोट दिया । आज साम्प्रदायिक मनोवृत्ति की यदि विजय हो रही है और प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक आवाज बुलन्द हो रही है तो वह क्षणिक लाभ उनको मिल सकता है क्योंकि साम्प्रदायिक भावना के अन्दर वही आदमी कामयाब होता है जो ज्यादा साम्प्रदायिक होता है ।

श्री अश्विनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मंत्री लोग डकैती डालते हैं और चोरी करते हैं उनका भी जिक्र करिये ।

श्री बनारसीदास—

माननीय राकेश जी के आक्षेपों की यदि उपेक्षा की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि उनके आक्षेपों का जवाब देना सदन का अपमान है । जब उनका रोष खतम हो जायगा और वे विचार करेंगे तो वह स्वयं इस बात को सोचेंगे कि उनका रोष उचित नहीं था ।

अगर आप इस बजट को देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें १० करोड़ रुपया ४ महीने के लिये सिंचाई के लिये रखा गया है । आप यह भी देखेंगे कि लोंस ऐण्ड एडवांसेज के लिये २५ करोड़ ७१ लाख रुपया रखा गया है जो एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली बनाने के लिये दिया

[श्री बनारसी दास]

जा रहा है। इसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे कि कृषि उत्पादन के लिये अधिकांश रुपया रखा गया है। चौथी योजना को यदि आप देखें तो उसमें अगले साल के बजट में अधिकांश रुपया कृषि उत्पादन के लिये रखा गया है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना सरकार अपना पहला कर्तव्य समझती है। यदि प्रदेश के अन्दर वर्षा नहीं होगी तो और भी कठिनाई बढ़ेगी। हमारा यह दावा नहीं है कि हमारा वर्षा के ऊपर नियंत्रण है और हमारा ओलों के ऊपर भी नियंत्रण है। कुछ दूसरे लोग हैं जो वर्षा पर नियंत्रण का दावा करते हैं। पहले जब मैं प्रदेश के अन्दर जाता था तो जगह जगह किसानों की तरफ से यह मांग होती थी कि सहकारी ऋण के अन्दर उनको लाजिमी खाद न दिया जाय। आज हालत यह है कि सहकारी समितियों को खाद नहीं मिल रहा है। तो जितनी आवश्यकता खाद की थी उससे अधिक उसकी मांग बढ़ी है। आज जगह जगह खाद की मांग दिखाई देती है और हर तरफ से खाद की मांग बढ़ी है। डेवलपिंग एकानामी में कोई भी देश एक साथ इकानामी को डेवलप नहीं कर सकता है। संसार के जितने देश हैं वहां पर प्लानिंग और विकास गणतांत्रिक प्रणाली को अपनाकर नहीं हुआ है। वहां पर साधनों का मोबलाइजेशन और विकास ऐसे तरीकों से किया गया है जो डेमोक्रेटिक नहीं थे क्योंकि सब से पहले विकास करने के लिये मदर इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है, कैपिटल इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है और जनतंत्र में जनता की मांग होती है उपभोक्ता वस्तुओं के लिये। जहां उपभोक्ता वस्तुओं की मांग होगी वहां विकास की गति उतनी तेज नहीं हो सकती जितनी तेज कि वह होनी चाहिये। तो हमने पहले, दूसरी अथवा तीसरी योजना में इसका दावा नहीं किया। लेकिन आप देखें कि जहां गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वहां क्या हाल है। कलकत्ता और मद्रास में सौ रुपये मन गेहूं बिक रहा है। मैं नहीं जानता कि मद्रास में तीन सेर का चावल कहीं बिकने लगा हो।

श्री उग्रसेन---

बिहार हमारे पड़ोस में है, वहां देखिये। मैं चाहता हूं कि आप कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी सरकारों के प्रदेशों में जो भाव है अनाज के उनको साधिकार पढ़ कर सुना दें।

श्री बनारसी दास---

मैं यह निवेदन कर रहा था कि बंगाल में जनता की लेफ्टिस्ट सरकार है। मैं चाहता हूं कि यहां का प्रतिनिधि मंडल जा कर वहां देखे कि वहां की जनता को क्या कठिनाइयां हैं। पंजाब एक सरप्लस स्टेट है। वहां से बराबर यहां गेहूं आया करता है और पंजाब और उत्तर प्रदेश पहले एक जोन में था।

श्री उग्रसेन---

बुलन्दशहर की बात बतलाइये।

श्री बनारसी दास---

वहां भाव कम थे लेकिन आप की वजह से बढ़ गये। जब आप नाजायज शादी करके व्यापारियों की रक्षा करेंगे तो भाव बढ़ेगा ही। आप देखें कि जनसंघ ने ३९९ आदमी खड़े किये उन्होंने हिन्सात्मक प्रदर्शन किये, किस तरह से लड़कियों का अपमान किया। मैं समझता हूं कि इससे जनता का और आप का हित नहीं होगा।

श्री उग्रसेन---

प्रांत में बीस जगह आप ने गोली चलवायी और हिन्सा हम लोग करते हैं। हरिजनों के वोट लिये और गोली से उन को ही मारा।

श्री बनारसी दास---

यह हो सकता है कि जनसंघ यहां इस तरह से आ जाय, लेकिन माननीय उग्रसेन जी आने वाले नहीं हैं।

महोदया, जो मैं कहना चाहता था उस का उत्तर माननीय सदस्य अपने ऐक्शन्स से दे रहे हैं। उनका कितना यकीन जनतंत्र में है इससे ही यह पता लगता है। यह जो वोट आन एकाउन्ट आया है वह मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस तथा संसार में जनतंत्र प्रणाली के अनुसार ही लाया गया है और यह कोई विवाद का विषय नहीं होता। यह बजट चार महीनों के लिये है। माननीय विकल जी ने संदेह प्रकट किया कि बीच में सेशन नहीं होगा, लेकिन ४५ वर्किंग डेज तो बजट पास करने के लिये ही चाहिये। तो लाजमी तौर से हम को एसेम्बली मई के अन्त में बुलानी पड़ेगी। इस में डर की क्या बात है।

श्री उग्रसेन—

आपने अपने झगड़े में ६ महीने एसेम्बली नहीं बुलायी।

श्री बनारसी दास—

माननीय उग्रसेन जी संविधान के विरुद्ध बात कह रहे हैं। ६ महीने के अन्दर तो लाजमी तौर से एसेम्बली बुलायी जानी चाहिये। मैं जानता हूं कि जहां पर तर्क नहीं होता, औचित्य नहीं होता वहां केवल वितंडावाद होता है और उसी रुढ़िवाद के अनुसार उस पक्ष में बैठे हुये लोग अपने फर्ज को अदा कर रहे हैं। मुझे उन के साथ पूरी हमदर्दी है। इन शब्दों के साथ में इस वोट आन एकाउन्ट का समर्थन करता हूं।

श्री रामप्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वोट आन एकाउंट पर वाद-विवाद चल रहा है। जहां तक स्वीकार होने की बात है, स्वीकार तो होगा ही। चूंकि मैं कल भी देख चुका हूं कि अपनी तोड़-फोड़ की नीति और पाशविक बहुमत के बल पर ऐसा हो ही जाता है, लेकिन जनता का एक रहनुमा होने के नाते जो इसमें खर्चा होगा उसके संबंध में कुछ सुझाव देना अपना कर्तव्य समझता हूं। अभी हमारे मंत्री महोदय ने जो बातें कहीं हैं, ऐसा मालूम पड़ता था कि वह एक सार्वजनिक सभा में भाषण दे रहे थे। वह मेरे सामने बुजुर्ग हैं, लेकिन चूंकि जनसंघ के संबंध में उन्होंने कुछ बातें कहीं हैं और लखनऊ प्रापर से संबंधित कही हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई लखीराबाज या किसी तरह का कोई भ्रष्टाचारी वह पकड़ें और कभी जनसंघ का कोई विधायक या नेता यह सिफारिश लेकर आये कि इस भ्रष्टाचारी को छोड़ दिया जाय तो मैं कम से कम अपने भारतीय जनसंघ की ओर से यह कहना चाहता हूं कि मैं सदन से बाहर हो जाऊंगा। इतना आश्वासन अपने दल की ओर से देना चाहता हूं कि जनसंघ भगवान कृष्ण का भक्त है, वह यहां पर अत्याचार करने वाले मामा कंस को भी छोड़ना नहीं चाहता। तो हम तो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं।

मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में यह कहना चाहता हूं कि कनेक्शंस तो बहुत से मंजूर पड़े हैं, लेकिन किसान तबाह है, क्योंकि परमीशन नहीं दी जा रही है। मैं अपनी सरकार से केवल इतना कहना चाहता हूं कि विभागों के अन्दर जिन में यह खर्चा हो रहा है उनमें मेजों की सफाई जरूर करा दें। यहां से आर्डर हो जाने के बाद भी जो कागज मेज पर ही चिपके हैं और किसानों की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं, उसका कारण यह है कि गोंद इतना ज्यादा लगा हुआ है कि कागज वहीं का वहीं चिपका रह जाता है और जबतक नोटों की गड्डियां बीच में न लगायी जायं वह कागज नहीं हटता। मैं खास तौर से छिबरामऊ क्षेत्र की बात कह रहा हूं कि ७०–८० कनेक्शंस पड़े हुये हैं। सालों हो चुके हैं, किसान तबाह हैं, उन्हें परमीशंस नहीं दी जातीं। हजार डेढ़ हजार की रिश्वतें खुले आम चल रही हैं और उन्हीं का काम होता है। मैंने स्मृति पत्र लिखे हैं और सरकार से आपके माध्यम से स्वयं निवेदन करना चाहता हूं कि इस खर्चे के साथ यह भी देख लें कि यह खर्चा उपयुक्त तरीके से हो रहा है या नहीं।

[श्री रामप्रकाश त्रिपाठी]

साथ ही साथ प्लानिंग के संबंध में केवल इतनी बात जानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी खराबी यह है कि यह प्लानिंग ही प्लानिंग है। प्लानिंग जब तक ऐक्शन में नहीं आती तब तक बेकार है। आपके ब्लाक्स जो बने हुये है, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा भी वह कैनवेसिंग सेंटर्स कहे जायं तो उपयुक्त होगा। मेरे क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी अपने को माननीय मंत्री जी का रिश्तेदार बताकर भ्रष्टाचार फैलाये हुये हैं, केवल कागज में उनका काम चल रहा है। मैं समय आने पर इन-राईटिंग भी सरकार के समक्ष रखूंगा। अब ज्यादा न कहकर आपके माध्यम से सदन से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वोट आन एकाऊंट को किसी प्रकार भी स्वीकृत न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरीसिंह।

[श्री हरीसिंह (मेरठ) के खड़े होने पर]

श्री हरीसिंह (बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, मेरा नाम भी हरीसिंह है।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आज लेखानुदान पर जो वाद-विवाद हो रहा है, उसमें भाग लेने का आपने जो अवसर मुझे प्रदान किया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैंने बहुत से माननीय सदस्यों के भाषणों को सदन में सुना भिन्न भिन्न प्रकार के विचार सुनने को मिले कुछ विचार चुनाव के बारे में थे कुछ बाकई में सच्चे थे, और कुछ तिकड़म बाजी के थे उसी तरह से जिस तरह के बहुत से लोग यहां जीत कर आये हैं और आपके सामने महानमूर्तियों के रूप में विराज मान हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो किसान, मजदूर, व्यापारी, और दस्तकार आदि सब लोगों की इच्छाओं को भली प्रकार से समझती थीं और उस पर अमल भी करतीं थीं। परन्तु कुछ बातें ऐसी थीं जिनसे जनता में उसके विरोध में क्रोध उत्पन्न हो गया दुर्भाग्य से बारिस नहीं हुई, अन्न का उत्पादन कम हो गया, महंगाई बढ़ गई और उसका लाभ विरोधी पार्टियों को मिल गया मैं लाल टोपियों को नहीं कहता लेकिन भानु के कुनबे की बात कहता हूं। इस महंगाई के प्रसंग से उन्होंने प्रदेश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया। हम संविधान के बनाने वालों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गरीबों का खयाल रखा और उनको ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। गरीब, पिछड़ी हुई जातियों के हितों की रक्षा के लिये, समाज में एकता और समाजवाद लाने के लिये उन्होंने योजनायें बनायीं। कांग्रेस उन योजनाओं पर चली लेकिन विरोधी पार्टियों ने सांप्रदायिकता की भावनाओं को भड़काया। उन्होंने एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जिसकी बदौलत विरोधीदल के माननीय नेता आज यहां पर विराजान हैं और रामचन्द्र विकल जैसे आदमी भी उनके नाम पर यहां जीत कर आ गये। मुझे यह सबसे बड़ी खुशी है कि एक किसान विरोधी दल का नेता चुन लिया गया है। लेकिन विरोधियों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और वे कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गये। मैं सरकार की भूलों की हिमायत नहीं करता, सरकार अगर ऐसी भूलें करेगी तो, कोई भी सरकार हो, उसको ऐसा फल भगतना ही होगा। आज महंगाई बहुत ज्यादा है। मजदूर भी उससे बहुत परेशान है। मेरा सुझाव है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और महंगाई को कम से कम करना चाहिये। जब दूसरे प्रान्तों में विरोधी दलों की कूमतें बनीं और वहां भाव कम हैं तो हमारे यहां भाव क्यों ज्यादा हैं? श्रीमन्, मैं जनसंघ का हामी हूं, मुझे उनसे शिकायत नहीं है। उनका गोवध आन्दोलन चला, मुझे उससे सहानुभूति थी, मगर महंगाई के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आप मत बोलिये। आपकी जनसंघ पार्टी में बड़े-बड़े व्यापारी लोग भरे हैं.... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया विषय पर माननीय सदस्य बोलें ।

श्री हरीसिंह—

श्रीमन्, मैं हरिजनों के संरक्षण के लिये जो १८ फीसदी रिजर्वेशन रखा गया है उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं । यह कोटा पूरा नहीं हो पाया है । इसी के कारण हरिजन समुदाय कांग्रेस के विरोध में गया । अगर यह १८ फीसदी का कोटा पूरा हो गया होता तो शायद यह स्थिति कांग्रेस की न होती । सरकारी कर्मचारियों के कारण भी कांग्रेस को बहुत क्षति उठानी पड़ी । सरकार को, हमारे नेताओं को ऐसी त्रुटियों पर विचार करना चाहिये और यह सोचना चाहिये कि आज मजदूर वर्ग क्यों खिन्न है, कर्मचारी वर्ग क्यों खिन्न है । बिक्री कर से आज व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है । भूमि एवं भवन कर से समस्त जनता परेशान है । हमारे जब विचार ऐसे हैं तो विरोधी दलों के विचार तो और उग्र हो सकते हैं । हमने कई बार मांग की कि भूमि भवन कर, बिक्री कर आदि जितने भी ३-४ कर हैं यह तुरन्त समाप्त होने चाहिये । जब हम किसान मजदूर के घर जाते हैं तो उनको परेशानी की हालत में देखते हैं । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इन करों को समाप्त कर देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस लेखानुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री राज राजेश्वर (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के जिम्मेवार लोगों की ओर से जो बातें कही गयीं उसमें जनसंघ के ऊपर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया गया, परन्तु मेरे पास पचासों इस बात के प्रमाण हैं जिनके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि देश के अन्दर अगर कोई साम्प्रदायिक पार्टी है तो वह कांग्रेस ही है । मैं चुनाव के दिनों की बात बता रहा हूं । कांग्रेस के जिम्मेदार लोग जाते थे मुसलमानों के घर पर । मुसलमानों के मुहल्लों में मैं भी जाता था । एक एक व्यक्ति को मैंने भी अप्रोच किया । ये जाते थे और कहते थे कि जनसंघ के लोग मुसलमानों के दुश्मन हैं । अगर ये लोग जीत जायेंगे तो तुम लोगों को पाकिस्तान भेज देंगे । हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने वाले कांग्रेसी लोग ही हैं । इसमें इनको शरम नहीं मालूम पड़ती जब कि यह जिन्नाह की आवाज में बोल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, अभी स्टेट ट्रेडिंग की बात कही गई । भारतीय जनसंघ का हमेशा से एलान रहा है कि सरकार अगर बाजार भावों को कन्ट्रोल करना चाहती है और भावों पर नियन्त्रण करना चाहती है तो सरकार स्वतन्त्र व्यापारी के रूप में आ सकती है भावों का कन्ट्रोल करने के लिये । वह बराबर अपना काम कर सकती है । लेकिन यह सरकार ऐसा काम कभी नहीं कर सकती क्योंकि यह तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के सहारे चलती है लेकिन भारतीय जनसंघ पर ब्लेक करने का आरोप लगाया जाता है । जिस पार्टी में सदस्य पैसे के बल पर तोड़े जाते हों, उस पार्टी को हम क्या कह सकते हैं ? मेरे खीरी जिले के एक हरिजन सदस्य को चालीस हजार रुपये का आफर दिया गया । यह क्या न्याय है और क्या यही प्रजातंत्र का पोषण है ? इस प्रकार प्रजातन्त्र का पोषण नहीं किया जा सकता । मैं बताना चाहता हूं कि जो जिला परिषद और सहकारिता के विभाग हैं और जो ब्लाक्स हैं इनका दलगत स्वार्थ के लिये प्रयोग किया जाता है । मैं इस संबन्ध में उदाहरण देना चाहता हूं अभी-अभी परसों की बात है कि हमारे यहां सहकारिता के आधार पर लखीमपुर खीरी में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाने वाला था और उस सम्बन्ध में भारतीय जनसंघ ने भी सदस्य बनाये और वहां मीटिंग हुई जनसंघ के सदस्यों के अतिरिक्त कांग्रेस के सदस्य भी मौजूद थे जो अध्यक्षता कर रहे थे वे अल्पमत में थे । उन्होंने अल्पमत में होकर बैठक को स्थगित कर दिया और उठकर चले गये । जो सदस्य वहां रह गये उन्होंने मीटिंग की कार्यवाही आरम्भ की और वहां का चुनाव कर दिया । इस संबंध में रजिस्ट्रार महोदय को लिखा जा चुका है । मैं सहकारिता मंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वे सच्चे दिल से जनतन्त्र की रक्षा करना चाहते हैं तो उनको चाहिये कि न्याय की दृष्टि से जो उचित हो उसी के अनुसार कार्यवाही करें ।

[श्री राज राजेश्वर]

एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा। चुनाव के बाद विशेष तौर से अपने क्षेत्र का उल्लेख कर देना चाहता हूं) कि भारतीय जनसंघ के लिये जो कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे, सरकारी मशीनरी उन पर अत्याचार कर रही है, गुंडे उन पर हमला करते हैं लेकिन पुलिस सुनती नहीं। पुलिस को जब रिपोर्ट की जाती है तो पुलिस के लोग कह देते हैं कि यह तो गैर दस्तन्दाजी जुल्म है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अराजकता को जो आज बढ़ावा दिया जा रहा है यह उचित नहीं है। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं। यह किसी व्यक्ति विशेष से संबंध रखने वाली बात नहीं है, यह सामूहिक रूप से एक दल की बात है। इस प्रकार दूसरों को अपमानित करके जनतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। पिछले हफ्ते की बात है कि हमारे क्षेत्र के अन्दर एक सज्जन मेहमान आये बैलगाड़ी में बैठकर के। रात में बैलगाड़ी जला दी गई। मैं नहीं जानता कि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई कार्यवाही हुई। अगर इस प्रकार का अव्यवहार या अव्यवस्था जारी रही तो मैं नहीं जानता कि इसका क्या परिणाम हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। मैं सरकार को सावधान करना चाहता हूं कि प्रमाणिकता के साथ इस चीज को देखें।

इसके अतिरिक्त, यह जो बजट रखा गया है इसमें भी किसानों को राहत देने का प्रयास नहीं किया गया है। चार आने का लगान संकटकाल के समय में लगाया गया था। इस समय संकटकाल नहीं है और संभवतः केन्द्रीय सरकार भी संकटकालीन समय अभी वापिस लेने जा रही है। सरकार ने चार आने का लगान माफ करके मगरमच्छ जैसे आंसू बहाये हैं। अगर हमदर्दी है, सूखा पड़ा, पानी नहीं बरसा खेतों में अन्न नहीं है, सरकार को चाहिये था कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाती और जहां पर अन्न पैदा नहीं हुआ है वहां का लगान पूरा माफ किया जाता लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक ओर तो वर्षा नहीं हुई, किसान सूखे से पीड़ित था, परेशान था और दूसरी ओर नहरों में भी पानी का प्रबन्ध नहीं किया गया यह इन की व्यवस्था थी और नतीजा यह हुआ बहुत सी जगह गांवों में बुवाई नहीं हुई। ऐसी शासन व्यवस्था के होने पर और ऐसी गांवों की दशा होने पर जनतन्त्र की रक्षा की बात कहकर एक दूसरे पर लांछन लगाना उचित नहीं है। श्री बनारसी दास जी कहते थे कि इधर के लोग नाजायज शादी कर के बैठे हैं, मैं तो सदन का नया सदस्य हूं लेकिन मेरी जानकारी है कि इस ओर विरोधी दल बैठता था और एक आवाज से बोलता था लेकिन सरकार के पक्ष के लोग और जिम्मेदार अधिकारी यह जो कुछ कर रहे हैं वह क्या कोई जायज चीज कर रहे हैं कि सदस्यों को पदों और धन का लालच देकर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यह क्या नाजायज शादी नहीं है, यह तो इतना नाजायज है जैसे लड़की को कोई बेच देता है। मैं सरकार को इस आग्रह के साथ सावधान करूंगा कि अगर उसने प्रमाणिकता के साथ कार्य नहीं किया और वह दलगत स्वार्थों में पड़ी रही तो देश में और प्रदेश में कौन सी स्थिति पैदा होगी यह नहीं कहा जा सकता। केवल इतना कहकर मैं बैठता हूं।

श्री देवीसहाय बाजपेयी (जिला कानपुर)—

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, वित्त मंत्रीजी ने जो यह लेखानुदान ४ मास के लिये पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण पढ़ा और माननीय राज्यपाल का भाषण भी पढ़ा और जो यह जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत है मैंने उसको भी अच्छी तरह से देखा है जिसमें किसानों का पूरा-पूरा जिक्र है। उनका चार आना लगान माफ किया गया है और उनकी सिंचाई और उनके कुवों का प्रबन्ध भी किया गया है। यह जनता का बजट है और यह समाजवादी व्यवस्था कायम करनेवाला बजट है। मैंने बजट की एक एक चीज को देखा तो मालूम हुआ कि थोड़े से समय में सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है वह सराहनीय और जनता के हित में है।

अभी विरोधी पक्ष की ओर से एक ऐसी चीज कही गई सरकार के बनाने के बारे में। जब वह चुनाव हुए उस समय मुल्क में एक बेचैनी थी। एक कहावत है कि कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मनशा यह है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी का विधान और

एक जनसंघ का विधान, एक पी० एस० पी० का विधान और एक सोशलिस्ट पार्टी का विधान और एक स्वतंत्र दल है जिस का कोई विधान ही नहीं है। यह सब एक साथ बैठे हैं। लेकिन एक विधान चारों पांचों दलों का मिलकर नहीं बन सका जिससे सब मिलकर इतमिनान से और भरोसे से बैठ सकते। न इनके कार्यक्रमों में मतैक्य ही है और कहते हैं कि हम सरकार बनायेंगे। अभी नेकराम जी शर्मा का जिक्र किया गया। मैं उनकी बात सुन रहा था, वह भी ऐसी बात कह रहे थे कि न वे जनसंघ की और न कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनाने के पक्ष में हैं। वह देश भक्त हैं। मुल्क के साथ उन्होंने हमेशा वफादारी की है और राष्ट्रीय सरकार, कांग्रेस की सरकार, के पक्ष में आये और वह बनी। जब मुल्क में त्राहि-त्राहि मची हुई थी, कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। कहावत ठीक है कि जब कंस का जन्म हुआ तो श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ। विरोधियों ने बहुत दावा किया कि उनकी संख्या २२५ है या २१५ है लेकिन जब छानबीन हुई तो पता चला कि कुछ नाम, कुछ हस्ताक्षर, दोनों तरफ हैं। बाद में विरोधियों की संख्या कम पाई गई और कांग्रेस की सरकार बनी। विरोधी दलों के नेताओं से मुझसे बातें हुई। उन्होंने भी कहा कि उन्हें खुशी है, कांग्रेस ही सरकार बना सकती है। थोड़ा बहुत तो हम विरोध दिखाने के लिये करेंगे ही। कहने का मतलब यह है कि जो कदम इस कांग्रेस सरकार ने यह बजट पेश करने में उठाये हैं वे प्रशंसनीय हैं।

कुछ बातें भूमि-भवन कर के बारे में कहीं गई। हम उस पर विचार करेंगे और अगर ज्यादातर लोग यह कहेंगे कि भूमि-भवन कर न रहे तो हम उसे हटावेंगे और देखेंगे कि कहां खर्च कम किया जा सकता है या आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह की और भी बहुत सी बातें हैं। मैं तो बजट के मामले में विरोधी दल से कुछ सीखना चाहता हूं मैं तो आशा करता था कि वे बतायें कि बजट में यह रकम ज्यादा है और यह कम है। मगर ऐसा नहीं किया गया। मैं इस बजट को जनता का बजट मानता हूं और समाजवादी व्यवस्था का जैसा बजट होना चाहिये वह यह है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री बाबू बबरे (जिला कानपुर)—

अध्यक्षा महोदया, अभी एक माननीय सदस्य ने इस बजट को जनता का बजट कहा लेकिन मैं इस बजट को मंत्रियों की और नौकरशाही की अय्याशी का बजट मानता हूं। मुख्य मंत्री ने राज्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी मंहगाई बढ़ाकर केन्द्र के समान कर देंगे लेकिन इस बजट में उसका कहीं जिक्र नहीं है। क्या गारंटी है कि ४ महीने के बाद जो बजट आवेगा उसमें इसकी कोई चर्चा होगी? सभी प्रान्तों ने केन्द्र के बराबर मंहगाई भत्ता कर दिया है। यह बात आम तौर से हमारे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बनी हुई है जिस दिन से चन्द्रभानु गुप्त की सरकार बनने की घोषणा हुई है उसी दिन से प्रदेश में चोरबाजारी करने वालों का हौसला बढ़ता जा रहा है। यही नहीं जिस दिन से इसकी घोषणा हुई कानपुर में माननीय बनारसीदास जी के एक मित्र हैं, राम रतन गुप्ता जिनका लक्ष्मी रतन काटन मिल है, उन्होंने बगैर फैसले के गुन्डों के द्वारा मजदूरों की हड़ताल तुड़वाना शुरू कर दिया। रात के २ बजे मोटर में पुलिस के साथ मजदूरों को ले जाकर उनकी हड़ताल तुड़वाई जा रही है। और लेबर कमिश्नर न तो पुलिस उचित कार्यवाही कर रही है क्या यह सरकार अब भी यह दावा कर सकती है कि वह जनतंत्र की हिफाजत कर लेगी? मुझे दुख मालूम होता है कि किसी तिकड़म से आपने अगर सरकार बना भी ली तो यह जनतंत्र की सरकार नहीं है, यह तिकड़मबाजी की सरकार है। आपने जनता के भावों का देखा? आपने इस बजट में ३८ करोड़, ९६ लाख, ७८ हजार रुपया प्रशासकीय व्यय के लिये रखा है। सारा करप्शन इसी विभाग में है। जितने भी आई० ए० एस० अफसर हैं वे अपने विभाग को सुधारने का प्रयास तो नहीं करते हैं लेकिन मंत्रियों के पापों को छिपाने का प्रयास करते हैं और ऐसों को ही तरक्की मिलती है। जो विभाग को सुधारने का कुछ प्रयास करते भी हैं उन्हें तरक्की नहीं मिलती है। उनको तनख्वाह दी जाती है। आप पुलिस में कुछ

[श्री बाबू बदरे]

ऊपर के लोगों पर पैसा खर्च करते हैं। अभी मुझे एक शेर याद आ गया कि "वतन की ताक में बैठे थे वतन के रहबर, वतन जब हाथ आया तो वतन को ही लूट लिया।" यही इस कांग्रेस के रहजन शासन में हुआ। हम आप को सहयोग भी देंगे। यह नहीं है कि हम आलोचना ही करना जानते हैं। माननीय बनारसीदास जी के भाषण को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। मैं एक मिल में काम करने वाला साधारण मजदूर हूं और आप देखेंगे कि अधिकांश मेरे जैसे साधारण लोग ही जीतकर आये हैं। आपने इस प्रान्त में कोई बड़ी भारी धाक नहीं जमा दी। आपके भाषण से गरीब जनता जो बाहर है या गैलरी में बैठी है या सदन के अन्दर जो कर्मचारी हैं, उनका कोई हौसला नहीं बढ़ा है। आपका भाषण तानाशाही और उत्तेजना पैदा करने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा इन चीजों को सोचें। आपके हाथ में इस प्रदेश का शासन है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको कोई सुझाव विरोधी दलों की ओर से दिया जाय तो आप अपनी तानाशाही में उसे न मानें। आप हमारी बात को मानते हैं जब आप मुसीबत में पड़ते हैं। जब आप चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो विरोध पक्ष की कही हुई बातों को जनता के सामने रखते हैं। कानपुर से आपके एक बड़े महारथी जीतकर आये हैं। एक-एक घर पर जाकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा था कि भाई, हमको माफ कर दो, हमारे पापों को माफ कर दो, अब की तो हमको जिता ही दो। वहां की जनता ने सोचा कि चलो, ब्राह्मण आदमी है, और जात-पांत तो आपके राज्य में चलती ही है, इसलिये इन्हीं को वोट दे दो। वह जीत कर चले आये।

अगर आप इसी तरीके से इस सरकार को चलाना चाहेंगे तो, मुख्य मंत्री जी, आप आसानी से नहीं चला पावेंगे। एक-एक बिल पास कराने में, एक-एक प्रस्ताव पर, आपको पसीने आ जावेंगे और अगर कहीं कांग्रेसी एम० एल० ए० में बीमारी फैल गई, १०, २० बीमार पड़ गये तो सदन का सेशन भी समाप्त हो जायगा और सरकार भी खत्म हो जायगी। ऐसी हालत में मैं आपसे बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि कानपुर की हालत को देखिये। बनारसीदास अगर इस प्रकार के भाषण देते हैं तो कम से कम जो विभाग उन्हें मिले हुए हैं उन्हीं को अच्छी तरह से देखें। रामरतन गुप्ता के शोषण से मजदूर कितने पीड़ित हैं, इसे भी देखना आपका कर्त्तव्य है। ६, ६ महीने से जहां लोग भूखों मर रहे हों, और आप यहां अपनी तुर्रमशाही की शान बघारते हैं। आप कानपुर में ब्लैकमार्केट करने वालों की कोठियों में जाकर रोशनी देखते हैं, वहीं ठहरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी मजदूरों की बस्तियों में जाकर अंधेरा भी देखा?

आज चिकित्सा पर जितना रुपया खर्च करने जा रहे हैं क्या उसका सदुपयोग होता है? आप उर्सला हास्पिटल को देखिए वहां पर क्या होता है। वहां पर बहुत सी ऐसी मौतें हो जाती हैं कि डाक्टर साहब गप्पों में पड़े रहते हैं और मरीजों की हालत खराब होकर मर जाते हैं। आप मुगल शासकों की तरह रहते हैं और हटने का नाम नहीं लेते हैं। मंत्री जी याद रहे कि यदि आप ने अपना रवैया न बदला और कानपुर की हालत की ओर ध्यान न दिया तो आपके खेमे में दरार पड़ जायगी और आपकी सरकार टूट जायगी।

जहां तक हेलैट हास्पिटल का संबंध है जब आप जाते होंगे तो आपका स्वागत होता होगा और जगह जगह पर पुलिस कांस्टेबिल खड़े मिलते होंगे। सब लोग यह विचार करते होंगे कि इसी तरह से ट्रैफिक खड़ा रहता है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि जिन बस्तियों में आप एक एक वोट के लिये हाथ जोड़ते फिरते थे उनमें जाने के बाद भुखमरी को दूर कर देंगे। वहां पर देखिए कि क्या दशा है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि यह विरोधी दल का खेमा पूरे का पूरा कब्जा हो जायगा लेकिन पहले आप अपना दिल और दिमाग वैसा ही बनाइये जैसा कि वोट मांगते समय आपका रहता है।

ये राज्य कर्मचारी, जो आपके इशारे पर "जी हुजूर" करते हैं यदि उनको आप कुछ देने के लिये तैयार नहीं होते तो यह उचित नहीं होगा। यह स्पष्ट होता है कि माननीय

चन्द्रभानु गुप्त जी पहले से खूंरेजी करवाना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे हाथ में शासन की बागडोर आ जाय । सरकारी कर्मचारियों ने केवल झूठे सहारे पर इसको मान लिया । मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी का इस दिन स्वागत करूंगा जब कि राज्य कर्मचारियों को समान मंहगाई भत्ता मिल जाय । क्या आपने कभी इसको सोचा है कि मंत्रियों की फजूल-खर्ची की योजना पर कितना फजूल खर्च होता है? यहीं पर गत वर्ष मंत्रियों के खिलाफ कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये लेकिन क्या कोई कमीशन मुकर्रर किया गया ? ईमान-दारी के माने तो यह थे कि जितने माननीय सदस्यों के खिलाफ या माननीय मंत्रियों के विरुद्ध जैसे माननीय मुजफ्फरहसन के खिलाफ, माननीय बनारसी दास, माननीय गिरधारी लाल, के खिलाफ यदि आरोपों की जांच होती तो आज जो आरोप लगाने वाले थे या तो वे झूठे साबित होते या चार्जेज सही पाये जाते । ऐसा न करना सिद्ध करता है कि बेईमानी है, भ्रष्टा-चार है ।

हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, जो दिन भर लाठी डंडा या बंदूक लेकर राइट लैफ्ट करते रहते हैं, क्या आपने उनकी संख्या और उनकी तनख्वाह को बढ़ाने की बात सोची है? डी० आई० जी० साहब जब सिनेमा देखने जाते हैं या जब मंत्री जी कहीं जाते हैं तो उनकी लाइन लगवा दी जाती है । मैंने एक दिन भोपाल में देखा कि राष्ट्रपति की सवारी निकल रही थी । हालांकि उससे पहले वर्षा हुयी थी लेकिन फिर भी वहां पर पानी छिड़का जा रहा था । मैंने कहा कि जब अभी वर्षा हो चुकी है तो पानी छिड़कने की क्या आवश्यकता है, तो मुझे बताया गया कि संविधान में लिखा है कि जब राष्ट्रपति की सवारी निकलेगी तो पानी छिड़का जायगा । इसलिये यदि आप चाहते हैं कि आप राम रतन जी का खयाल रखें तो आपके भाषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है । मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सिपाहियों की संख्या और पुलिस के कर्म-चारियों की तनख्वाह बढ़ाइये । जो उनकी संख्या १९४७ में थी वहीं चली आ रही है ए० डी० एम्स की संख्या तो चेचक की बीमारी की तरह से आप बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा । आप इन चेचक के बढ़ते बीमारों की संख्या को कम कीजिये । ईद में मैदा देना उसने बन्द कर दिया, कहने लगे कि एक बोरा दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा । २५,२५ बोरियां रखी हुई हैं, मैदा ज्यादा दाम पर बिक रही है । मैंने कहा कि पकड़वाइये । तो कहने लगे कि हां, हां करूंगा । लेकिन कुछ नहीं किया । आप ऐसे अधि-कारियों को रगड़िये और गंगा नहा कर साफ हो कर बैठिये और हुकूमत बनाइये तो मैं समझूं कि आप देश के हित की बात करेंगे ।

श्री मंगला प्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)—

महोदया, मुझे बड़ी खुशी हुई जब आप ने मुझे हुक्म दिया, मैं अपने उन विरोधी पार्टी के मित्रों के सामने चुनाव वाली हालत प्रकट करूं । मैं अपने विरोधी मित्र की आदत का थोड़ा सा प्रदर्शन करता हूं । जब दुकान का लाइसेंस लेना होता है तो कानपुर में डी० एम० के बंगले के चारों तरफ किसी व्यापारी को लेकर सबसे आगे जाते हैं ।

(व्यवधान)

जो बजट हमारे सामने है और जो दलील पुराने माननीय सदस्यों ने दी है तथा हमारे जो नये मित्र हैं उनके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट लोगों में सामन्जस्य स्थापित करने के लिये है । इसलिये नहीं है कि ऐसी भावना फैलायी जाय जिससे नुकसान हो । वह बात करते हैं कि बड़ी गरीबी है । मैं मिसाल देता हूं, मेरी कोआपरेटिव संस्थाओं में दिलचस्पी रही, मैंने देखा विरोधी सदस्य उन संस्थाओं में रुपया लेकर किसानों को कहते रहे कि रजाई बनवा लो । एक गांव में मैं कह रहा था कि डिबलर से गेहूं बोवो तो वह एक किसान से कह रहे थे कि हमारी तरह सिगरेट बोओ । क्या विरोधी लोगों के कारनामे छिपे हैं ? इतने रुपये से क्या प्रान्त की रहने वाली जनता का कल्याण हो सकता है ? अगर ऐसा सम्भव है तो शायद

[श्री मंगलाप्रसाद तिवारी]

वह इतना पैसा उन मिल मालिकों से ले लिये होते जो सुबह तो हड़ताल करवाते हैं और शाम को मिल मालिक से पैसा ले लेते हैं।

मैं इस नतीजे पर आया हूं कि दूसरे प्रान्त की सरकारें जहां विरोधी सरकारें हैं, उनका बजट हमारे प्रदेश की सरकार से रद्दी बजट है। जो गोबर लगने में शरमाते हैं वह दम भरते हैं दूध की नदियां कांग्रेस सरकार बहा दे और वे बैठ कर पीया करें। अगर वह सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के जन जीवन में उठान आ जायगा और वह मुख्य मंत्री बन जायगा अथवा मंत्री बन कर एक विभाग लेगा और यह कहेगा कि तुम्हारी यह गलती, यह गलती। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि वह उत्तर प्रदेश के रहने वालों का कभी भला सोचता है। सरकार को चार महीने चलाने के लिये यह सामान्य बजट है और उनको सोचना चाहिये कि कोई यहां के जन जीवन को बिगाड़ने की बात नहीं है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि १० हजार मजदूरों को लेकर चले आयेंगे और हल्ला मचा कर लौट जायेंगे। तो इससे वह गेहूं की पैदावार बढ़ायेंगे या कारखानों का माल बढ़ायेंगे? उनका मंशा आखिर क्या था? सरकार को चलाने के लिये इस सदन में बैठ कर ठंडे दिल से सोचना होगा कि किस तरह से भुखमरी मिटे, किस तरह से गल्ला ज्यादा पैदा हो। इसके बजाय जो उन्होंने अपना तरीका यहां रखा उससे यही ज्ञात होता है कि वह भी एक लालच में यहां बैठे हुये हैं। पूर्वी जिलों के जो बड़े नेता हैं वे क्या अपनी बीबी से खेत में काम कराना पसन्द करते हैं? क्या उसको तनख्वाह देते हैं? क्या उनका वही पुराना तरीका नहीं है बैठ कर खाने की आदत क्या विरोधी सदस्य जमीन के मालिक नहीं हैं, कारखानों के मालिक नहीं हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है? आज सदन में बैठ कर सुधार का लबादा पहन कर आप जनता को धोखे में डालते हैं। उधर जो मुफ्त का राशन बैठे बैठे खाते हैं' रूस का चुरुट पीते हैं, कोई राजा साहब अरब से खजूर मंगा कर खाते हैं वे कांग्रेस की बैंचेज पर बैठे हुये सदस्यों पर रिमार्क कसा करते हैं, जिन्होंने जन जीवन में तपस्यायें की हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या इस तरह से वे मध्यम श्रेणी के लोगों की तादाद नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या वे किसी जिला परिषद् के चेयरमैन से नहीं कहते कि इसको मास्टर बना दीजिये, यह आपको जिता देगा। जन जीवन में बेंकरप्सी के लिये विरोधी दल ही जिम्मेदार है। यही वजह है कि जितने समझदार व्यक्ति हैं उनका यह खयाल रहा कि उत्तर प्रदेश में ठंडे दिमाग से अगर सरकार को चलाना है है तो कांग्रेस ही ऐसी जमात है जो उसे चला सकती है।

एक मित्र ने कहा कि मिर्जापुर बड़ी गरीब जगह है। मैं भी वहां गया तो मेरे एक मित्र मन्दिर पर भांग छान रहे थे। मालूम हुआ कि वे विरोधी दल के एम० एल० ए० हैं और कांग्रेस को हरा कर आये हैं। वे देवी को मना रहे हैं कि विरोधी दल का राज्य हो जायगा तो सवा मन दूध का परसाद चढ़ायेंगे जबकि वहां भैंसों की कमी है। मेरा निवेदन है कि ढंग से जरा सही बात कहें। यह बड़ी अशोभनीय बात है कि आप समाज को धोखा देने के लिये गलत बात कहते हैं कि बड़ी भुखमरी है, बड़ी गरीबी है। आखिर आपको भी तो पूरा अधिकार है। सरकार के अलावा जन जीवन में सुधार कर सकते हैं। क्या कोई विरोधी सदस्य आज खड़े होकर कह सकता है कि बीस साल असेम्बली में बैठने के बाद किसी एक गांव को उन्होंने स्वावलम्बी बना दिया?

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया। (श्री मुहम्मद असरार अहमद का नाम पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि क्या विरोधी दल में कोई ऐसा आदमी है जिसने मजदूरों को स्वावलम्बी बनाया है। तो मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के अन्दर कोई नहीं लेकिन मैं खुद ही एक ऐसा आदमी हूं कि जिसने उनको स्वावलम्बी बनाया है।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठिये। माननीय सदस्य बिना इजाजत बोलने का कष्ट न करें।

*श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

महोदया, मैं दो दिन से सप्लीमेंटरी बजट और आज वोट आन अकाउन्ट पर भाषण सुनता रहा। ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से तो शायद ऐसा मालूम हो रहा था कि चूंकि मंत्रिमंडल नहीं बना है तो कौन कितनी खुशामद के साथ तारीफ कर सकता है ताकि मंत्रिमंडल बनने में उन्हें फायदा हो सके। गालिबन सभी सदस्य जानते होंगे कि मैं सन ४८ से सन् ६१ तक इसी कांग्रेस पार्टी में यू० पी० सी० सी० तक का मेम्बर रहा हूं और जिले का जनरल सेक्रेटरी। इस थैली के हर एक चट्टे बट्टे की हिस्ट्री को जानता हूं और गालिबन किसी को यह हिम्मत न होगी कि मुझे छेड़े। और अगर छेड़ेगा तो शहद की मक्खी की तरह अगर कहीं मक्खी बैठ गयी तो फिर प्राण ही जायेंगे। मैं यह भी सुनता रहा कि मेरे मोहतरिम वजीर बनारसीदास जी ने यह कहा कि कांग्रेस ने मुल्क को आजादी दिलाई और उसमें जितने आदमी हैं वह उनके दल की तरफ से हैं। मैं यह सोच रहा था कि हिन्दुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में क्या कोई दो कौमें बन गयी हैं कि एक कांग्रेस कौम और एक गैर कांग्रेस कौम क्या महात्मा गांधी के जमाने में देश में सिर्फ कांग्रेस ही थी जिसने इस मुल्क को आजाद कराया? या वह गरीब से गरीब किसान इस देश में नहीं रहता था जिसने कि उनको सहयोग दिया? सिवाय इसके कि वह दो आने का मेम्बर न बना हो। उन लोगों के यहां इन्होंने खाना भी खाया है, पैसा भी लिया है और जब गांधी को ताकत मिली तो उन्होंने देश को आजाद कराया (शोर) उसका भी मैं जवाब देता हूं। उस जमाने में मुस्लिम लीग थी। जनसंघ को आपने ताकत दी और आज जनसंघ से टकराते हुये आप डरते हैं। यह जनसंघ आपका पैदाकर्ता है और आप ही को यह डसेगा और हम उसको सहयोग देंगे और बराबर देते रहेंगे। आपने यह भी कहा कि यह हैट्रोजिनस एलिमेंट है, इन्होंने नाजायज शादी की है। बीस साल तक शादी करने के बाद आपने अपने कितने ही साथियों को तलाकें दी हैं। हमने कोई तलाक नहीं दिया है। हमने नाजायज शादी की है लेकिन सही बच्चे पैदा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ठेकेदारी कांग्रेस की है। क्या आप यह नहीं जानते हैं, दुनिया जानती है कि अगर इस वक्त किसी भी मुल्क में आग लगी, शोले आये तो क्या सिर्फ कांग्रेस वाले ही बचाने जायंगे या विरोधी दल वाले भी बचायेंगे। १९४७ से जो पलीता लगाकर मुल्क में आग लगाई है उससे आज हिन्दुस्तान जल रहा है और हमारा प्रदेश जल रहा है इसलिये हमारा फर्ज है, चाहे हम किसी पार्टी में हों, एक जगह रह कर इस प्रदेश को बचायें। इसलिये हमने कसम खाई और तय किया कि तमाम विरोधी दल मिल कर, इस प्रदेश की जो पुकार है कि कांग्रेस शासन से प्रदेश को बचाया जाय, उसको पूरा करें। क्या कोई इससे इन्कार कर सकेगा जिसने ईमानदारी से कसम ली है कि कांग्रेस पार्टी की अक्सरियत नहीं चाहती थी कि शासन उसके हाथ में आये। वह चाहती थी कि विरोधी दल गवर्नमेंट बनाये। लेकिन उस वक्त नकशा बदल गया जब हमारे दोस्त चरण सिंह जी ने अपना नाम लीडरशिप से वापस ले लिया और नेता का चुनाव हुआ। फिर सवाल पैदा हो गया कि हम गवर्नमेंट बनायेंगे। चाहे कामराज कुछ भी कहें लेकिन हम गवर्नमेंट जरूर बनायेंगे। हम बुराई करने वाले हैं। एक दफा नाजायजों को भी हुकूमत बनाने का मौका देते शायद बेहतर काम कर सकते। लेकिन १९४७ से अब तक क्या चुनाव के आंकड़े साबित नहीं करते हैं कि आप इतना जबर्दस्त काम कर रहे हैं फिर भी यह हर चुनाव में हारते चले जाते हैं। क्या मालूम १९६७ के बाद दूसरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वजूद ही मिट जाये। क्योंकि कांग्रेस ने कौम बनाना शुरू कर दिया है और दूसरों से नफरत करना शुरू कर दिया। यह चीज इनको खत्म कर देगी।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य आपस में बातचीत न करें।

श्री मुहम्मद असरार अहमद---

कोई तो कहते हैं कि हम बजट पर बोल रहे हैं और बहुतों को मालूम भी नहीं कि वह बजट पर बोल रहे हैं या गवर्नर के ऐड्रेस पर बोल रहे हैं। लेकिन उनको तो सरकार की तारीफ करना है। कोई किसान की बात कहता है लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि इसमें उनका जिक्र तक नहीं है। वह कहते हैं कि बजट में किसान लिखा है इसलिये यह अच्छा हो सकता है।

इसके साथ ही साथ मोटी सी बात है कि जब विरोधी दलों ने अपना प्रोग्राम बनाया तो उसकी मुख्य-मुख्य चीजों को कांग्रेसी हुकूमत ने भी मान लिया। और २५ परसेंट सरचार्ज लैण्ड रेवेन्यू को वापस ले लिया। इससे पहले जबकि इनकी पार्टी मांग कर रही थी तो उस वक्त क्यों नहीं लिया? आज यह इसलिये मानते हैं कि हमने जो मांग की है। आज यह प्रोफेशन टैक्स और बिल्डिंग टैक्स को भी खत्म करने की बात करने लगे हैं। ताकि यह जनता से कह सकें कि हम भी वही कर रहे हैं हम इलेक्शन कामयाबी से जीते। मैं ट्रेजरी बेंचेज को चैलेंज करूंगा, उनके हल्के में मैं जाने के लिये तैयार हूं देश की और प्रदेश की यह पुकार थी कि किसी पार्टी को वोट दो लकिन कांग्रेस पार्टी को वोट मत दो। लेकिन जितने भी जीत कर आये इसलिये कि हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगा, दूसरे दलों के खिलाफ वोट नहीं मांगा।

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय समाप्त हो गया।

(श्री प्रभाकर त्रिपाठी से) आप को पांच मिनट का समय दिया जा रहा है। उसके बाद वित्त मंत्री बोलेंगे।

एक सदस्य---

पांच मिनट का समय हमको दे दिया जाय।

*श्री प्रभाकर त्रिपाठी (जिला कानपुर)---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं इस बजट का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं समझता था कि जो लोग यहां आये हैं चाहे जिस दल के होंगे, पार्लियामेंटरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी रूपरेखा बनायेंगे जिससे समाज का उत्थान हो और आर्थिक ढांचा ठीक हो। लेकिन सिवा लम्बी-लम्बी स्पीचेज के यहां कुछ नहीं है। यह आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती थी। अगर नही बना सकती थी तो स्पीकर किस प्रकार से चुना?

श्री अधिष्ठाता---

इस पर काफी बात हो चुकी है। बजट पर बोलिये।

श्री प्रभाकर त्रिपाठी---

चूंकि कानपुर इंडस्ट्रियल टाउन है इसलिये वहां की बात रखना चाहता हूं। लोग कहते है कि सरकार मे भ्रष्टाचार है। उनकी राय से अगर मैं सहमत हूं तो गलत होगा और अगर असहमति प्रकट करूं तो भी गलत होगा। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि सरकार निर्दोष है। उसके अन्दर भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार है तो विरोधी नेताओं द्वारा पैदा किया गया है। कानपुर जैसी नगरी में जितनी राशन की दूकानें हैं, लाइसेंस या परमिट हैं, अधिक मात्रा में विरोधियों के पास हैं।

(इस समय २ बज कर ४३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ अधिकारी भी इस तरह के हैं कि जो भष्टाचार को कायम रखना चाहते हैं। वह सोचते हैं कि विरोधियों के मुंह कौन लगे, यह जो कुछ कहें कर दो। कानपुर में गोविन्दनगर है जहां सिंधी धर्मशाला है। लेकिन एक जन संघ के नेता ने सोलह सौ गज जमीन लेकर.....

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जो सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं, जो व्यक्ति हाउस में कुछ नहीं कह सकता उसके सम्बन्ध में क्या कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

साधारणतया हमारी यह परम्परा है कि जो आदमी सदन के बाहर हैं उस पर आक्षेप नहीं करते, चार्ज नहीं लगाते, उनका जिक्र तो होता है, मगर कोई आक्षेप वाली बात न कहें। अगर कोई साधारण नीति की बात हो तो हर्ज नहीं है।

श्री प्रभाकर त्रिपाठी—

नाम नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सुना नहीं, मेरे सामने की बात नहीं थी, अगर नाम नहीं लिया और कुछ लोगों का ऐसा जिक्र किया जिससे किसी व्यक्ति की याद आ जाती है तो यह तो हो ही सकता है।

श्री प्रभाकर त्रिपाठी—

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कानपुर में आज औद्योगिक अशान्ति है, इसके लिये सरकार को दोषी कह देना ठीक नहीं है, इसका मुख्य कारण सरकार की त्रुटि पूर्ण नीतियां नहीं हैं। मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में औद्योगीकरण होने की बात आई। वहां पर सरकार ने देखा कि वहां का एम्पलायर मनमाने तरीके से औद्योगीकरण करता चला जा रहा है तो उसे रोकने के लिये सरकार ने एक नेशनलाइजेशन कमेटी बनाई थी। फिर भी विरोधी नेताओं ने उसका विरोध किया क्योंकि व नेता उस कमेटी में नहीं लिये गये थे। उन्होंने कमेटी का विरोध किया, उसके मार्ग में रोड़े अटकाये और मजदूरों को यह कह कर भड़काया कि यह तुम्हारा वेतन और सहूलियतें कम करेगा और अन्त में विरोधी नेताओं ने उनसे हड़ताल करवा दी और उन्होंने मालिकों को यह मौका दिया कि वह नेशनलाइज करें।

अब मैं लक्ष्मी रतन मिल का जिक्र करना चाहता हूं कि और मैं यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि वहां पर जो कुछ हुआ है वह वहां के एम्पलाईज की देन नहीं है बल्कि वह नेताओं की देन है। विषम परिस्थिति लाने का उत्तरदायित्व उन स्वार्थी नेताओं पर है। मैं लेबर मूवमेंट से पूरी तरह से सम्बन्धित रहा हूं और मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि १९४८ में एक हड़ताल कराई गयी थी और बाद में वह वापस ले ली गयी और उसके नेताओं में से किसी ने एजेन्सी ले ली किसी ने परमिट ले लिया। उन्होंने परमिट और एजेंसी आदि के प्रलोभनवश मजदूरों के हित को लात मार कर हड़ताल वापस ले ली। वहां के मजदूर आज भी पिस रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय एक ही दो मिनट रह गया है, अगर आप बजट पर बोल लें तो अच्छा है।

श्री प्रभाकर त्रिपाठी—

तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लेबरर का संबंध है, मैं यह बता देना चाहता हूं, कानपुर का मजदूर सही माने में ट्रेड यूनियन के रास्ते पर नहीं जा रहा है, वह गलत

[श्री प्रभाकर तिवारी]

रास्ते पर जा रहा है और इसका कारण उनकी गलत लीडरशिप है, जो गैरकानूनी रास्ते पर चल रही है और केवल अपने ही हित को देख रही है। वहां के लीडरान भाषण करते हैं और वहां के मजदूरों को गुमराह करते हैं और इसीलिये न मजदूरों का कोई हित हो पा रहा है और न नेशन का ही कोई लाभ हो पा रहा है, क्योंकि वे नेता केवल यह सोचते हैं कि किसी तरह से उनकी नेता गिरी बरकरार रहे। वहां के लीडर्स यह करते हैं कि मजदूरों को भड़का कर स्ट्राइक कराकर उन्हें लड़ा कर अपनी सौदे-बाजी कर लेते हैं, क्योंकि वे प्रोफेशनल हैं और इस तरह से अपनी आजीविका कमाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)--

पांच मिनट का समय इधर भी दे दें।

श्री अध्यक्ष--

हां यह तो मालूम है कि इधर से अभी एक सदस्य बोलना चाहते हैं लेकिन आप तो नहीं, किसी दूसरे सदस्य के बारे में बताया गया है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

उन्हीं को समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, माननीय चन्द्रशेखर जी पांच मिनट बोल लें।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस पवित्र सदन में वित्त मंत्री बहुगुणा जी के लेखानुदान पर बहस चल रही है....

एक सदस्य--

श्रीमन्, मैं भी खड़ा हुआ हूं मुझे भी इस पर बोलने का मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो आरम्भ है, अभी आपको बोलने के बहुत मौके मिलेंगे। गवर्नर्स एड्रेस होगा, बजट होगा, तब बोल लीजियेगा। चूंकि समय निर्धारित किया जा चुका है और समय के अन्दर इसे समाप्त करना है, इसलिये इस समय नहीं हो सकेगा। मैंने माननीय चन्द्रशेखर जी को आमंत्रित कर लिया है, इसलिये वह बोल लें और अपना भाषण ५ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री चन्द्रशेखर--

इस माननीय सदन से इस अयोग्य सरकार को खर्चे के लिये अनुमति देने की बात कही गयी है। वह सरकार आज क्यों अयोग्य है यह प्रश्न भी इस सदन के सामने है। इस सरकार के २० वर्ष से ज्यादा के रवैये को यदि आ देखेंगे तो आप को केवल अयोग्यता और नाकाबलियत के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जो चीज देश की जनता के आधार भूत जीवन से जुड़ी हुई है वह एक अन्न समस्या है और आज २० वर्ष के पश्चात् भी इस सरकार ने अन्न समस्या का कोई निराकरण नहीं किया है। वह जमाना मुझे याद है कि जब इस देश के भूतपूर्व स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने अन्न की समस्या को हल करने के लिये १५ अगस्त के दिन लाल किले से कहा था कि अन्न की समस्या हल करने के

लिये मकान की छतों पर मिट्टी डाल कर पौधे उगाओ और गमलों में पौधे उगाओ लेकिन फिर भी अन्न की समस्या हल नहीं हुई। यदि हम जैसा साधारण आदमी इस बात को कहता तो वे लोग कहते कि देखो इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। छत पर मिट्टी डालकर पैदावार बढ़ाने की बात करता है। चूंकि प्रधान मन्त्री ने उस बात को कहा था, इसलिये उसको मंजूर कर लिया गया। इसके बाद दूसरे प्रधान मन्त्री आये और उन्होंने कलकत्ते की सभा में कहा कि अन्न की समस्या के निराकरण के लिये उन्होंने यह कहा कि एक हफ्ते में एक वक्त खाना न खाओ। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि कोई साधारण आदमी यह सोचेगा कि अन्न की समस्या के निराकरण के लिये इस तरह से कह सकता है। वह तो यह कहेगा कि अन्न की समस्या के हल का तरीका यह हो सकता है कि अच्छा पानी और अच्छा खाद दिया जाय लेकिन चूंकि भारत का प्रधान मन्त्री इस बात को कहता है कि एक वक्त खाना न खाओ तो वह बात सही मान ली गई। इसी प्रकार से कांग्रेस के लोग यह भी कह सकते हैं कि देश में आज कपड़े की कमी है तो हफ्ते में एक दिन बिना कपड़े पहने ही सड़क पर टहला करें।

श्री अध्यक्ष—

आप का थोड़ा ही समय रह गया है इसलिये आप बजट पर भी कुछ कहिये।

श्री चन्द्रशेखर—

मैं यह कह रहा हूं कि यह सरकार अयोग्य है और इसने आज तक अन्न की समस्या को हल करने के लिये कोई मार्ग नहीं निकाला है। आज हमारे सामने इस बात के लिये हमसे प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं कि इनकी अयोग्यता पर हम भी अपनी मुहर लगा दें। मैं इस आदरणीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो इस सरकार की ओर से प्रस्ताव आया है उसको यह आदरणीय सदन ठुकरा दे क्योंकि यह सरकार अपने कर्मों के जरिये से ही अपनी अयोग्यता जाहिर करती है। इनके चनाव घोषणा-पत्र में साफ लिखा हुआ है कि हम १० बीघे तक जमीन का लगान माफ करेंगे और खतम कर देंगे। क्या माननीय नेता सदन गुप्ता जी इस सदन के समक्ष बतलाने की कोशिश करेंगे कि अपने प्रदेश की जनता को चुनाव घोषणा-पत्र में जो बचन दिया है उसको पूरा करेंगे। अगर वे इसको पूरा नहीं करेंगे तो इस प्रदेश की रक्षा के लिये माननीय गुप्त जी इधर आयें और हम उधर जायें।

माननीय बनारसी दास जी इस सदन के सदस्य और मन्त्री भी हैं। उन्होंने जो बात कही है मैं उसकी आलोचना नहीं करना चाहता। क्योंकि वे तो किसी के इशारे पर चला करते हैं। उनसे केवल इतना अनुरोध करूंगा कि आखिर खुशामद की भी हद होती है। इस प्रकार से लेकर प्रधान मन्त्री तक खुशामद न की जाय तो अच्छा है।

अन्त में माननीय सदन के आदरणीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि जहां तक पेशे-कर और भूमि भवन कर का सवाल है और भूमि की मालगुजारी का सवाल है इसकी अविलम्ब घोषणा खत्म करने की यहां पर नेता सदन को करनी चाहिये क्योंकि जनता में उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस के लोग १० बीघे तक जमीन का लगान खत्म कर देंगे लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं किया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार अयोग्य है, नाकाबिल है, बचनभंगी है और चरित्रभंगी है। इसलिये इस सरकार को यह सदन कतई अनुमति न दे कि यह प्रस्ताव पास हो।

श्री अध्यक्ष—

(वित्त मंत्री से) मैं समझता हूं कि आप पंद्रह मिनट तो लेंगे ही ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जी हां।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं यह निवेदन करना चाहता था कि इधर और उधर, दोनों ओर के सदस्यों की यह इच्छा है कि वे बोलें। इसके बाद वोटिंग के लिये एक घंटा है। हम उसमें कम से कम समय लगायेंगे और उसे जल्दी समाप्त कर देंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप दो-चार सदस्यों को बोलने का समय और प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष—

मुझे इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं है अगर दोनों पक्ष चाहें तो, मगर मुझे एक बात कहनी है। अभी आप के और बहुत से काम बाकी हैं और बोलने के लिये बहुत से सदस्य बोल सकते हैं, लेकिन आशा है कि विचार सारे ही आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आधा घंटा और समय बढ़ा दिया जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—

जी हां, ठीक है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय नेता विरोधी दल जरा सी बात कहें और उसे न माना जाय।

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है।

*श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि लेखानुदान की धन-राशि कुछ ज्यादा है इसलिये कि आठ करोड़ के प्रदेश के लिये १,६७,४२,८९,००० रुपये चार महीने के लिये ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जिन हाथों में इस रुपये को सौंपा जा रहा है उन हाथों के सम्बन्ध में न केवल मुझे बल्कि इस प्रदेश की जनता को संदेह हो गया है और इस संदेह का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जो लोग बहुमत में आये वे ही विरोधी दल में हैं, जिन विरोधी नीतियों के आधार पर यहां चुनाव लड़कर आये वह सब यहां आकर संगठित हो गये। उन का संगठन इस सन्देह को दृढ़ करता है। माननीय बनारसी दास जी यहां नहीं हैं। उन्होंने संयुक्त दल के लोगों को जनसंघ के सांप्रदायिक होने का भय दिखलाया और विशेष रूप से उन्होंने जनसंघ की ही चर्चा की। वह यह बात भूल गये कि विरोधी दल में कुल मिला कर जो लोग चुन कर आये हैं उन की संख्या जनसंघ के चुने हुए सदस्यों से कहीं अधिक है। इसलिये जनसंघ का जिक्र करने के साथ साथ उनको इस बात का जिक्र भी करना चाहिये था कि जनता ने अपना असंतोष न केवल जनसंघ के द्वारा प्रकट किया है बल्कि जनसंघ से कहीं ज्यादा दूसरे विरोधी सदस्यों को यहां भेज कर अपना सन्देह उन हाथों पर प्रकट किया है जिन हाथों में सदन यह धनराशि देने जा रहा है। जहां तक इस दल की नीतियों का संबंध है, इन विरोधियों में से एक नहीं, अनेक ऐसे हैं जो आप की मूलभत नीतियों से मतभेद नहीं रखते। चाहे वह राज्य व्यापार हो, चाहे वह भूमि संबंधी व्यवस्था का प्रश्न हो, अथवा किसी अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली समस्या हो। मतभेद इन नीतियों को कार्यरूप में परिणत करने के ढंग से है और वही संदेह आज इस चुनाव में विरोध के रूप में प्रकट हुआ है। माननीय मुख्य मन्त्री जी यहां से चले गये हैं, मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह पुनर्विचार करें कि जहां वे इस देश और प्रदेश के एक त्यागी और तपस्वी आदमी गिने जाते हैं, और उनके दल व मन्त्रिमंडल में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जिन्होंने इस देश की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वतंत्रता के लिये कुछ त्याग किया है। इनका यह जो रूप है उसके लिए प्रदेश और हम नत-मस्तक हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद इस प्रदेश को और समाज को जो उन्होंने नयी परम्पराएं दी हैं जरा उन पर वह विचार करें। उन्होंने समाज को खोखला बना दिया है उन्होंने संविधान के अन्तर्गत जिसके द्वारा इस प्रदेश में शासन करने का एक अधिकार लिया गया है, समय-समय पर उस की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस प्रदेश में जातीयता को बढ़ाया है। एक तरफ संविधान हमें यह डायरेक्टिव देता है कि हम जाति-भेद और वर्ग-भेद को मिटायेंगे दूसरी ओर सरकार ने जातीयता को बढ़ाया है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज मंत्रिमंडल का संगठन है। यह बात मैं ही नहीं कह रहा हूं यह बात इस प्रदेश की जनता कहती है, मेरा इतना संकेत ही काफी है।

दूसरी जो उनके शासन की सबसे बड़ी कमी रही है वह यह है कि उन्होंने शासन व्यवस्था को न केवल शासन के द्वारा चुने हुए लोगों के हाथ में या नामजद किये हुए लोगों के हाथ में शासन की नीतियों को प्रयोग करने का अधिकार नहीं दे रखा है, बल्कि जहां एक जिलाधीश है उसके साथ साथ माननीय मुख्य मन्त्री का हर एक जिले में एक नान-आफिशियल जिलाधीश मुकर्रर है और जो शासन का जिलाधीश है उसके ऊपर जो मुख्य मन्त्री का लड़ैता, प्यारा नान-आफिशयल जिलाधीश होता है उसकी सुप्रीमैसी रहती है। अच्छे से अच्छे, ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति अगर किसी जिले में जिलाधीश है और उसके काम से जिले की जनता भी प्रसन्न रहती है, लेकिन अगर मुख्य मन्त्री के व्यक्तिगत रूप से, बल्कि श्री चन्द्रभानु गुप्त द्वारा नामजद किया हुआ जिलाधीश उससे नाखुश है तो वह जिलाधीश ६ महीने के अन्दर हटा दिया जाता है और अगर माननीय चन्द्रभानु गुप्त द्वारा नियुक्त गैर सरकारी जिलाधीश उस जिलाधीश से प्रसन्न है तो ३ साल की अवधि जो साधारणतया निश्चित है उसको पार करके भी रखा जाता है और एक एक जिलाधीश ४-४, ५-५ साल एक-एक जिले में रहता है। (लाल बत्ती होने पर) माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से मैं उठा-बैठी कर रहा था, इसलिये आशा करता हूं कि मेरी भावनाओं का ध्यान रखकर मुझे २ मिनट और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

भावनाओं की कोई सीमा नहीं है, फिर भी २ मिनट ज्यादा दे रहा हूं।

श्री महीलाल—

अगर उनकी यह नीति रही कि शासन जिलाधीश पर माननीय चन्द्रभानु गुप्त के जिलाधीश हावी रहे तो यकीन कीजिये यह असंतोष जो आज जनता ने प्रकट किया है, यह और बढ़ता जायगा और हो सकता है कि वह लोग जो उनकी रीति और नीतियों में मूलभत तरीके से विश्वास रखते हैं वह भी जनता के साथ सहमत हो जायं।

मैं आप के द्वारा कांग्रेस दल के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी भूलों और आत्म-विवेचन करें, अपनी भूलों पर गम्भीरतापूर्वक पुर्नविचार करें कि ऐसी कौन सी भूलें करते हैं कि जो उनकी मूलभूत नीतियां थीं वह सब बलाये ताक रख दी गयीं। निष्पक्ष मूल्यांकन समितियों का माननीय मंत्री जी निर्माण करें और एक एक अपने कार्य पर सही रिपोर्ट लें कि अब तक जो उन्होंने किया है वह उनकी मूलभूत नीतियों के पक्ष में जाता है या विपक्ष में। उदाहरण के लिये सामुदायिक विकास योजनाओं को लीजिये। माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री यहां विराजमान हैं। उन्होंने किसी विकास क्षेत्र में जाकर यह कष्ट नहीं किया होगा कि वह देखें कि जो उनके कार्यक्रम थे उनमें कितने प्रतिशत सफलता मिली। एक बात वह अवश्य देखते हैं कि कौन बी० डी० ओ० किसी एम० एल० ए० का रिश्तेदार है या नहीं। मैं उसके उदाहरण पेश करने के लिये आपकी इजाजत चाहूंगा। श्रीमन्, ७ नवम्बर का एक जी० ओ० निकला जिसके अन्तर्गत सूखे की स्थिति के कारण किसी भी राज्य कर्मचारी का स्थानान्तरण रोक दिया गया था, किन्तु माननीय सहकारिता मन्त्री श्री बनारसी दास ने एक बी० डी० ओ० का तबादला उस क्षेत्र के कांग्रेसी प्रत्याशी के रिश्तेदार होने के नाते आगरा डिवीजन से बरेली कर दिया, केवल चुनाव जीतने के ख्याल से

[श्री महीलाल]

वह कांग्रेस प्रत्याशी के लड़के का साला है। तमाम कांग्रेस दल के सदस्यों के सम्बन्धी ए० डी० ओ० वगैरह के लिये शासन के पास शिकायतें आती हैं मगर उन पर गौर नहीं किया जाता, अपने आदमियों को जहां चाहते हैं स्थानान्तरित कर देते हैं। इस तरह से तिकड़मबाजी से अगर शासन चला तो इस वक्त सफलता भले ही आप को मिल जाय, मगर वह अस्थायी होगी।

*कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)---

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस महत्व-पूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने माननीय नेता विरोधी दल तथा विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। उनकी ओर से यह कहा गया कि संयुक्त विरोधी दल को सरकार बनाने का अवसर देना चाहिये था, परन्तु माननीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाने के बाद अब यह कथन उनका व्यर्थ सा हो जाता है। उनके रोष और उनके विरोध में इस प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था की एक जर्जर कहानी है। आज की पुकार इस बात की है कि जनता को सामान्य जरूरत की वस्तुयें उचित मूल्य पर मिलें, महंगायी कम हो। आज हम एक भयंकर समय से गुजर रहे हैं। सामान्य जरूरतों की चीजों के भाव दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं। तीनों योजनाओं के बाद भी हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भर नहीं बन सके हैं और खाद्य समस्या वैसे ही उलझी पड़ी है। अनावृष्टि तथा दैवी प्रकोप के कारण भी यह समस्या और विकट हो गयी। परन्तु सरकार को दैवी प्रकोप से पहले की स्थिति से अवगत होकर इस समस्या के समाधान का हल करना चाहिये था। हमने बड़े-बड़े बांध बनाये, विद्युत् शक्ति को बढ़ाया, बड़ी-बड़ी योजनायें बनायीं, इंडस्ट्रियल बेस तैयार किए। इसकी जगह अगर हमने माइनर इर्रीगेशन की तरफ ध्यान दिया होता तो आज हम अवश्य आत्म निर्भर हो गये होते। जो गलतियां हमने कीं, उनका परि-णाम हमें भुगतने को मिला, लेकिन यह गलतियां इतनी नहीं थीं कि हम सरकार न बन पाते। मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों से तथा आप सब से प्रार्थना करूंगा कि आप इस समय इस भयंकर संकट को खत्म करने का प्रयत्न करें। अपने को आत्म निर्भर बनायें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, जखीरेबाजी को खत्म करें, यही आज की पुकार है। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें अपना पूर्ण सहयोग दें ताकि हम अपने दोष को ठीक कर सकें और समस्या का हल कर सकें। मैं इसके साथ यह भी चाहता हूं कि हम इस अवसर पर इस बजट को ही पास न करें बल्कि उपस्थित समस्याओं को एक साथ मिलकर सहयोग से सुलझाने का प्रयत्न करें। इन सुझावों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अख्तर अली खां (जिला रामपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बोलने का मेरे लिये यह पहला ही अवसर है। यहां की परम्पराओं से मैं पूरी तरह वाकिफ नहीं हूं। अगर मुझसे कोई गलती हो जाय तो उस गलती के लिये मैं माफी का ख्वास्तगार हूं। जहां तक इस बजट को मैं देख सका, बदकिस्मती से मैं हिन्दी से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हूं। कल से मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की लेकिन मैं समझ नहीं सका। मेरे एक दोस्त से मुझे अंग्रेजी की एक कापी मिल गई और उसको पढ़ने के बाद ही मैं समझ सका। मैंने यह महसूस किया कि सन् १९६७-६८ का बजट हमारे वित्त मंत्री ने जो पेश किया वह यह ख्याल में रख कर नहीं किया कि किस मद में कितनी रकम रखनी चाहिये।

जो चन्द मसले मेरे सामने हैं उनको पेश करना मैं जरूरी समझता हूं। जहां तक पुलिस के सम्बन्ध में मांग की गई है वह एक तिहाई से ज्यादा है। इससे मुझे यह डर पैदा हुआ कि कहीं सरकार को चोरी और डकैती का डर तो नहीं पैदा हो गया है? इसी तरीके से पब्लिक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैल्थ में भी एक तिहाई से ज्यादा रकम की मांग की गई है। १० करोड़ ५४ लाख में से ४ करोड़ २५ लाख की मांग की गई है। सरकार को कहीं बीमारी का इमकान तो नहीं हो गया है? अगर इसकी पूरी तफसील आ जाती तो हम समझ सकते कि रकम जायज है या नहीं। इसके अलावा कुछ रकामात जो मांगी गई है वह मैं समझता हूं फाजिल हैं। मसलन एजूकेशन में जो रकम मांगी गई है उसमें ग्रान्ट-इन-एड की रकम शामिल है। यह रकम तो साल के आखिर में दी जाती हैं। इसी सूरत से पब्लिक वर्क्स हैं जो साल के आखिर में ही दी जाती हैं पब्लिक इन्स्टीटयूशन्स को ताकि वे अपने इमदादी काम कर सकें। शुरू साल में खर्चे का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। बजट के मसले में मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि वोट-आन-अकाउन्ट की मद जो रक्खी गई है वह जल्दी के बिना पर रक्खी गई है क्योंकि हमारे मंत्री जी को भी पूरा वक्त नहीं मिल सका है। मैं समझता हूं कि अगर ये दोबारा देखकर पेश की जायं तो ज्यादा मुनासिब होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं समझता हूं कि सवा तीन बजे हैं। साढ़े-तीन बजे तक इसे समाप्त कर देना चाहिये। अब माननीय वित्त मन्त्री जी आरम्भ करें।

श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मैं कुछ कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

विशेष परिस्थितियों में ही मैंने पहिले भी कहने के लिए समय दिया है। अब मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी आरम्भ करें, तो ठीक रहेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

माननीय अध्यक्ष जी, लेखानुदान के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनके लिये मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। मान्यवर, सारी बातों की चर्चा को दुहराने से शायद उधर के लोगों को अच्छा न लगेगा और न मुझमें इतनी शक्ति है कि मैं अपने प्रदेश के विरोधी दल के मासूम दिल को दुखी करूं और यह मुनासिब भी नहीं है। उन्होंने बहुत सी बातें कहीं लेकिन पता नहीं उन सब बातों का जवाब सुनने की उनको तवक्को भी बाकी है या नहीं। मैं उन सब बातों का उत्तर कहना नहीं चाहूंगा। एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि इस बात पर बड़ी शंका प्रकट की गयी कि हम चार महीने के लिये वोट आन ग्रांट क्यों मांग रहे हैं। मैं माननीय विरोधी दल का नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उनका यह पहला ही अवसर है उस तरफ बैठने का। १५ साल तक इस तरफ बैठने के बाद वे उधर अब गये हैं। उधर बैठने का उनका अनुभव नया है लेकिन माननीय प्रताप सिंह जी का अनुभव पुराना है वे सुलझे हुये आदमी हैं। चार महीने का वोट आन ग्रांट मांगने का मतलब है १२० दिन तक हम खर्चा कर सकते हैं। १२१ वें दिन एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। माननीय सदस्यों को और सरकारी नौकरों को भी तनख्वाह नहीं दे सकते और सरकार ही खत्म हो जायेगी। आपका बजट फेल करने की जरूरत न होगी सरकार ही खुद फेल हो जायेगी। इसलिये इस सदन को चार महीने तक न बुलाने की सामर्थ्य हम में नहीं है। इससे जो काम विरोधी दल नहीं कर सके हैं, यह सरकार स्वयं अपने विरोध के लिये कर लेगी। माननीय नेता सदन ने कहा था कि डेढ़ महीना बजट के पास करने में लगेगा उसका मतलब ही है कि लगभग ढ़ाई महीने में हमको यह असेम्बली जरूर बुला लेनी चाहिये। मैं उसके लिये निश्चित तिथि तो नहीं बतला सकता, वह तो माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल आपस में तय करें लेकिन हमको लगभग ढ़ाई महीने में असेम्बली अवश्य बुलानी होगी अन्यथा जुलाई के बाद हम इस स्थिति में नहीं होंगे कि हम एक दिन भी सरकार को चला सकें। तीन महीने की बात तो आप कह ही रहे थे और हम लगभग ढ़ाई महीने में ही बुलाने की सोच रहे हैं।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इस बात में हमारे मन में कोई पेच नहीं है, कोई कीला नहीं है, कोई शरारत नहीं है। सबल में जब हम और विरोधी दल मेल जोल से काम करेंगे तो आपका यह शुबहा ही मिट जायगा।

यह भी कहा गया कि १ अरब ६७ करोड़ से ऊपर की मांग की जा रही है। वाकया यह है कि यह रकम २ अरब से ऊपर है। क्योंकि इसमें वैसी रकम भी है जिस पर विचार करने का इस सदन को अख्तियार नहीं है, जैसे मेम्बरों के खर्च की रकम है, जैसे किसी कोर्ट से कोई डिग्री हो जाय, उसकी रकम है। उनमें यह सदन कोई कटौती नहीं कर सकता। चार्ज्ड एकाउन्ट की ऐसी रकम को जोड़ कर २ अरब से ऊपर रुपया हो जाता है। इधर से कहा गया कि "उफ, इतनी बड़ी रकम है"। खुशी होनी चाहिये थी कि हम आज इस लायक हुये कि इतनी बड़ी रकम हो गई। गरीबी का बजट छोटा होता है लेकिन बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था में खर्च का बढ़ना शुभ है और फैलाव राज्य के कार्यों का होना निश्चित है। गरीबी का मुकाबिला करने के लिये इनपुट बढ़ाना होगा और पैसा खर्च करना होगा और बजट में उसका प्राविधान करना होगा। कहा जा सकता है कि खर्च मुनासिब है ठीक ढंग से है, उसमें फजूलखर्ची न हो, गलत पैसा जनता का कहीं न लगे, यह देखने की बात है और देखी जानी चाहिये। लेकिन मैं अदब के साथ कहूंगा कि यह ८ करोड़ इंसानों का प्रदेश है और सच पूछिये तो इस जनसंख्या के लिये यह रकम बहुत कम है। यह रकम ६ अरब की भी होती तो प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुये ज्यादा न होती। आज तो यह बजट गरीबी का बजट है और एक दिन वह आयेगा, प्रदेश का सौभाग्य होगा जब हमारा बजट बढ़ेगा। कम से कम आबादी वाले देश छोटे देश जैसे कि इंगलैंड है उनके बजट से हम मुकाबिला करें तो हमें अन्दाजा होगा कि अभी हमें बहुत जाना बाकी है और हमारा सफर अभी कितना लम्बा है।

बहुत-सी चर्चा इस बजट के सम्बन्ध में की गई। एक बात यह कही गयी कि यह सरकार डरती है और घबराती है और अपनी शक्ति का इसको पूरा भरोसा नहीं है और इसलिये यह विरोधी दलों के अन्दर तोड़फोड़ पैदा करती है। इसका उत्तर मैं बहुत नम्रतापूर्वक दूंगा कि ऐसी कुछ आदत हमारी सबकी ही है कि एक दूसरे से लेन-देन हमारा लगा हुआ है, हमारे यहां से कुछ उधर लिया गया और उधर से हमने इधर लिया। क्या बात है हमारे घर से कोई निकला तो आपने स्वीकार कर लिया और आपके घर से निकले तो हमने स्वीकार कर लिया, इस पर गुस्सा करने की बात नहीं है। आपने हमको दिया हमने आपको दिया, इतना समझ लिया जाय, यह बात बड़ी नाजुक है इसलिये इस पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता।

एक चीज मैं और अर्ज कर दूं और बात इस दिशा में खत्म करूंगा। यह सदन एक ऐसा स्थान है, बाहर हम चाहें कुछ भी कहें लेकिन इस सदन की महिमा ऐसी है कि यहां सबकी कलई खुल जाती है, हमारे अल्पमत की भी और बहुमत की भी सबकी ही कलई खुल जाती है। सच्ची बात यहां उभर आती है। गवर्नर का एड्रेस यहां हुआ है, वोट आन एकाउन्ट में कोई खतरा नहीं है। दुनिया के किसी देश में जहां जनतंत्र है वोट आन एकाउन्ट पर वोट नहीं हुआ और डिवीजन चेलेन्ज नहीं हुआ। यह खर्च चला आ रहा है, यह वह चीज है वह खर्च है जिन मदों में पिछले सदनों ने स्वीकृति दे कर इस स्टेट को उन खर्चों का जिम्मेदार बना दिया है और उस जिम्मेदारी को स्टेट छोड़ नहीं सकती। इस तरह के खर्च पर कोई २ रायें नहीं होतीं। आज जो थोड़ी-सी जानकारी हुयी थोड़ा-सा विचारों का जो आदान प्रदान हुआ उसके लिये मैं माननीय सदस्यों को बधाई दूंगा चाहे हमारी बातों से थोड़ी सी तलखी भले ही हो जाय लेकिन जिस अदा से बात चल रही है उसी अदा से अगर सदन का कार्य जब तक उसका जीवन काल रहे चलता रहे तो वह हमारे लिये और उधर के लोगों के लिये एक अच्छी बात होगी और इस से बेहतर और कोई दूसरी बात न होगी। प्रजातंत्र प्रदेश के सार्वजनिक जीवन के लिये यह एक बड़ी कसौटी है और सब की सहायता से हम सब मिलकर अगर सफलता पूर्वक कार्य कर सकें तो हमें खुशी होगी।

वित्तीय प्रणाली के संबंध में, श्रम विभाग की कार्य प्रणाली के संबंध में, सामान्य ~~सामान्य~~ प्रशासन के संबंध में, और उस की कार्य प्रणाली के संबंध में मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि

कि जब से यह नया मंत्रिमंडल आया है हमने आपस में बैठकर, नेता सदन के नेतृत्व में इन्हीं परम्पराओं और बातों को स्थापित करने का संकल्प किया है और चेष्टा की है, भूलें हुई है और होती हैं, पहले प्रशासन से भी हुई होंगी। हम नहीं कहते कि हम भूलें नहीं कर सकते। लेकिन यह सही नहीं है कि हमने कोई चीज सही नहीं की। यह नहीं हो सकता कि जो इधर हैं वह सब देवता हैं और जो उधर हैं वे सब राक्षस हैं। कुछ इधर भी हैं और कुछ उधर भी भले बुरे लोग हैं। अगर कुछ भूल करने वाले लोग हमारे साथ हैं, तो आपको सही करने का अधिकार है, जैसा कि आपकी बातों को सही करने का हमें अधिकार हैं।

एक बात यहां पर यह कही गयी कि इस प्रदेश में अन्न का संकट है और इसका मुकाबला करने में हम बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। माननीय चन्द्रशेखर जी ने भारत के भूतपूर्व मंत्रियों की तकरीरों के बारे में कुछ कहा। शायद उनका संकेत स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री जी के संबंध में था कि उन्होंने भूखे रहने की सलाह दी थी। इस संबंध में मेरा इतना ही निवेदन है कि उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे देश में संकटकाल है, हम एक हफ्ते में एक दिन नहीं केवल एक वक्त उपवास करें। उनका आशय यह नहीं था कि हम ३६५ दिन ही उपवास करें। भारत ऐसा देश है जहां पर हमारे मुसलमान भाई महीनों उपवास करते हैं और जब देश में बहुत अन्न था तब भी हिन्दू लोग भी उपवास करते थे। जब अन्न उपजाया नहीं जा सका तब उस समय फौरी तय करना था कि क्या किया जाय। अब अन्न संकट हमारे ऊपर है तो उसके लिए प्रदेशीय और केंद्रीय सरकार, सारी योजनाओं का जो रूप है, स्वरूप है, उसकी ओर ध्यान दे रही है। जो सरकार से गल्तियां हुयी हैं और जो भूलें हुयी हैं, विचार किया जा रहा है, कि उन्हें किस प्रकार पूरा किया जाय। मैं मानता हूं कि इस बजट से उसकी पूरी झांकी नहीं मिलती लेकिन आने वाले बजट से स्पष्ट झांकी माननीय सदस्यों को मिल जायगी।

हमारे माननीय साथियों ने कहा कि जो दूसरी जगहों पर नयी सरकारें बनी हैं उन्हें अपनी नीतियों का निर्धारण करने में समय लगेगा लेकिन आप क्यों नहीं अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से इस वक्त कह देते। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जब नया नया कोई काम आरम्भ करता है तो उसके काम करने का अपना एक ढंग होता है। यह सरकार एक मायने में पुरानी भी है और नयी भी है। इस सरकार को अपने काम को करने के लिये पेचीदा स्थितियों का मुकाबला करना है। हमें तरह तरह के खर्चे देखने हैं, लेबर्स के संबंध में और कमीशन अपनी क्या रिपोर्ट देता है, क्या हमें करना है, हमें तय करना पड़ता है। तो हम जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते हैं। हम लोग ठीक रास्ते पर हैं और ठीक रास्ते पर चलने वाले हैं।

माननीय नेता विरोधी दल ने मुजफ्फरनगर के कुछ प्रस्ताव रखे थे। उनके संबंध में मैं एक ही बात में उत्तर दे सकता हूं। वे भी और हम भी काफी दिनों तक कांग्रेस में रहे हैं और मैं अब भी मानता हूं कि वे प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले और एक सुलझे हुए आदमी हैं। मुजफ्फरनगर के प्रस्तावों में, वहां की बातों में, हमारी आस्था में कोई अन्तर नहीं है। विश्वास में कोई अन्तर नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हम मिल जुल करके ऐसी स्थिति पैदा कर सकें कि जो रुकावट पैदा करनेवाले तत्व हैं, उनको मिल कर दूर करें। हमें मिल जुल कर प्रदेश के भाग्य को बनाना है और मैं इस माननीय सदन को एक ही विश्वास दिला सकता हूं कि हम एक पैसा भी फिजूलखर्ची में या गलत प्रयोग में खर्च नहीं होने देंगे। हमारा मुख्य ध्येय होगा कि किस प्रकार हम कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं हमारे सारे बजट का लक्ष्य होगा कि किस तरह अपने प्रदेश की जो अर्थ व्यवस्था है और जो मौलिक आधारशिला कृषि है उसको कैसे मजबूत और सबल बनावें और ऐसा करते हुए सारे प्रदेश के जन जीवन को ऊंचा उठा सकें ऐसी हमारी चेष्टा रहेगी।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इन शब्दों के साथ में प्रार्थना करूंगा कि परम्परागत इस मद को स्वीकार कर हमें अनुगृहीत करें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो १,६७,४२,८९,००० रुपये से अधिक न हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७

वित्त मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ ठहर कर)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

*श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

श्रीमन्, जो प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने आज सदन में प्रस्तुत किया है मैं इस के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मंत्री के लिये यह उचित था कि वह इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए इस बात पर भी अपना विचार प्रकट करते कि आगे चल कर इस विधेयक के स्वीकार हो जाने के बाद जो धनराशि उन्हें प्राप्त होगी उसको खर्च करने के लिये किन नीतियों का पालन करते हुये उन्हें खर्च करेंगे। जो लेखानुदान प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने यह बात कह कर मेरा बोझ हल्का कर दिया था कि यह चूंकि पुरानी भी सरकार है और नई सरकार भी है, वित्त मंत्री पुराने सदस्य हैं और उन्होंने पुराने सदन में भी समय-समय पर नीतियों की आलोचना की थी जिन नीतियों के सहारे यह सरकार इस धनराशि को खर्च करने जा रही है। जब वे पुरानी और नयी सरकार का समन्वय करते हैं तो उनके लिये उचित था कि वह सदन में हमको इस बात के लिये आश्वस्त करते कि पहले जो उनसे भूल हुई हैं उनका हम सुधार करेंगे और भविष्य में उचित ढंग से इस धनराशि को खर्च करेंगे लेकिन वित्त मंत्री ने इस प्रस्ताव को उपस्थित करते समय इस बात का आश्वासन नहीं दिया। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी नीतियों को स्पष्ट करते हुए वह इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि पिछली सरकारों से जो भूलें हुई हैं उनको वे सुधारेंगे और सुधार कर इस प्रदेश की सेवा करने का कष्ट करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पारित ही हो जायगा। विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। लिहाजा मैं अपने केवल कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं श्रम मंत्री महोदय से कहूंगा कि जब वह पैसा खर्च करने लगें तो पहले भूखों की तरफ देखेंगे, फाकेकश और मेहनतकश की तरफ देखें। कहीं ऐसा न हो कि आप अपने जेब खर्च में इतने मस्त हो जायं कि उधर दृष्टि भी न पहुंचे। मिज पुर की भुखमरी की तरफ भी आप देखेंगे जहां पर पता नहीं कितनी मौतें हो चुकी हैं। महीनो से अखबारों में सूचनायें आ चुकी हैं। वह तमाम चित्र वहां के ग्रामवासी जिला क ग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने खींचा है लेखों के द्वारा। मेरा निवेदन है कि कम से कम उनकी तरफ ध्यान जरूर देना। आप अगर सुझाव चाहेंगे तो कुछ ऐसे सुझाव हैं कि तीन घंटे के अन्दर कुछ परिवर्तन और संशोधन अवश्य हो सकता है। कुछ सुधार अवश्य हो सकता है।

श्रम मंत्री जी ने इससे पहले उत्तर में कहा था कि आपकी बात का जबाब देना सदन का अपमान है। बातें सही हैं। कभी बाहर मिला तो वहां हमारे जैसे व्यक्ति का स्थान जेल में रहता है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने बड़ी अनुकम्पा की कि ६, ६ बार डी० आई० आर० में साल भर की नजरबन्दी की गयी। यहां भी वही उत्तर मिला कि सदन का अपमान करना है। फिर मैं अपनी बात कहने कहां जाऊंगा? सदन दोबारा बैठेगा तब तक सैकड़ों व्यक्ति मर चुके होंगे, कितनी लाशें बिछ चुकी होंगी लेकिन माननीय मंत्री सुनने को तैयार नहीं हैं, उनको फुर्सत नहीं है। अगर यह कहूं कि आप लोगों में भ्रष्टाचार है तो यह भ्रष्टाचार का अपमान करना है। खैर, दो चार छः महीने आप मौज मार लें फिर तो जहां जाना है वहां पहुंचेंगे ही। बहरहाल, अन्त में केवल इतना कह दूं कि जहां तक अकाल की छाया और भूखों, नंगों का प्रश्न है उसमें अगर पैसा खर्च किया जाय तो हमें कोई एतराज नहीं है। अगर उन तमाम गरीबों पर पैसा खर्च किया जाय तो कोई बात नहीं है। अगर गरीब मजदूरों को पैसा दिया जाय तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया जाय तो कोई परेशानी नहीं होगी। अगर अध्यापकों को पैसा दिया जाता है तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। टेस्ट वर्क्स पर, जहां पर तमाम लोग काम करने दूर-दूर से आते हैं, जहां हमारी बहनों के भूख से तड़पते हुए बच्चे कुड़मुड़ाते हुए कहते हैं कि 'मां रोटी दो" वहां पर जब करोड़ों की संपत्ति को लेकर आप पहुंचेंगे तो शायद उन भूखों और नंगों को रोटी न दे सकेंगे। आज तमाम वह सुहागिनें जो मिट्टी का काम करती हैं और सदन से यह आशा करती हैं कि यह सदन उनके लिये भी कुछ देगा उन्हें आप केवल एक रुपया या बारह आने देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्ट वर्क की मजदूरी दो रुपये और तीन रुपये कर दी जाय? क्या यह सम्भव नहीं है कि उनके लिये पानी की व्यवस्था कर दी जाय? क्या यह नहीं हो सकता कि उन जलती हुई लाशों के लिये कफन की व्यवस्था कर दी जाय? विशेष न कह कर, मैं भावुकता में कविता का निर्माण नहीं करना चाहता। ये तमाम सड़ी गली बातें हैं। सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि इस अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए शायद ही कोई सज्जन हों कि जब मैं भ्रष्टाचार का आरोप लगाना शुरू करूंगा तो वे अपने बचाव में कुछ कह सकें। लेकिन इस समय मैं यह जरूर कहूंगा कि आज कांग्रेस के वे तमाम लोग जो नमक पर टैक्स लगने पर तमाम जेलों को भर देते थे कहां गये। आज सैकड़ों टैक्स बढ़ गये मगर उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी। एक मिनट का टाइम अगर दे सकें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आज जितना पैसा ले रहे हैं कम से कम मिज पुर की विशेष दशा को ध्यान में रखिये। ५४ जिलों में केवल वही एक जिला ऐसा है जहां पर विशेष कष्ट है, लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से और कम से कम वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि होली और बकरीद मनाने के साथ-साथ थोड़ा वहां चलकर देख लीजिये और कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिये जिससे उन लोगों की जान बच सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करने के लिये इसलिये खड़ा हुआ हूं कि मैंने जितने कांग्रेसी सदस्यों के और मंत्रिमंडल के सदस्यों के भाषण सुने उन्होंने हमसे यह अपेक्षा की कि हम कोई ठोस राय दें जिससे वे कुछ प्रगति कर सकें। लेकिन मंत्रिमंडल की तरफ से कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिये वह कोई कार्य करेंगे। मैंने स्वयं यहां यह कहा कि इस भुखमरी के समय पर जब्रिया वसूली हो रही है। माल मंत्री जी और सब विभागों की बात कहते रहे लेकिन उन्होंने कोई ऐसा संकेत तक नहीं दिया कि ऐसा नहीं होने दिया जायगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं एक प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य कृपया शान्ति स्थापित रखें, शोर बहुत हो रहा है।

श्री मलिखानसिंह—

जहां तक उत्पादन का सवाल है, मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने इस विषय में नहीं कहा। उत्पादन बढ़ाने के लिये तीन चीजों की आवश्यकता होती है स्वायल, हीट और वाटर की। पानी का प्रमुख स्थान है। सिंचाई मंत्री ने कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि नहरें बराबर पानी देंगी। रेवेन्यू बढ़ाने के लिये एक पानी दे देते हैं जिससे किसान के ऊपर पानी का टैक्स लग जाय लेकिन फसल के लिये जो तीन-तीन और चार-चार पानी की जरूरत होती है उसकी व्यवस्था करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। न इस तरह का कोई संकेत आया कि हम व्यवस्था कर रहे हैं। अगर पानी सुलभ करा दिया जाय तो दूनी पैदावार हो सकती है। यह एरिया तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन जितनी नहरें बनी हैं उनके पानी की व्यवस्था नहीं कर पाते। जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी प्रदेश का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। जिस समय यह सरकार पदारूढ़ हुई प्रदेश में पूरा विरोध हो रहा था कि हम कांग्रेस सरकार को बरदाश्त नहीं कर सकते। हमारे कुछ नेताओं ने भी विरोध किया। सरकार ने उनका विरोध बरदाश्त न करके ऐसे कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जो आज भी बन्द हैं। माननीय मुख्य मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया कि उनको जेल से छोड़ दिया जायगा। यहीं लखनऊ के हैं, जगदीश गांधी राम शरण गुप्त, भगवती सिंह, शकील, बाबू खाँ, गया प्रसाद, भिन्न भिन्न पार्टियों के लोग हैं, जिनको सरकार में आने से पहले जेल में डाल दिया वह आज भी जेल में पड़े हुए हैं। उनकी मांग थी कि गवर्नर महोदय सही जांच करके जिनका बहुमत हो उन्हीं को शासन पर बिठाएं। उनको जेल में डाल दिया। उन लोगों को तुरन्त रिहा किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों के नाम कृपया बताएं ?

श्री मलिखान सिंह—

सदन के सदस्य नहीं हैं। पार्टी के लोग हैं। जगदीश गांधी जिनका नाम लिया उनका शायद माननीय मुख्य मंत्री से सम्बन्ध भी होगा। यह लोग जेल में पड़े हुए हैं। इन चन्द शब्दों के साथ में इस बिल का विरोध करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि चाहे कमेटी बनाकर या वैसे इन समस्याओं पर विचार करें और संयुक्त रूप से प्रयास करें कि हम प्रदेश का कैसे भला कर सकते हैं।

श्री हृमवतीनन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, भावनाएं अच्छी होती हैं, पवित्र भी होती हैं लेकिन वस्तुस्थिति का भावना से एका नहीं होता। मेरे नौजवान साथी माननीय राकेश जी ने कुछ मिज पुर की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मिज पुर का ही प्रश्न नहीं उत्तर प्रदेश का बहुत सारा भूभाग जो अवर्षण से पीड़ित है और जिन इलाकों में ओला वृष्टि हुई है उन सबकी तरफ हमारा विशेष ध्यान रहेगा और उस संबंध में आवश्यक बातें भी जिलाधीशों से कही जायंगी। लोगों को जाना पड़ेगा, जायंगे भी।

कुछ नीतियों के संबंध में माननीय विशारद जी ने कहा। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारी नीतियां जो सार्वजनिक रूप से सामने आयी हैं उन्हीं के आधार पर सरकार को चलाना चाहते हैं। उनका खंडन करने की वजह भी नहीं है क्योंकि यह सरकार मिली-जुली सरकार नहीं है जिससे हमें अपनी नीतियों को चलाने में खतरा हो। यह कांग्रेस की सरकार है। उसको नीतियों के अन्दर काम करना है। इस सदन का सहयोग मिलेगा। माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपने सहयोग का वचन बार बार दिया है मैं उसकी बड़ी कद्र करता हूं और उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे आशा है कि सारे विरोधी दल और सारे सदन के सदस्य सब मिल जुलकर इस प्रदेश के बड़े काम को उठाने और उसे पूरा करने में कामयाब होंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, १ प्रस्तावना तथा शीर्षक तथा अनुसूची,

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में वर्ष, १९६७-६८ के लिये २,०६,९६,८०,०००० रु० का दिया जाना।

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो १ अप्रैल, १९६७ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से जिन सबका कुल योग २,०६,९६,८०,००० (दो अरब छः करोड़ छियानबे लाख अस्सी हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७

१ अप्रैल, १९६७ को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

अतएव भारतीय गणतंत्र के अठारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, १९६७ कहलायेगा।

अनुसूची
(धारायें २ व ३ देखें)

१	२	३		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोत-कर ..	१,०६,०००	१,०००	१,०७,०००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	३,५०,७६,०००	५,०००	३,५०,८१,०००
३	राज्य आबकारी ..	१५,५१,०००	१,०००	१५,५२,०००
४	बिक्री-कर ..	२८,२२,०००	२,०००	२८,२४,०००
५	अन्य कर और शुल्क ..	१३,१६,०००	१,०००	१३,१७,०००
६	स्टाम्प ..	४,७०,०००	१,०००	४,७१,०००
७	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) ..	९,९७,०००	१,०००	९,९८,०००
८	राज्य विधान मंडल ..	१७,७३,०००	२९,०००	१८,०२,०००
९	निर्वाचन ..	२०,५०,०००	..	२०,५०,०००
१०	सामान्य प्रशासन ..	९५,२०,०००	५,८५,०००	१,०१,०५,०००
११	आयुक्त (कमिश्नर) और जिला प्रशासन ..	४,०२,९०,०००	३,०००	४,०२,९३,०००
१२	गांव सभायें और पंचायतें ..	५४,८७,०००	१,०००	५४,८८,०००
१३	न्याय प्रशासन ..	७६,७७,०००	१६,८०,०००	९३,५७,०००
१४	कारागार (जेल) ..	९१,२७,०००	१,०००	९१,२८,०००
१५	पुलिस ..	७,०३,३४,०००	३,०००	७,०३,३७,०००
१६	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन ..	४४,८८,०००	२०,०००	४५,०८,०००
१७	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य ..	६,२९,०००	१,०००	६,३०,०००
१८	शिक्षा ..	१६,४१,१३,०००	१,०००	१६,४१,१४,०००
१९	चिकित्सा ..	३,३३,८८,०००	१,०००	३,३३,८९,०००
२०	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	४,२५,५४,०००	१,०००	४,२५,५५,०००
२१	कृषि संबंधी विकास ..	३,९१,५५,०००	१,०००	३,९१,५६,०००
२२	उपनिवेशन ..	१,१३,०००	१,०००	१,१४,०००
२३	पशुपालन और मत्स्यपालन	१,७२,१७,०००	१,०००	१,७२,१८,०००
२४	सहकारिता ..	८०,८३,०००	१,०००	८०,८४,०००
२५	उद्योग ..	३,४०,४०,०००	१,०००	३,४०,४१,०००
२६	नियोजन और समन्वय ..	५,९५,७४,०००	२,०००	५,९५,७६,०००
२७	श्रम और सेवायोजन ..	१,५०,९२,०००	३,०००	१,५०,९५,०००
२८	सूचना निदेशालय ..	१९,२३,०००	१,०००	१९,२४,०००
२९	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां ..	१,१७,०१,०००	१,०००	१,१७,०२,०००

१	२	३		
		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
३०	समाज कल्याण ..	१६,४०,०००	१,०००	१६,४१,०००
३१	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	७,२४,६३,०००	१,०००	७,२४,६४,०००
३२	सिंचाई अधिष्ठान ..	२,७४,७९,०००	१,०००	२,७४,८०,०००
३३	सार्वजनिक निर्माण कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाने हैं	४,१५,८०,०००	९१,०००	४,१६,७१,०००
३४	संचार साधनों का सुधार	५५,६९,०००	..	५५,६९,०००
३५	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	७९,०८,०००	१,०००	७९,०९,०००
३६	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान	५८,५७,०००	..	५८,५७,०००
३७	परिवहन	१०,७४,८३,०००	१,०२,०००	१०,७५,८५,०००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	८५,५५,०००	६६,६७,०००	१,५२,२२,०००
३९	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	१,२०,८२,०००	९४,०००	१,२१,७६,०००
४०	राजनीति पेंशनें तथा भत्ते ..	८,७३,०००	..	८,७३,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	८६,४४,०००	..	८६,४४,०००
४२	वन	२,१०,७५,०००	१,०००	२,१०,७६,०००
४३	प्रकीर्ण व्यय ..	१,७९,२८,०००	२,०००	१,७९,३०,०००
४४	राष्ट्रीय संकट से संबद्ध व्यय ..	१,४९,१०,०००	१,०००	१,४९,११,०००
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज ..		११,३५,९२,०००	११,३५,९२,०००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..		२७,२३,२८,०००	२७,२३,२८,०००
४५	कृषि योजनाओं और उपभोक्ता सहकारी समितियों पर पूंजी परिव्यय	१०,१०,४८,०००	१,०००	१०,१०,४९,०००
४६	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ..	१,३०,७९,०००	२,०००	१,३०,८१,०००
४७	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	५,५४,८५,०००	..	५,५४,८५,०००
४८	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	३,८६,७९,०००	१,०००	३,८६,८०,०००
५०	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	६,४७,४५,०००	१,००,०००	६,४८,४५,०००
५१	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ..	१,००,२०,०००	४३,०००	१,००,६३,०००
५२	पेंशनों का राशिमूल्य ..	३,०८,०००	११,०००	३,१९,०००
५३	राज्य व्यापार की योजनायें ..	१५,९०,२२,०००	१,०००	१५,९०,२३,०००
५४	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम ..	२५,७१,९१,०००	..	२५,७१,९१,०००
	योग ..	१,६७,४२,८९,०००	३९,५३,९१,०००	२,०६,९६,८०,०००

* भारित विनियोग।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ के खण्ड २, ३, १, शीर्षक, प्रस्तावना और अनुसूची इसके अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री उग्रसेन द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

श्रीमन्, इस सदन की नियमावली और परम्पराओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे अच्छा है जो माननीय उग्रसेन जी कहते हैं उसे हम माने लेते हैं, लेकिन वोट आन एकाउन्ट के समय ऐसा कभी नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

परम्पराओं में जो भी सृजन हो जाए, वह ठीक है, लेकिन नियम इसमें कोई बाधक नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा, नियमानुसार और सदन की स्वस्थ परम्पराओं के हित में मैं चाहता हूं कि मत विभाजन न हो।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा नियमानुसार वह ठीक है, परम्परा जो भी रही हो।

श्री हेमवती नन्दनबहुगुणा---

मैं इस पर नेता विरोधी दल का बड़ा अनुगृहीत हूं और उग्रसेन जी का भी कि उन्होंने सदन की परम्पराओं को कायम रखने में हमें सहयोग दिया है।

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में हमें इसे पुनः आपके सामने प्रस्तुत करना चाहिये।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६७ पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास २ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आए हैं। एक प्रस्ताव आया है माननीय मधुकर दिघे, उग्रसेन, अनन्तराम जायसवाल, रामस्वरूप वर्मा और माननीय भृगुनाथ जी के हस्ताक्षरों से। इसे मैंने अस्वीकार किया है और इसके लिये मैंने विस्तार से उसके कारण भी उसमें लिख दिये हैं। इसके बाद दूसरा काम रोको प्रस्ताव आया है, माननीय रामसुन्दर शास्त्री, पब्बरराम और माननीय कामता सिंह के हस्ताक्षरों से। इस प्रस्ताव में बताये हुये आरोप पूर्ण जानकारी पर आधारित नहीं हैं, संभावित घटनाओं पर आधारित हैं, इसलिये मैंने इसे भी अस्वीकार किया है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

उसमें सारी जानकारी लिखी है, उसे स्वीकार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे कक्ष में पधारें, शायद मैं आपको सन्तुष्ट करने में सक्षम हो सकूं। मैं उन्हें नियमानुसार नहीं ले सकता हूं।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)---

वह जो प्रस्ताव आपने अस्वीकार किया है इसको कम से कम पढ़कर तो सदन के सामने सुना दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

चूंकि अभी सत्र का आरम्भ हो रहा है तो हमें कुछ नई परम्पराओं का सृजन करना है। नियमों के अन्तर्गत ही यह सूचनायें स्वीकार की जाती हैं। जिसको स्वीकार किया जाता है उसको पढ़कर सुना दिया जाता है लेकिन जिसको अस्वीकार किया जाता है उसको पढ़कर सुनाने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। यह नियमों के अन्तर्गत न आवश्यक है और न व्यवहारिक ही है और न सदन के गौरव के हित में है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, हमारे लोग जो "जनतन्त्र बचाओ आन्दोलन" के दिन गिरफ्तार हुए थे वे अभी तक जेल के अन्दर बन्द हैं। वे लोग शान्ति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उनको सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में बन्द कर दिया।

श्री अध्यक्ष---

कुछ कानून बने हुये हैं। उन कानूनों का उल्लंघन करने पर कुछ कार्य करना आवश्यक हो जाता है।

श्री उग्रसेन---

उन लोगों ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। वह तो शान्ति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष---

इसकी जांच तो न्यायालय ही कर सकता है कि आपकी बात कहां तक सच है। यहां पर उसकी जांच नहीं हो सकती है।

श्री उग्रसेन---

जनतंत्र के ये लोग बहुत हामी हैं। तो इस सरकार को उन लोगों को तुरन्त छोड़ देना चाहिये।

श्री मधुकर दिघे---

जिन लोगों को किसी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है उन लोगों ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। खुद इस सरकार ने कानून का उल्लंघन किया।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, अब कानूनी तो मेरी अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उग्रसेन जी कुछ आग्रह कर रहे हैं अब कितने वह जनतन्त्र को बचाते हैं और कितने नहीं बचाते हैं उस विवाद में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी बातों को स्वीकार कर लेता हूं और उनके साथियों को छोड़ने का आदेश देता हूं।

श्री रामचन्द्र, विकल---

श्रीमन्, मैं और मेरा दल माननीय नेता सदन का बहुत अनुगृहीत है कि उन्होंने इस तरह की यहां पर घोषणा की है। यह सदन के माननीय सदस्यों की मांग थी जो उन्होंने पूरी की।

श्री अध्यक्ष---

मैं दोनों नेता विरोधी दल और नेता सदन को बधाई देता हूं कि उन्होंने यहां पर एक नई परम्परा का सृजन किया है जो सत्र के आरम्भ में ही सदन में दिखाई पड़ रही है। यह परम्परा जनतंत्र की पोषक होगी।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, आप देखेंगे कि हम आगे कितनी नई परम्पराओं का सृजन करेंगे।

जिला मिर्जापुर की तहसील दुद्धी में भीषण अकाल के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ५१ के अन्तर्गत जितनी सूचनायें आई हैं उनमें एक अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण मैंने स्वीकार की है। यद्यपि यह भी उसकी परिधि में पूरी तरह से नहीं आती थी लेकिन महत्वपूर्ण खाद्य समस्या से सम्बन्धित है इसलिये इसको स्वीकार किया है। यह माननीय भुवनेश भूषण शर्मा की है। इसमें उन्होंने कहा है कि "जिला मिर्जापुर में दुद्धी तहसील के अन्दर भीषण अकाल पड़ा हुआ है। लोग घास और पत्ते की रोटी राख मिला कर खाने लगे हैं। करीब एक दर्जन लोग भूख से पीड़ित होकर मर चुके हैं जिनके नाम। पते ग्रामसभा के प्रधान के सर्टीफिकेट के साथ, भूख से मरने के प्रमाण-पत्र हमारे पास मौजूद हैं। श्रीमन् की आज्ञा होने पर हम सब सदन में प्रस्तुत करेंगे। तहसील में सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति भयंकर है।" इसको मैंने स्वीकार किया है। खाद्य मंत्री कृपया बतला दें। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सरकार से कि यह जो हमारे नियमों में परिवर्तन हुआ है जिस पर आचरण हुआ, हम ४ बजे नियम ५१ और ५२ के प्रश्नों पर विचार करते हैं। इसके पीछे एक मंशा यह है कि प्रातःकाल ११ बजे तक मेरे पास वह सूचना पहुंच जाय अगर संभव हो तो उसी दिन टेलीफोन से अच्छी तरह से आप जानकारी कर सकें और ४ बजे तक आप सदन को वह सूचना दे दें। अगर यह सर्वथा संभव हो तो जितनी जल्दी से हो सके उतने शीघ्र दें। तो मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह इस समय वक्तव्य के लिये तैयार हैं या शीघ्रातिशीघ्र वह तैयार कर लें।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---

आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा। आज तो इसके सम्बन्ध में सूचना नहीं है मेरे पास। मेरे मित्र के पास अगर कोई पत्र आदि आये हों या कोई प्रमाण हों और मुझे दिखा सकें तो मैं उनका अनुगृहीत हूंगा।

श्री अध्यक्ष---

जिन्होंने मेरे पास प्रमाण-पत्र आकर दिखाये थे, मैं उनसे कहूंगा कि वह मंत्री जी को भी दिखा दें।

श्री भुवनेश भूषण (जिला इटावा)---

मैं उनके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष---

तो उसके लिए २९ तारीख को सायंकाल का समय निश्चित रहा।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। पहले "यह काम रोको" प्रस्ताव प्रश्नोत्तर के बाद १२ बजे लिया जाता था। लेकिन अब जैसी प्रथा है उसमें सारे दिन का काम तो पूरा हो गया और ४ बजे आपने यह काम रोको प्रस्ताव लिया—आपने बड़े उचित ढंग से यह प्रश्न उठाया, मैं स्वयं उठाने वाला था—तो जो परम्परा पहले थी वही फिर दोबारा चालू की जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय आचार्य दीपंकर जी शायद कल यहां नहीं थे, यह प्रश्न उठा था। मैं उनकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि यह इस समय यह कार्य के लेने का प्रक्रिया कल से शुरू हुई है नये नियमों के अनुसार। अभी इसका परीक्षण काल है। इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह उसको बदल दे। कामरोको प्रस्ताव पर ४ बजे बहस होती है, अब भी उसकी भावना यही है, और अब भी उसी समय बहस हो सकती है। तो अभी इसको कुछ दिन और देखें, फिर माननीय सदस्य इस पर विचार करें।

अब यह तय हो जाय कि उस पर वक्तव्य कब होगा? २९ को?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

२९ को वक्तव्य दे दूंगा।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में उपलवृष्टि के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

नियम ५१ के अन्तर्गत हमने ओलावृष्टि आदि पर प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष—

मैं उसी पर कहने जा रहा था। ओलावृष्टि आदि के सम्बन्ध में मेरे पास ३ सूचनाएं आयी हैं और सभी एक ही विषय पर हैं। (हस्ताक्षर पढ़ने में न आने पर) मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम भी लिख दिया करें जिससे पढ़ने में आसानी हो। तो एक माननीय सुखदेव प्रसाद, माननीय इन्द्रपाल तथा एक अन्य माननीय सदस्य की है। उसके बाद एक माननीय मधुकर दिघे, माननीय जगदीश सिंह, माननीय अश्विनीकुमार, माननीय रामनरेश पांडेय आदि की है। एक और है वह माननीय झारखंडे राय तथा माननीय नर्वदेश्वर जी की है। यह सब एक ही विषय पर हैं और इन सभी को मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के पास अविलम्ब उचित कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री झारखंडे राय—

मैं समझता हूं पूरे प्रदेश में, जिन जिलों में भी यह ओलावृष्टि हुई है, नुकसान हुआ है, वहां के बारे में माननीय राजस्व मंत्री जी अपना वक्तव्य सदन में दे दें।

श्री अध्यक्ष—

यह अवश्य हो सकता है, माननीय राजस्व मंत्री जी...

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

मैं सब जगह से सूचना मंगाने की चेष्टा करूंगा और जहां जहां के बारे में मुझे सूचना मिल जायेगी मैं २९ तारीख को दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

जब यह वक्तव्य आ जाय तो.....

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं यह कहना चाहता था कि चूंकि वहां धान की फसलें मारी गई थीं और रबी की फसल भी अच्छी नहीं थी और इधर जो उपलवृष्टि हुई है उसको देखते हुए वसूली न की जाय। इस के आदेश मंत्री जी भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं बड़ा आभारी हूं माननीय सदस्यों का जिस प्रकार आप एक स्वस्थ वातावरण को इस सदन में बना रहे हैं उससे मुझे विश्वास होता है कि हम अपने कार्यों को बहुत सुचारु रूप से संचालित कर सकेंगे। उसी में यह आवश्यक है कि अगर इस तरह से आप सारे सुझाव देने लग जायेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। उसका समय और मौका होगा। उस वक्तव्य को आने दें और उसी वक्त कुछ प्रश्न करने की बात हो सकती। आपको अल्पसूचित प्रश्न करने का भी अधिकार है। बहुत से माध्यम हैं आपके पास सरकार को बाध्य करने के। एक बात आप यह भी ध्यान में रक्खें कि जिन सदस्यों को बुलाया जाय, वे ही बोलें।

नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षणार्थ अन्य सूचनाएं

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैंने हलद्वानी जिले के भाभर तहसील में सूखा पड़ने और फसल सूखने तथा पानी न मिलने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आज दिया था....

श्री अध्यक्ष—

मैंने जिन प्रस्तावों का उल्लेख कर दिया है उनके अतिरिक्त प्रस्तावों को मैंने अस्वीकृत कर दिया है। उनके अस्वीकृत किये जाने का कारण भी मैंने लिख दिये हैं। जिन माननीय सदस्यों को यह खयाल हो कि वे गलती से अस्वीकृत हुए हैं तो मैं उन्हें अपने कमरे में इसके लिये आमन्त्रित करता हूं।

श्री हरीश कुमारगंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, दस हजार कर्मचारियों की छटनी होने जा रही है उसके सम्बन्ध में मेरा भी.....

श्री अध्यक्ष—

यहां पर सबके लिये कारण बताना सम्भव नहीं है। चूंकि काफी संख्या में माननीय सदस्य रचनात्मक कार्य में दिलचस्पी रखते हैं और सब पूछना चाहें खड़े होकर और मैं सबको कारण बताऊं तो सम्भव नहीं होगा। जो माननीय सदस्य कारण जानना चाहते हैं तो वे पहले मुझे बता दें। उसके बाद तो सारा प्राविधान है और आप समझते हैं कि होना आवश्यक था तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। यही रोज की प्रथा रहेगी।

न्याय मन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उन्हें कोई सूचना मिली हो तो मुझे दे दें। वह उपयोगी सिद्ध होगी और उसके द्वारा मैं उचित सूचना प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

अभी अभी आपने कामरोको, नियम ५१ के सिलसिले में माननीय मंत्री से कहा कि सूचना

मंगवा लें ताकि सदन को दे दी जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आपके आदेश नहीं होंगे तब तक मंत्री जी सूचना नहीं मंगायेंगे। अभी-अभी आपके सामने मैंने नियम ५१ और काम रोको प्रस्ताव को, जैसी प्रक्रिया है उसको हटाने के लिये संशोधन रूप में लिखा है। आपको भी दिक्कत है सूचना मांगने की। तो ऐसी सूरत में सारा सदन यह महसूस कर रहा है कि यह प्रक्रिया गलत हो रही है काम रोको की। ऐसी सूरत में सदन सक्षम है कि उस प्रक्रिया को बदल दे।

श्री अध्यक्ष—

एक ही बात को कई बार अगर माननीय सदस्य जिनके ऊपर इतना बड़ा दायित्व है, दोहरावेंगे तो काम में बड़ी कठिनाई होगी। यह प्रश्न कल से अब तक कई बार आ चुका है। यह प्रक्रिया अब सदन के फैसले के रूप में है और उसका कार्यान्वयन हो रहा है। कठिनाइयां हो सकती हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा। लेकिन एक दिन में किसी फैसले को करना कोई बहुत विवेक की बात नहीं है। आप प्रक्रिया नियमावली का अध्ययन करें और इस सदन को पूर्ण अधिकार है—हाउस इज दी मास्टर आफ इट्स प्रोसीज्योर—कि जिस तरह से सदन चाहे इस पर फैसला करे।

श्री ऊदल (जिला वाराणासी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आपने फरमाया कि कामरोको प्रस्ताव स्वीकार होने पर उस पर बहस ४ बजे ही होती थी लेकिन, मान्यवर, कामरोको के मानी ही यह है कि काम स्थगित किया जाय। ४ बजे लेने से तो सदन के काम को स्थगित करने की बात खत्म हो जाती है। आपको भी बहुत ही विधान सभाओं में जाने का अवसर मिला है और मुझे भी यह मौका मिला है। मैंने भी महाराष्ट्र, पंजाब, मैसूर, इत्यादि में देखा है कि कहीं इस प्रकार का प्रोसीज्योर नहीं है कि ४ बजे नियम ५२, ५१ या काम रोको प्रस्ताव लिये जायें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न पर आप गम्भीरता से विचार करें और पुरानी प्रक्रिया जो मुनासिब है और देश की सभी विधान सभाओं में लागू है, उसे अपनाने पर आप अपना निर्णय दें।

श्री चन्द्रबली—

मेरा यह कहना है कि इस बारे में जो प्रस्ताव आपके सामने है उस पर विचार कर लिया जाय और नतीजा आपके सामने आ जावेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसे अपनी कमी समझता हूं कि मैं अपनी बात माननीय सदस्यों को साफ नहीं कर पा रहा हूं। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव किसी माननीय सदस्य ने बताया वह नियम-संगत है, नियमानुकूल है, और हमारे बनाये हुए नियमों को परिवर्तित करने के लिये सक्षम है। ये भी प्रश्न देखने के हैं। नयी प्रक्रिया नियमावली के ६६वें सफे पर नियम समिति के बारे में सारी प्रक्रिया है। नियम समिति का गठन शीघ्र होने जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि यह परिवर्तन किसी एक आदमी का किया हुआ नहीं है। सब ही दलों के माननीय सदस्यों के परामर्श से कठिनाइयों को देखने के बाद ऐसा निश्चय किया गया है।

माननीय ऊदल जी ने कहा कि कई विधान सभाओं में ऐसा नहीं है। अपने कार्य करने के लिये, उसके कार्यक्रम के बनाने के लिये, यह विधान सभा अपना अन्तिम अधिकार रखती है। अगर किसी विधान सभा में कोई बात नहीं है तो वह यहां हो सकती है और अगर कहीं कोई है तो वह यहां नहीं हो सकती है। आपको पूर्ण अधिकार है। यह लंच कब हो, किस वक्त हम बैठें और किस वक्त उठें, कौन सा कार्यक्रम अपने लिये बनायें, यह सब हम अपने लिये निश्चित कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में आप लोग सब मिल कर बातें कर लें।

[श्री अध्यक्ष]

मैंने माननीय नेता विरोधीदल को आमंत्रित किया है। अगर आपको किसी कठिनाई का अनुभव हो तो आप उसके लिये प्रस्ताव भेजें। उसके लिये प्रक्रिया है। उसके लिये नियम समिति बनेगी, वह उसको अध्ययन कर लेगी, और फिर उसके बाद उसमें आवश्यक हुआ तो परिवर्तन कर दिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं इस सम्बन्ध में एक निवेदन कर देना चाहता हूं। आपने सही कहा कि नियम समिति में सभी दलों के सदस्य थे। उन्होंने कुछ फैसले किये थे। वह हमें मान्य है। आप भी जानते हैं कि सन् ६२ से ६७ तक यह सदन कितना तूफानी रहा है। इसके लिये कुछ हमारी जिम्मेदारी थी, कुछ इस कुर्सी की जिम्मेदारी थी और कुछ सरकार की जिम्मेदारी थी। वह भी सही है कि नियम समिति के कुछ सदस्य लौटे हैं और कुछ नहीं लौटे हैं। पहले दिन जब मैंने ऐजेन्डे में ४ बजे देखा तो मैं समझा कि शायद दफ्तर की गलती हो गयी होगी। आप जानते हैं कि सदन में मैं कितना शान्त रहता हूं और बिना अध्यक्ष के आदेश के कभी खड़ा नहीं होता। उसके बाद मैंने पढ़ा नियम ५२ के स्थान पर नियम ५१। मैं आश्चर्य में पड़ गया कि वह कौन सी सूची हो गयी। यह कुछ ऐसा काम हो गया कि कार्यालय को लोग याद रखें। कामरोको, प्रस्ताव से तो मतलब यही होता है कि सरकारी काम रुक जाय और तुरन्त बहस हो। चन्द्रबली सिंह जी की भी यही भावना है चार बजे और हम हल्ला मचाने लगेंगे तो क्या होगा। मगर देखिये कितनी शान्ति से सदन चल रहा है। सरकार अगर वैसा सहयोग करेगी तब तो चलेगा ?

श्री अध्यक्ष---

सदन के शान्ति से चलाने में सरकार का सहयोग अथवा असहयोग की बात नहीं है, यह तो सदन के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है, उससे तो सदन की महिमा और गरिमा बढ़ेगी ही।

श्री उग्रसेन---

हम तो बराबर इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन सरकार, वह कुर्सी और इधर के लोगों, सब पर उसका दायित्व है। पिछली बार आपको तो मालूम है...

श्री अध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, अब आप आगे को देखें।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)---

कानपुर में दो मिलें बन्द पड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप उसके लिये अल्पसूचित प्रश्न कर लें। सदन की भावनाओं को ध्यान में रख कर मैं शीघ्र ही नियम समिति का निर्माण कर दूंगा।

(कुछ ठहर कर)

माननीय दीपंकर जी कुछ बात कहना चाहते हैं, उसको आप लोग सुन लें।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं आप के द्वारा नेता सदन से यह स्पष्ट कराना चाहता था कि उन्होंने जनतंत्र बचाओ आन्दोलन के सम्बन्ध में हुई गिरफ्तारियों के लिये घोषणा की थी कि उन व्यक्तियों को छोड़ दिया जायगा। उसके लिये मैं उन का आभारी हूं; किन्तु १२ जुलाई के आसपास कुछ और गिरफ्तारियां हुई थीं जिन पर केसेज चल रहे हैं। तो क्या उन केसेज को भी वापस लिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

मैंने सारे केसेज को देखा नहीं है। उग्रसेन जी ने चर्चा की थी और उनकी बात को इस सिलसिले में मैंने स्वीकार कर लिया था। १५ तारीख को जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके लिये मैं अभी आदेश देकर आया हूं कि उनको छोड़ दिया जाय।

श्री उग्रसेन---

जो पुराने लोग हैं उनको आप छोड़ दें। अगर वे गड़बड़ करें तो फिर पकड़ लीजियेगा।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधक बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---

कल यहां एक घोषणा हुई थी और एक प्रस्ताव सदन ने स्वीकार किया था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय प्रबन्धक बोर्ड के चुनाव के सम्बन्ध में। उसका कार्यक्रम मुझे घोषित करना था। वह इस प्रकार होगा:--

नाम-निर्देशित पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय. .	३० मार्च, १९६७ सायंकाल २ बजे तक
नामनिर्देशित पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय . .	३० मार्च, १९६७ को ४ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)
नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय . .	३१ मार्च, १९६७ को सायंकाल ३ बजे तक
निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान . .	दिनांक १ अप्रैल, १९६७ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ४ बजे तक होगा।

बुलन्दशहर के दादरी तथा सिकन्दराबाद कस्बों में पुलिस द्वारा मकानों के गिराए जाने के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

एक आइटम और रह गया था, कार्यक्रम की संख्या १२ के सम्बन्ध में। उस सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को वक्तव्य देना था।

खाद्य मंत्री (श्री गेंदासिंह)---

अध्यक्ष महोदय, जो सूचना प्राप्त हुई है वह मैं आपके सामने रख दूं। वह इस प्रकार है : ग्राँड ट्रंक रोड जो एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और जो दादरी तथा सिकन्दराबाद कस्बों में होकर गुजरती है उस पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण कर दिये गये थे। इन अतिक्रमणों के कारण न केवल यातायात में कठिनाई होती थी बल्कि दुर्घटनाओं की अधिक संभावना थी। ३ मार्च, १९६७ को मेरठ के आयुक्त ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें खंड के जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक और अधिशासी अभियन्ता सभी उपस्थित थे। और उसमें आयुक्त ने ग्रांड ट्रंक रोड पर किये गये अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया था। इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये नियमानुसार नोटिसें पहले ही दी जा चुकी थीं लेकिन इनका कोई असर अतिक्रमण करने वालों पर नहीं हुआ। अतः १७ और १८ मार्च को जिलाधीश ने पुलिस की सहायता से दादरी कस्बे में ८० अतिक्रमण हटा दिये। इनमें से ७२ तो लकड़ी की दूकानें या झोपड़ियां आदि थीं और ८ पक्के चबूतरे या खम्भों के सहारे बने छज्जे थे। यह अतिक्रमण एक माह से लेकर ४ वर्ष तक पुराने थे।

[श्री गेंदासिंह]

इन अतिक्रमणों को हटाने के लिये न कोई लाठी चार्ज ही हुआ और न कोई बुलडोजर प्रयोग में लाया गया।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय निर्माण मंत्री जी का यह वक्तव्य सही है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मौके पर अभी तक लाठीचार्ज के निशान मौजूद हैं, हमने उनको अपनी आंखों से देखा है, वह कल तक नहीं मिटेंगे। आप वहां किसी जिम्मेदार मंत्री को भेजें, वहां लाठीचार्ज हुआ है, गोली और बन्दूकें दिखाई गईं और धमकाया गया है। मैं चाहता हूं कि लाठी चार्ज की पूरी जांच कराई जाय और कोई वरिष्ठ मंत्री वहां भेजे जायं, मैं सिंचाई मंत्री जी पर विश्वास करूंगा वही कल दादरी पहुंच जायं, सारे कस्बे की हालत को देखें, हाई कोर्ट के फैसले तक मौजूद हैं जो पी०डब्लू०डी० के विरुद्ध हुये हैं, मकान और दूकानें गिराई गई हैं केवल बरामदों की ही बात नहीं है। इस पर तुरन्त जांच आप बैठायेंगे?

श्री गेंदासिंह---

पूरी सूचना जब तक न आ जाय तब तक कुछ कहना कठिन है। मैं समझता हूं कि वहां विकल जी स्वयं गये थे वहां मौके पर वह स्वयं और जांच कर लें।

श्री रामचन्द्र विकल---

मैं तो स्वयं मौका देख कर आया हूं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि जो सूचना आपने दी और जो सूचना विकल जी की है उन दोनों में अन्तर है और अगर आप की जांच का परिणाम यह है कि जो सूचना दी गई है तो आप को उसके लिये उचित कार्यवाही करना चाहिये और अगर आपकी सूचना सही है तो जांच के बाद इस पर सदन को बताना चाहिये।

श्री गेंदासिंह---

जांच करायेंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जिनको लाठी से चोटें लगीं उन्होंने अस्पताल में अपना डाक्टरी मुआयना कराया, क्या मंत्री जी उस मुआयने को भी देखेंगे?

श्री गेंदासिंह---

मेरी तो सूचना यह है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं इसलिये आगे की बात मैं कैसे बता सकता हूं।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह ग्रांट ट्रंक रोड कब बनी थी और यह लोग कब्जे वाले कब बसे थे?

श्री अध्यक्ष---

यह सवाल कब उठता है?

श्री प्रतापसिंह---

सड़कों का प्रेसक्राइब्ड अथारिटी ऐक्ट ही सन् २० में बना था और बहुत सी जगह से ऐसे लोग उखाड़े जा रहे हैं। यह जो कहते हैं कि ट्रैफिक में वह बाधा डालते थे तो मैं जानना चाहता हूं कि वह लोग कब वहां बसे थे?

श्री गेंदासिंह--

यह कब्जे एक मास से चार वर्ष पुराने थे।

श्री प्रतापसिंह---

यह ऐक्शन पहले ही क्यों नहीं लिया गया और इसकी जरूरत अब ही कैसे पड़ी ?

श्री गेंदासिंह---

जब देख लिया गया कि वह बीमारी इतनी बढ़ गई कि यातायात में दिक्कत होने लगी तब ध्यान गया और इधर हटाने की बात हुई ।

श्री रामचन्द्र विकल---

क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जो यह बाजार शरणार्थियों का हटाया गया जी०टी० रोड पर वह बिलकुल नहीं था, यह दूसरी सड़क थी जहां पर ट्रेफिक की बिलकुल दिक्कत नहीं थी ?

श्री गेंदासिंह---

जो सूचना अभी तक मेरे पास है वह केवल जी० टी० रोड से ही हटाने की है। यह सूचना जो विकल जी दे रहे हैं मेरे लिये नई है, इसकी भी जांच करा लेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल---

यह ८० झोंपड़े जी० टी० रोड पर नहीं हैं। मैं मांग करता हूं कि जी० टी० रोड पर जो ४ साल तक के अतिक्रमण बताये गये हैं अगर उनके बारे में हाई कोर्ट के फैसले हों और उन मकानों को गिराया गया है तो क्या वह उन मकानों के मुआवजे के बारे में सोचेंगे ?

श्री गेंदासिंह---

यह बात भी ऐसी है कि जिसकी जांच की जरूरत है।

श्री उग्रसेन---

अभी मंत्री जी के पास कोई विधिवत और विस्तृत सूचना नहीं है। तो क्या यह कोई विधिवत् और विस्तृत सूचना मंगा कर फिर से सदन को सूचित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न तो नहीं उठता जब कि उनका स्पष्ट आश्वासन हो गया कि पूरी जांच कराई जायगी और वहां शायद विकल जी भी पहुंच रहे हैं।

आचार्य दीपंकर---

मंत्री जी यह जांच जिसके द्वारा करायेंगे और उसका जुरिसडिक्शन क्या होगा ?

श्री गेंदासिंह---

जो जांच का तरीका है वह इस्तेमाल किया जायगा, वरिष्ठ मंत्री की जांच तो शायद ठीक न होगी।

श्री रामचन्द्र विकल---

जिस तरह की हालत दादरी के कस्बे में है, भूकम्प से जैसे जर्जरित कोई जगह होती है इसलिये कोई शीघ्रता का जांच का तरीका मंत्री जी इस्तेमाल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो प्रत्यक्ष है। जो आश्वासन सदन में दिया गया है उसमें शीघ्रता का तो आश्वासन है ही।

श्री रामचन्द्र विकल---

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जांच किस के जरिए होगी। डिवीजन के कमिश्नर द्वारा, जिलाधीश द्वारा या पी० ए० सी० द्वारा। इसकी स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए ?

श्री गेंदासिंह--

मैं तो डी० एम० से ही जांच करवाऊंगा।

श्री अनन्तराम (जिला बाराबंकी)---

इस सम्बन्ध में माननीय नेता विरोधी दल और सदन के सम्मानित सदस्य मौके पर गये। उन्होंने अपनी आंखों से देखा और मालूम किया। एक माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है, आपके सामने और इस सदन के सामने है जो वहां के अधिकारियों की रिपोर्ट पर आधारित है। यह मामला ऐसा है कि यदि पिछले सालों का रवइया अपनाया जायगा तो काम नहीं चल सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या वे स्वयं इस मामले को जाकर मौके पर देखें और जिले के अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने अभी स्वयं इस बात का जिक्र किया कि एक तरह से यह बड़ी गम्भीर बात होती है कि जब यहां के नेता विरोधी दल एक स्पष्ट बात कहें और जो सदन में सूचना आवे उन दोनों में अन्तर हो तो यह आवश्यक है कि उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये और अगर यह सिद्ध हो कि सूचना गलत है तो उन सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक है।

श्री रामचन्द्र विकल---

श्रीमन्, मैंने नाम लेकर कहा है सिंचाई मंत्री जी का। उनका जिलों से सम्बन्ध है। शायद वे इस आने वाली छुट्टियों में उधर जायं भी। मेरी प्रार्थना है कि वे स्वयं देख लें कि जो बात मैंने लिखी है वह सही है अथवा नहीं और यदि गलत हो तो जो सजा माननीय निर्माण मंत्री (सार्वजनिक) दें मैं उसको मान लूंगा। जिलाधीश से मैं बात करके आया हूं। मैं चाहता हूं कि कोई निष्पक्ष उच्च अधिकारी को नियुक्त करके सरकार जांच करवाये ताकि सही स्थिति का बोध हो सके।

श्री अध्यक्ष---

इसके विषय में मेरा निवेदन है कि अभी माननीय मंत्री जी से जब इस विषय में प्रश्न किया था तो उन्होंने उस अधिकारी का नाम बताया था और वह हैं जिलाधीश। यह और बात है कि उससे आपको या और किसी माननीय सदस्य को सन्तोष हो या न हो लेकिन वे कहते हैं कि जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा डी० एम० से हम जांच....

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

श्रीमन्, एन्क्वावरी के सिलसिले में जल्दबाजी की गई है क्योंकि कल माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री कह रहे थे कि हमारे पास सूचना नहीं है और सूचना इकट्ठी की जायेगी। जो सूचना आपने दी है और जो मंत्री जी ने दी है उसमें भिन्नता है। एन्क्वावरी करने का एक तरीका है। कलेक्टर इस प्रकार की इन्क्वावरी करते हैं। आप कहते हैं कि कलेक्टर और कमिश्नर इसमें शामिल हैं तो हम बोर्ड आफ रेवेन्यू के किसी सदस्य को कहेंगे कि वे एन्क्वावरी कर लें।

श्री अध्यक्ष---

इस आश्वासन के बाद अब इस विषय को समाप्त करते हैं।

श्री राधेश्याम कपूर (जिला लखनऊ)—

अब कभी सरकार को कोई काम नहीं करना होता है तो वह बड़ी घिसी-पिटी भाषा में उत्तर देती है।

श्री अध्यक्ष—

जो हमारे नियम हैं उनको खींचकर उसमें समय दिया गया और अधिक से अधिक प्रश्न किये जा चुके हैं। अब माननीय मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया है जैसा कि मांग थी कि इसकी जांच की जायगी। जो सूचना कल से माननीय मंत्री जी को मिल सकी वह उन्होंने सदन में प्रस्तुत कर दी है। कल उन्होंने कहा था कि पूरी सूचना नहीं मिल सकेगी तब हमने इस बात पर आग्रह किया कि जो सूचना मिल सके उसे रख दें। तो मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हुए विचार करें।

श्री चन्द्रबली—

व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न में व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री चन्द्रबली—

आप की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अगर एक प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें दूसरा प्रश्न खड़ा करना यह दुर्व्यवस्था है।

श्री चन्द्रबली—

अगर प्रक्रिया दुर्व्यवस्था हो रही है तो उसमें व्यवस्था लाने का आपको अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह समाप्त हो जाय पहले।

श्री हिम्मतसिंह—

यह जो सूचना दी वह किस अधिकारी ने दी ?

श्री गेंदासिंह—

वहां के जिलाधीश और कुछ जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं दोनों से पूछा गया है।

श्री चन्द्रबली—

जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि कमिश्नर ने एक कमेटी बुलायी और उसमें उसको स्वप्न लगा कि कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस तरह से समूचे सूबे में सड़कों के मामले में ५, १० वर्ष तक तो कब्जा कराया जा रहा है और एक बार स्थापित कर के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, तो क्या इस उजड़ने की पद्धति को रोकने के लिये कोई नया तरीका निकालेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न बड़ा व्यापक है और सारे सूबे पर ले गये। लेकिन जो इस घटना से संबंधित इफेक्ट पड़ता है तो क्या ऐसी कोई प्रणाली इस तरह की परिस्थितियों को रोकने के लिये मंत्री जी कोई और बात सोच रहे हैं करने की ?

श्री गेंदासिंह---

मैं माननीय चन्द्रबली सिंह जी से सलाह करूंगा कि जितनी सड़कें हैं इस प्रदेश में उन पर घर बसाये जायं कि नहीं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

मंत्री जी बतायेंगे कि जो बोर्ड आफ रेवेन्यू के सदस्य इस घटना की जांच करेंगे, और घटना की गम्भीरता को देखते हुए वह अपनी जांच कब तक पूरी करेंगे और क्या सारी जांच सदन की मेज पर रखी जायगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो बता दिया कि बहुत जल्दी हो जायगा।

कतिपय विषय

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, एक बात निवेदन करना चाहता हूं। हमारे कार्यालय से हमारे हस्ताक्षर से एक लिस्ट आपके पास गयी हुई है। इस समय तक यह स्थिति बनी हुई है कि इस तरफ के दल के सदस्यों की संख्या पीठासीन अधिकारी की तरफ से घोषित नहीं हुई। हमारी लिस्ट में २०६ माननीय सदस्यों के नाम हैं। तो आप हमारी लिस्ट की सदन में घोषणा कर दें और कांग्रेस वालों की जब तक बनी रहे गुमसुम उससे हमें कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

मैं कह सकता हूं कि मैं उस को देखूंगा और मैंने अभी सदन के उठने के बाद नेता विरोधी दल से प्रार्थना की है कि वे मेरे यहां पधारें और संसदीय मंत्री जी से भी ऐसी प्रार्थना की है। तो इस पर मैं विचार करूंगा।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और २९ तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४२ मिनट पर बुधवार, २९ मार्च, १९६७ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२१ मार्च, १९६७।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी०--१० एल० ए०--१९६७--८४६।